पंचम माला, खंड 56, अंक 12, गुरुवार, 22 जनवरी, 1976/2 माघ, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LVI, No. 12, Thursday, January 22, 1976/Magha 2,1897(Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[पंद्रहवां सत्र / Fifteenth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 56 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. LVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contain Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूचि/CONTENTS

अंक 12, गुरुवार, 22 जनवरी, 1976/2 माघ, 1897 (शक)

No. 12, *Thursday, January* 22, 1976/*Magha* 2, 1897 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	Oral Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 227 से 231, 233, 234, 236, 239 और 240	Starred Questions Nos. 227 to 231, 233, 234, 236, 239 and 240 . . .	1—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	Written Answers to Quistions	
तारांकित प्रश्न संख्या 225, 226, 232, 235, 237, 238 और 241 से 244	Starred Questions Nos. 225, 226, 232, 235, 237, 238 and 241 to 244	22—27
अतारांकित प्रश्न संख्या 1018 से 1074, 1076 से 1078 और 1080 से 1085	Unstarred Questions Nos. 1018 to 1074, 1076 to 1078 and 1080 to 1085 .	27—70
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	70—73
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . . .	73
तोल तथा माप मानक विधेयक—	Standards of Weights and Measures Bill—	
राज्य सभाद्वारा पारितरूप में— सभा-पटल पर रखा गया	As passed by Rajya Sabha—Laid	73
लोकलेखासमिति— 192वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	Public Accounts Committee— Hundredand Ninety second Report—Presented	75
समितियों के लिये निर्वाचन–	Election to Committees—	
(एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड	Central Silk Board . . .	74
(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट	Court of the University of Delhi .	75

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) विधेयक--	Statutory Resolutions Re. Disapproval of Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinances, 1975 & Maintenance of Internal Security (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव--	Motion to consider—	
मोहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurahman . . .	76
श्री राम देव सिंह	Shri Ram Deo Singh . .	76—77
श्री निम्बालकर	Shri Nimbalkar	77—78
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao . . .	78—80
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade . . .	80
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi . . .	80—81
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani . . .	81—82
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel . . .	82—84
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra .	84
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . .	84—85
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar .	85—86
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra . . .	86
श्री सयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga . . .	86—87
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy .	87—93
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . .	91—92
खंड 2 से 7 और 1	Caluses 2 to 7 and 1 .	94—97
विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव-	Motion to pass the Bill—	—
श्री के० ब्रह्मानन्दरेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy	97, 100—101
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . . .	97—98
श्री दिनेश जोरदार	Shri Dinesh Joarder . . .	98—99
श्री के० एम० मधुकर'	Shri K. M. 'Madhukar' . . .	99—100
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . . .	100
कार्य मंत्रणा समिति--	Business Advisory Committee—	
58वां प्रतिवेदन--प्रस्तुत	Fifty-eighth Report—Presented	101

विषय	SUBJECT	PAGES
औषध और भेषज उद्योग सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा—	Discussion Re. Report of the Committee on Drugs and Pharmaceutical Industry—	
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . . .	—101
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N.. Mukerjee . . .	102—04
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar .	—105
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya . . .	—106
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan . . .	—106
श्री पी० एम० मेहता	Shri P. M. Mehta .	107—08
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami .	108—09
श्रीमती रोजा देशपाण्डे	Shrimati Roza Deshpande . .	109—10
श्री पी० सी० सेठी	Shri P. C. Sethi . . .	110—12

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 22 जनवरी, 1976/2 माघ, 1897 (शक)
Thursday, January 22, 1976/Magha 2, 1897 (Saka)

[लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई]

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Telephones out of order due to Floods in Patna

*227 **Shri Ramavatar Shastri:** Willthe **Minister of Communications** be pleased to state :

(a) whether telephones remained out of order due to the devastating floods in Patna city in August, 1975; and

(b) whether telephone rent has also been realised from the subscribers for the period they were out of order?

The Dupty Minister in the Ministry of Communications(Shri Jagan nath Pahadia): (a) Out of the 9995 workingtelephone connections in the Patna Telephone District, 6774telephone connections went out of order due to the devastating floods on 25th of August, 1975. All of them were progressively restored by 8th November, 1975.

(b) Yes Sir.

Shri Ramavatar Shastri : Out of 9995 telephones in Patna Telephone District, 6774 telephones remained out of order for full two and a half months. May I know the total amount realised by way of rent for the period they were out of order. What was the justification for realising the rent when they were out of order ? Whether Government propose to refund this amount keeping in view the non-justification for it ?

Shri Jagannath Pahadia : It is not correct to say that the telephones remained out of order for along time. There were floods on 25th and 26th August. We went on restoring the services by and by. All the essential services were restored within a month's time. I have got all the details in this regard with me and I can give in case the hon. Member wants to know. It is not correct that the telephones remained out of order for such a long time. There is no doubt that in some cases we took some time to restore them. You know yourself that all our transmission lines 45 Kilometres away from Patna had gone out of order one day before these floods came which had an effect on Patna. Our employees worked round the clock even at the risk of their life to restore these lines. Sometimes they had to swim through this water to do the repair work. It was our endeavour to restore the essential services as early as possible. We had restored Government telephone connections and the connections asked for by the Defence Department. We had established new exchanges and had also laid new lines. We also endeavoured to restore telephone connections to important subscribers like Shri Ramavatar Shastri.

It is also true that we had to suffer a great loss. As far as the point of rent is concerned we do not give any rebate for a small period when the telephones are out of order because of the difficulty of calculation. 900 telephone instruments are out of order. A sum of Rs. 5·5 lakhs is likely to be spent in this respect. Apart from it some amount will be spent on the rectification of the lines also which is not possible to calculate at this stage.

Shri Ramavatar Shastri : We are grateful to the Government and the employees for taking pains and restoring the telephone connection. May I know the amount the Government had to spend on restoring these telephone connections. May I know whether it is also a fact that a big amount has been misused. On the ground of expediting the matter ? Whether manyt elephones are still out of order and if so, the stepstaken by Governmentin this connection?

Shri Jagannath Pahadia : I have already informed that another sum of Rs. 5·5 lakhs is likely to be spent. It was our endeavour to see that no line or connection is out of order. The p oint of misutilisation of money has not come to our notice. Of course, sometimes we have to spend more in a bid to get the work done in a hurry.

ग्रामीण श्रम और श्रम जीवी वर्ग की परिवार आय का अध्ययन

*228. **श्री टुना उरांव**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला के श्रम ब्यूरो ने कार्यवाही उन्मुख अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण श्रम और श्रमजीवी वर्ग की परिवार आय का कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो किये गये अध्ययनों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) अध्ययनों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) अध्ययनों के कार्या न्वयन के परिणामस्वरूप पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कितने ग्रामीण श्रमिकों तथा औद्योगिक श्रमिकों के लाभान्वित होने की संभावना है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) से (घ). एक विवरण सभाकी मेज पर रखा जाता है।

विवरण

(क) श्रम ब्यूरो ने हाल ही के व र्षों में कार्यवाही उन्मुख अनुसंधान कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण श्रम और श्रमजीवी वर्ग के परिवार आय सम्बन्धी निम्नलिखित महत्वपूर्ण अध्ययन किए हैं:—

(1) ग्रामीण श्रम जांच ।

(2) ग्रामीण श्रम सम्बन्धी गहन प्रकार के अध्ययन ।

(3) श्रमजीवी वर्ग के परिवार आय और व्यय अध्ययन ।

(ख) किए गए अध्ययनों की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(1) **ग्रामीण श्रम जाँच**—ये अध्ययन कृषि-श्रमिक परिवारों सहित ग्रामीण श्रमिक परिवारों की सामाजिक- आर्थिक स्थिति सम्बन्धी जानकारी देंगे, और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की नई सीरीज़ के संकलन के लिए एक कम्पैक्ट वेटिंग डायग्राम भी प्रस्तुत करेंगे ।

(2) **गहन प्रकार के अध्ययन**—ग्रामीण क्षेत्रोंमें रोजगार, बेरोज़गारी और अपूर्ण रोज़गार के सन्दर्भ में उपचारी प्रकार के कार्यक्रमोंकोतैयार करने के लिए ग्रामीण रोज़गार के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित उपयोगी आंकड़े प्रस्तुत करना ।

(3) **श्रमजीवी वर्ग का परिवार आय और व्यय अध्ययन**—श्रमजीवी वर्ग के परिवारों के नवीनतम उपभोग नमूने को ध्यान में रखते हुए हाल ही के आधार अर्थात् 1971-100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की नयी सीरीज़ का संकलन करने के लिए वेटिंग डायग्राम प्रदान करना ।

(ग) इन अध्ययनों के बारे में निम्नलिखित कार्रवाई की गई/करने का प्रस्ताव है :—

(1) **ग्रामीण श्रम जाँच**—1963–65 के दौरान पहली ग्रामीण श्रम जांच सम्बन्धी अन्तिम विस्तृत रिपोर्ट पहले से ही जारीकी जा चुकीहै; दूसरी ग्रामीण श्रम जांच 1974–75 के दौरान आरम्भ की गई है । इस नवीनतम जांच के दौरान एकत्र किए गए आंकड़े तैयार करने की आरम्भिक अवस्थाओंमें है ।

(2) **ग्रामीण श्रमिकों के सम्बन्ध में गहन प्रकार के अध्ययन**—20विशिष्ट क्षेत्रों में से, 11 क्षेत्रों के सम्बन्ध में रिपोर्टों को पहले से अन्तिम रूप दिया जा चुका है । सात क्षेत्रों के सम्बन्ध में रिपोर्टों को सम्बन्धित सरकारों से परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है । क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा सामान्य अखिल भारतीय रिपोर्ट की रिपोर्ट का मसौदा बनाने का कार्य प्रगति पर है ।

(3) **श्रमजीवी वर्ग पारिवारिक आय और व्यय का सर्वेक्षण**—सूचकांकों की नई सीरीज़ (1971-100) को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व, 33 केन्द्रों के सम्बन्ध में (कुल 60 केन्द्रोंमें से) सूचकांक उपभोक्ताओं के सम्मेलन आयोजित किये गये हैं और उनके नए सूचकांकों को अन्तिम रूप दिया गया । शेष 27 केन्द्रों के सम्बन्ध मेंइसप्रकार के सूचकांक उपभोक्ता सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं / आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है । अगस्त, 1976 तक सारेकार्यक्रम के पूरेहो जाने की संभावना है ।

(ब) पांचवीं योजना के दौरान इन अध्ययनों के कार्यान्वयन से लाभान्वित होने वाले ग्रामीण श्रमिकों और औद्योगिक श्रमिकों की संभावित संख्या का अनुमान नहीं लगाया गया है । तथापि, कृषि श्रमिकों और औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों, जोकि ग्रामीण श्रमिक जांच और श्रमजीवी वर्ग पारिवारिक आय और व्यय सर्वेक्षण का उत्पादन है, का यथासमय में औद्योगिक तथा अन्य वर्गों के श्रमिकों के लिए मजदूरी बढ़वाने/महंगाईभत्ते केभुगतान के लिए व्यापक रूप से व्यवहार किया जाएगा, विशेषकर, नए आर्थिक कार्यक्रमों के गति प्राप्त करने से, जिससे अधिकाधिक श्रमिकों को लाभ होगा । औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का काफी व्यापक इस्तेमाल हो रहा है और यह केवल औद्योगिक श्रमिकों तक ही सीमित नहीं है ।

Shri Tuna Oraon: May I know the time by which the exact number of rural labourers will be known and the plans being formulated by Government to solve their problem of unemployment.

श्री रघुनाथ रेड्डी: जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं दूस रीग्रामीण श्रम जांच कृषि वर्ष 1974–75 के दौरान पुनः आरम्भ की गईथी । इस जांच के अन्तर्गतगैर-कृषि परिवारों के रूप में वर्गीकृत परिवारों सहित सभी ग्रामीण श्रम परिवार भी आते हैं । जिन विभिन्न पहलुओं की जांच की गई वे जनसंख्या सम्बन्धी ढांचे, रोजगार तथा बेरोजगारी की अवधि श्रम समय विन्यास, औसत दैनिक आय, उपभोग, व्यय, परिवार की आय और ऋणग्रस्तता केबारेमें हैं ।

Shri Tuna Oraon: Which are the twenty regions selected for intensive type studies and which are the seven regions in respect of which the reports have not been submitted so far ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : 20 विशिष्ट क्षेत्रों में से वर्धा, अनन्तनाग, सूरत, महबूबनगर, वाराणसी, गया, चम्बा, बांकुरा, रेवा, हसन और टोंक के सम्बन्ध में रिपोर्टों को पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका हैतथाइनरिपोर्टों में से अनन्तनाग, सूरत, टोंक, महबूबनगर, वर्धाऔर हसन के सम्बन्ध में रिपोर्टें पहले ही प्रकाशित की जा चुकी हैं ।

श्री वसन्त साठे: मैं यह जानना चाहता हूंकि इस रिपोर्ट को देने में कितने वर्ष लगे थे तथा क्या यहरिपोर्ट अब पुरानी हो चुकी हैं। अब आप कह रहें हैं कि इस अध्ययनको करने केलिए एक नई समिति बनाईगईहै । वहकितना समय लेगी ? क्या गहन अध्ययन के सम्बन्ध में आपके पास कोई योजना है जो विशिष्ट समस्याओं के सम्बन्ध में कार्यवाही उन्मुख हो, ताकि अध्ययन के अन्तर्गत विशिष्ट क्षेत्रोंमें लघु और उपान्तीय कृषक विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम इत्यादि भी आ सकें ? ब्यूरों द्वारा किये गये जाने वाले अध्ययनों में क्या ऐसी योजनायें भी हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी: श्रम ब्यूरो ने ये अध्ययन चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने पर 1965 मे योजना आयोग और अखिल भारतीय कृषि श्रम गोष्ठी को सिफारिशों के अनुसरण में आरम्भ किए थे । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं अध्ययन पहले 1965 में आरम्भ किया गया था तथा नवीनतम अध्ययन 1974–75 में किया गया था । अध्ययन का उद्देश्य मैं पहले ही बता चुका हूं । ये अध्ययन रोजगार, बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए, तथा यह पता लगाने के लिये किये गये हैं कि सरकार तथा अन्य अभिकरणों द्वारा आरम्भ

किये गये कार्यवाही कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कहां तक बढ़े हैं, विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण श्रमिक परिवारों को पहले से उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का अनुमान लगाने के लिए इन सुविधाओं का कहां तक लाभ उठाया जा रहा है। इसके लिए अब तक आरम्भ किये गये कार्यक्रमों से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों के दृष्टिकोण का अध्ययन करने के लिए श्रमिक परिवारों को श्रम कल्याण सुविधायें देने के लिए आवश्यक उचित कार्यवाही कार्यक्रम बनाने के लिए आरम्भ किए गए थे।

डा० रानेन सेन : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि जिस तरीके से शिमला श्रम ब्यूरो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करता है उसकी सरकारी समितियों सहित कई मजदूर संगठनों ने इस आधार पर आलोचना की है कि ब्यूरो भिन्न भिन्न प्रकार से गणना करता है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उसी शिमला ब्यूरो को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई सीरीज तैयार करने का उत्तरदायित्व दिया गया है? क्या यह अच्छा न होता यदि यह काम किसी अधिक अच्छे, प्रबुद्ध और अधिक शिक्षित लोगों को सौंप दिया गया होता ?

श्री रघुनाथ रेड्डी: शिमला श्रम ब्यूरो यह सर्वेक्षण कई वर्षों से करता आ रहा है। अतः इस काम को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब तक वे सफलतापूर्वक काम करते रहे हैं। यह पता लगाने के लिए कि विभिन्न क्षेत्रों में श्रमजीवी परिवारों के उपभोक्ता ढांचे में 1958–59 से कितना परिवर्तन आया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्यों की गणना चालू उपभोक्ता ढांचे के सम्बन्ध में हो, श्रम ब्यूरो ने परिवार बजट का वैसे ही सर्वेक्षण किया है जैसा कि भारतीय श्रम सम्मेलन के 26वें अधिवेशन द्वारा सिफारिश की गई थी। सर्वेक्षण 1971 में 60 औद्योगिक केन्द्रों में किया गया।

श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर: मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि अन्तिम अध्ययन 1974–75 में किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमजीवी परिवारों की औसत आय क्या है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी: अब हमें औसत आय की गणना ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी के हाल ही में हुए संशोधन के सन्दर्भ में करनी होगी। ऐसे आंकड़े काफी अध्ययन करने के पश्चात् ही उपलब्ध हो सकेंगे।

पोस्टकार्ड, लिफाफे आदि की कमी

*229. **श्री पी० जी० मावलंकर**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के विभिन्न भागों में बहुत से मुख्य डाकघरों तथा उप-डाकघरों में जनता को बार-बार पोस्टकार्डों, लिफाफों, डाक-टिकटों की भारी कमी का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या उपचारात्मक तात्कालिक कदम उठाये हैं ; और

(ग) क्या पोस्टकार्ड तथा आदि डाक-टिकटों की अतिरिक्त छपाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार का विचार दूसरा प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने का है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) देश के अनेक डाकघरों में कभी-कभी डाक लेखन सामग्री और डाक-टिकटों की कमी रही है ।

(ख) इस कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कागज प्राप्त करने और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की उत्पादन क्षमता बढाने के लिए कार्रवाई की गई है ।

(ग) इस मामले पर वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : यह स्वीकार किया गया है कि बीच-बीच में यदा-कदा इन चीजों की कमी होती रही है किन्तु क्या मंत्री जी को मालूम है कि इन चीजों की यदा-कदा नही बल्कि बार-बार कमी होती रही है और खासकर दिवाली पूजा की छुटियों तथा ऐसे अन्य त्योहारों के अवसर पर इनकी काफी कमी रही है जब कि ऐसे अवसरों पर डाक-टिकटों तथा डाक-स्टेशनरी की काफी ज्यादा मांग रहती है? इस बात को ध्यान में रखते हुये, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के अलावा सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किये जा रहे है और पिछले दो वर्षों में उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है और विशेषतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम से कम त्यौहारों के अवसरों पर इन वस्तुओं की कमी न होने पाने क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया: इसके दो मुख्य कारण थे, एक तो यह कि इस समय डाक-टिकट व डाक-स्टेशनरी पोस्टमास्टरों द्वारा स्थानीय ट्रेजरियों से ली जाती है और ट्रेजरियां उनकी मांग पूरी करने की स्थिति में नहीं थी। इसका मुख्य कारण यह है कि ट्रेजरियां अपने मांग-पत्र (इन्डेंन्ट्स) ठीक समय पर टिकट नियंत्रक को नही भेजती जिससे कि उन्हें ठीक समय पर सामान मिल सकता । इसलिये, यह तय किया गया है कि डाक-टिकट व डाक-स्टेशनरी का इन्डेन्टस करने तथा सप्लाई करने का काम राज्य ट्रेजरियों से विभाग धीरे धीरे अपने हाथ में ले लें। दूसरी बात यह कि एक डाक-डिपो स्थापित करने के लिये आदेश भी जारी किये गये हैं ।

श्री पी० जी० मावलंकर : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मंत्री जी ने यह कहा है कि एक अतिरिक्त मुद्रण प्रेस खोलने का प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है जिस के बारे में वित्त मंत्रालय से परामर्श किया जा रहा है इस समय इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है और क्या उसे अन्तिम रूप दे दिया गया है क्योंकि डाक-टिकट व डाक-स्टेशनरी की मांग बढ़ती जा रही है और आगे दो-एक वर्ष में और भी अधिक बढ़ जायेगी ? इसलिये इस हेतु एक मुद्रणालय की आवश्यकता है । क्या मुद्रण प्रेस के प्रस्ताव पर तीव्र गति से विचार चल रहा है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया: इस पर विचार हो रहा है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस पर सक्रिय रूप से तथा अति आवश्यक समझकर विचार किया जा रहा है अथवा यह विचार वैसा ही है जैसा कि सामान्य स्थिति में आम तौर पर होता है ?

अध्यक्ष महोदय : अनपूरक प्रश्न पर अनपूरक प्रश्न नहीं हो सकता ।

श्री के० गोपाल: माननीय मंत्री जी मुझ से सहमत होंगे कि स्टेशनरी के पूरा उपलब्ध होने पर भी, जिस कीमत पर विभाग टिकटें तथा लिफाफे बेच रहा है, वह बिल्कुल लाभप्रद नहीं है । अतः क्या विभाग शहरों के महत्वपूर्ण केन्द्रों में फ्रेंकिंग मशीनें लगाने का विचार करेगा जिससे कागज तथा टिकटों पर आने वाला खर्च बचाया जा सके ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया: यह अच्छा सुझाव है जिसे क्रियान्वित किया सकता है ।

श्री अमृत नाहाटा:: क्या मंत्री जी को पता है कि पोस्टकार्ड देहातों तथा शहरों में गरीब आदमियों के लिये संचार का एक मुख्य साधन है और शायद इसी कारण इसके मूल्य कम है ? क्या माननीय मंत्री जी को यह भी पता है कि बड़े-बड़े व्यापार गृह, बड़ी-बड़ी विज्ञापन फर्में और धनी लोग एक बार में हजारों पोस्ट-कार्ड खरीदते हैं जिससे आम आदमी को पोस्टकार्ड नहीं मिल पाते । क्या मंत्री जी कोई ऐसा उपाय करेंगे कि जिससे पोस्टकार्डों की इतनी बड़ी खरीददरी बन्द की जा सके ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया: यह भी एक बहुत अच्छा सुझाव है ।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister has stated that it has been decided to take overthe work of indenting and supply of postage stamps and postal stationery bythe Department from the State Treasuries. I would like to know from the hon. Minister whether they have ascertained the approximate demand for post cards, postal stamps, envelopes etc. by these post offices and Sub-Post offices which are in rural areas and whether they are in a position to cope with that demand ?

Shri Jagannath Pahadia : Yes, Sir, generally, they have a rough idea about that and accordingly they submit their indents to the Press.

चाय बागान श्रमिक अधिनियम को लागू करना

*230. **श्री एच० एन० मुकर्जी**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में चाय बागान श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत कल्याणकारी उपबन्धों का चाय बागान प्रबन्धकों द्वारा उल्लंघन करना एक आम बात हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा चाय बागान श्रमिक अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) बागान श्रमिक अधिनियम के उल्लंघन के अनेक मामले, जो मुख्यतः श्रमिकों के मकानों के निर्माण, कैन्टीनों और शिशु गृहोंकी देख-रेख और जलपाईगुड़ी जिले में ग्रुप अस्पतालों की स्थापना से सम्बन्धित थे, पश्चिम बंगाल की सरकार के ध्यान में लाये गये थे । राज्य सरकारें, बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 प्रशासित करती हैं ।

(ख) बागान श्रमिक अधिनियम के उल्लंघन के लिये जलपाईगुड़ी जिले में 87 चूककर्ता चाय एस्टेटों के खिलाफ 157 अभियोजित मामले शुरू किये गये हैं । अब तक 49,870/- रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से यह सुनिश्चित कर लिया है कि इन कल्याणकारी उपबन्धों का अब मालिकों द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा रहा ?

श्री रघुनाथ रेड्डी: हमने राज्य सरकार का ध्यान इस पहलू की ओर दिलाया है। माननीय सदस्य को मालूम है कि कानून के उपबन्धों को और मजबूत करने के लिये बागान संशोधन विधेयक भी पुरःस्थापित किया गया है और जिसे संयुक्त समिति को भेजा गया है। यह विधेयक इस सभा में चर्चा के लिये बहुत जल्दी आ जायेगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी: क्या इन बागानों के मालिकों की ओर से होने वाली बहुत सी त्रुटियों एवं गलतियों के कारण इन बागानों की उत्पादनशीलता को जो दीर्घकालीन क्षति पहुंचती है उसे रोकने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : राज्य सरकार को इस समस्या का पता है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: मंत्री जी ने विद्यमान बागान अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों का उल्लंघन करने के बारे में कुछ प्रबन्धकों के खिलाफ दायर किये गये मामलों के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दिये हैं। वास्तव में कितने मामलों में प्रबन्धकों को दण्ड दिया गया है अथवा कितने मामलों में प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई निर्णय दिया गया है और कितने मामले निपटाये गये हैं क्योंकि कर्मकारों का पक्ष लेकर उनका प्रतिनिधित्व करने या उल्लंघन के खिलाफ कार्यवाही करने में स्वयं सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं ली है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी: उत्तर में बताया गया है कि 157 मुकदमें दायर किये गये हैं। जलपाईगड़ी जिले में चूककर्ता चाय एस्टेटों के खिलाफ 157 अभियोजन मामले शुरू किये गये हैं। इसके फलस्वरूप, 49870 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। यह जानकारी मुझे राज्य सरकारों से प्राप्त हुई है। इससे अधिक जानकारी मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो मैं एकत्रित कर सकता हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: जी, हां, आप एकत्रित करें ।

श्री राम सहाय पांडे : बागान श्रमिकों की हालात में सुधार करने के लिए संसद् ने भट्ट समिति नियुक्त की थी । क्या इस समिति ने प्रतिवेदन दे दिया है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी: मेरा विचार है कि माननीय सदस्य जिस समिति का उल्लेख कर रहे हैं, वह एक संयुक्त समिति है, समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और माननीय सदस्य के पास उसकी एक प्रति अवश्य होगी ।

Shri Tuna Oraon : May I know the names of those tea estates in Jalpaiguri district which do not have schools as also the names of those where recreational facilities have not been provided ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मेरे पास इतनी अधिक जानकारी नहीं है ।

कृषि श्रमिक संबंधी स्थायी समिति

*231. **श्री शक्ति कुमार सरकार**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि श्रमिक सम्बन्धी स्थायी समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके निर्देश पद क्या हैं ;

(ख) क्या समिति ने उत्पादी रोजगार की व्यवस्था के जरिये कृषि श्रमिकों को संगठित करने का कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ; और

(घ) इन मामलों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ). कृषि श्रम सम्बन्धी स्थायी समिति की संरचना और उनके विचारार्थ-विषयों और समिति के निर्णयों के अनुपालन में राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही को समाविष्ट करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [सभा-पटल पर रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10203/76] ।

श्री शक्ति कुमार सरकार: सभा पटल पर रखे गये उत्तर से प्रतीत होता है कि सरकार ने एक समिति बना दी थी और उसकी कभी-कभी बैठक होती है । समिति ने समस्याओं पर कितनी बार विचार किया, उसका क्या परिणाम निकला और समिति ने कृषि श्रमिकों, जो अधिकांशत: भूमिहीन हैं, के बारे में श्रम मंत्रालय को क्या सलाह दी है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी: यह स्थायी समिति ऐसे सदस्यों से मिल कर बनेगी, जो विशेषज्ञ हैं और सरकारी अधिकारी भी हैं, और ये सदस्य मिल कर कृषि श्रमिकों से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर सलाह देंगे । अत: समिति की बैठक जल्दी जल्दी नहीं हो सकती है । उसकी कभी-कभी बैठक होती हैं। समिति ने अपनी एक बैठक में यह निर्णय किया कि बन्धित श्रम पद्धति को समाप्त कर दिया जाना चाहिये और इसीलिये बन्धित श्रम को समाप्त करने की बात को प्रधान मंत्री के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है । इससे सम्बन्धित विधेयक राज्य सभा ने पहले ही पारित कर दिया है और अब इस पर लोक सभा में विचार होने वाला है ।

श्री शक्ति कुमार सरकार: उनके अध्ययन से मालूम हुआ है कि पश्चिमी बंगाल में बनानबेग्राम नामक ग्राम की स्थिति पर विचार किया गया है। परन्तु उनका आरम्भिक उत्तर उत्साहवर्द्धक नहीं है । उत्तर में यह बताया गया है कि विभिन्न सरकारी अभिकरणों के सहयोग से इन लोगों के लिये उत्पादक रोजगार योजनायें और कार्यक्रम तैयार करने के लिये नये उपाय किये जा रहे हैं ।

20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में उल्लिखित ग्राम कर्जदारी बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समिति के वस्तुनिष्ठ अध्ययन में इस बात की ओर ध्यान दिया गया था और यदि हां, तो इस अध्ययन का क्या परिणाम निकला है ? ग्राम कर्जदारी को समाप्त करने की घोषणा का क्या परिणाम निकला है और क्या इसका कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : किसी क्षेत्र विशेष की स्थिति को सुधारने के बारे में मुझे बताया गया है कि अब कुछ प्रयत्न किये जा रहे हैं। जहां तक ग्राम कर्जदारी का सम्बन्ध है, समिति

ने न्यूनतम मजूरी के प्रश्न पर सामान्य रूप से विचार किया है और सिफारिश की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मंजूरी का पुनरीक्षण होना चाहिए। राज्य सरकारों ने इस मामले में कार्यवाही की है। ग्राम कर्जदारी राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार का विषय है और राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैंने समिति के गठन पर विचार किया है। इस समिति में एक व्यक्ति को छोड़ कर कृषकोंके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और कोई नहीं है। यह समिति केवल कुछ अधिकारियों और कुछ आर्थिक विशेषज्ञों सेमिल करबनी है। यह समिति जिस तरह से अबतक कार्य करती रही है उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह उत्पादक रोजगार की व्यवस्था कर के कृषि श्रमिकों को संगठित करने और विशेषकर 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के संदर्भ में जो कुछ करना है उसके बारे में, जिसकेलिए मानव और सामग्री के रूप में कृषि सम्बन्धी साधनों को जुटाने के लिए बहुत कुछ करना अपेक्षित है, क्या कुछ कर पायेगी। क्यों इस समिति के गठन से, जिस तरह से समिति कार्य कर रही है, कोई सहायता मिल सकती है?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं इस समिति के सदस्यों की अर्हताओं का विश्लेषण नहीं करना चाहता हूं मैं माननीय सदस्य को आश्वासनदे सकता हूं कि इससमिति के सभी सदस्य कृषि श्रमिकों की समस्याओं से पूर्णतया अवगत हैं। उदाहरणार्थ श्री पन्ना लाल दास गुप्त जो पश्चिम बंगाल से हैं, वहां पर योजना आयोग के सदस्य हैं। इसी प्रकार कई समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री तथा इस समस्या से सम्बन्धित अधिकारी भी इस समिति के सदस्य हैं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : चूंकि अधिकांश कृषि श्रमिकों का काम मौसमी स्वरूप का है इसलिए वहां पर वष के अधिकांश भाग में वे बेरोजगार रहते हैं और इसलिए वे नगरों की ओर आते है और वहां पर समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। क्या समिति ने रोजगार देने या ऐसे गांवों में, जहां कृषि कार्य नही है, लाभप्रद रोजगार देने के लिए उपाय और साधन ढूंढने की समस्या पर विचार किया है?

श्री रघुनाथ रेड्डी: यह कोई नई समस्या नहीं है। यह तो एक निरंतर चलने वाली समस्या है जिसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों पर पड़ता है। इस समस्या को कई क्षेत्रों में हल करना है। केवल यही समिति इस समस्या को हल नहीं कर सकेगी, यद्यपि वह इस समस्या पर विचार कर रही है और शायद उन्हेंइस सम्बन्ध में कुछ अध्ययन करने के लिए कहा गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए महाराष्ट्र को केन्द्रीय सहायता

*233. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1973-74, 1974-75 और 1976-76 (दिसम्बर 1975 तक) के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी राशि की मांग की थी तथा केन्द्र ने कितनी राशि दी;

(ख) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सहायता में लगातार कमी होने के कारण राज्य सरकार का कार्यक्रम बिगड़ गया है; और

(ग) क्या कम से कम वर्ष 1975-76 के दौरान पर्याप्तकेन्द्रीय सहायता दी जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा अन्तिम आवंटन के समय बताई गई मांग तथा गत 2 वर्षों के दौरान संवीक्षा के बाद आवंटित धनराशि, जिसमें अस्वीकार्य मद शामिल नहीं है, निम्न प्रकार है:—

वर्ष	बताई गई मांग	आवंटित धनराशि
		(रु० लाखों में)
1973—74	1175.02	931.00
1974—75	741.00	710.00

1975-76 में राज्य सरकारों को, जिनमें महाराष्ट्र भी शामिल है, अन्मित आवंटन कार्यों को वास्तविक प्रगति के आधार पर फरवरी/मार्च, 1976 के प्रारम्भ में प्राप्त होने वाली राज्य सरकारों की अन्तिम आवश्यकताओंपर निर्भर करता है, परन्तु महाराष्ट्र को दिसम्बर, 1975 तक राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आवंटन की राशि 584.00 लाख रुपये थी।

(ख) वर्तमान वित्तीय कठिनाई से उत्पन्न होने वाले अपेक्षाकृत अल्प आवंटनों से लगभग सभी राज्यों में, जिनमें महाराष्ट्र भी शामिल है, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कार्यान्वयन कार्यक्रम की गति निस्संदेह कुछ हद तक धीमी हो गयी है।

(ग) केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के प्रति पूरी तरह से सजग है और जितना अधिक से अधिक हो सके, धन देने का प्रयत्न कर रही है। इसे ध्यान में रखते हुए यह पहले ही निश्चय किया गया है कि 1975-76 में महाराष्ट्र के लिए आवंटन राशि 584 लाख रुपयेसे बढ़ाकर 628 लाख रुपये की जाये।

श्री शंकरराव सावन्त : प्रश्न के भाग (क) का उत्तर अधूरा है। 1975-76 के लिए राज्य सरकार ने कितनी राशि मांगी थी ?

श्री दलबीर सिंह : मेरे विचार में यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से नहीं उठता है.....

अध्यक्ष महोदय : क्या वर्ष 1975-76 के लिए महाराष्ट्र की मांग के बारे में आप के पास जानकारी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : यद्यपि यह एक विशिष्ट प्रश्न है। जनवरी, 1975 में महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिमीतट के विकास के लिए 134.07 लाख रुपये का प्राक्कलन भेजा था। इसकी संवीक्षा की गई और अन्ततः 117.27 लाख रुपए की मंजूरी दी गई और तब तक कोलाबा जिला से गुजरने वाले पश्चिमी तट की मरम्मत और विकास के लिये 58 लाख रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं।

श्री शंकरराव सावन्त : 1975-76 मे 628 लाख रुपए के आवंटन में होने वाली वृद्धि से यह स्पष्ट हैं कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष का आवंटन कम होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार को आयकर से होने वाली आय में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, क्या सरकार राज्य में कार्य की गति को बनाये रखने के लिए इस परियोजनागत आवंटन में और वृद्धि करेगी।

श्री दलबीर सिंह : आर्थिक प्रतिबन्धों के कारण इस वर्ष रकम में कोई वृद्धि करना सम्भव नहीं होगा।

औद्योगिक एवं व्यावसायिक बीमारियों में वृद्धि

*234. **श्री धामनकर** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यह औद्योगिक एंव व्यावसायिक बीमारियों की संख्या में गत तीन वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां तो क्या प्रतिरोधक सुरक्षात्मक तथा निवारक उपाय किए गए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) (क) 1971,1972 और 1973 में कारखाना अधिनियम की धारा 89 के अन्तर्गत सूचित किए गए विषायण और बीमारियों के मामलों की संख्या क्रमश 14,19 और 17 थी।

(ख) कारखाना श्रमिकोंकी सुरक्षा स्वास्थयऔर कल्याण कारखाना अधिनियम 1948 और उसके अन्तर्गत निर्मित राज्य नियमों के उपबंधों द्वाराविनियमित होते है। राज्य सरकारें कारखाना अधिनियम और उसके अन्तर्गत निर्मित किए गए नियमों को प्रशासित करती हैं। राष्ट्रीय श्रमविज्ञान केन्द्र और क्षेत्रीय श्रम विज्ञान केन्द्र औद्योगिक स्वास्थय संबंधी समस्याओं के अध्ययन और समाधान के लिए व्यावसायिक सहायताप्रदान करते हैं।

श्री धामनकर: मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि वर्ष 1971,1972 और 1973 में कारखाना अधिनियम की धारा 89 के अधीन अधिसूचित किए गए विषायण और बीमारीयों के मामलों की संख्या क्रमश 14.19 और 17 थी। परन्तु गत दो वर्षों में रासायनिक उद्योगों में हुए विस्तार के कारण न केवल वहां पर कार्यरत श्रमिकों के ही परन्तु इन कारखानों के आसपास रहने वाले लोगोंके श्वासन अंगों और पाचन क्रिया पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कुछ ऐसे भी कारखाने है जिन पर कारखाना अधिनियम लागू नहीं होता है तथापि उनके कारण श्रमिकों तथा उनकेआसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थय पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ चुने हुए उद्योगों में श्रमिकों तथा उनके आसपास रहने वाले लोगों को होने वाली औद्योगिक एंव व्यवसायिक बीमारियों का पता लगाने के लिए हाल ही के वर्षों में कोई सर्वेक्षण या अध्ययन किया गया है और यदि हां तो उद्योग-वार विशेष कर रासयनिक उद्योग जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के बारे में किए गए अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं और क्या सरकार ने इस अध्ययन दल द्वारा कही गई बातो पर गम्भीरता से बिचार करने के पश्चात उद्योगो में कार्यरत श्रमिकों तथा कारखानों के आसपास रहने वाले लोगों को होने वाली व्यावसायिक बीमारियों और संकटों को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए कोई उपाय किए हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : कारखाना अधिनियम, राज्य सरकारें प्रशासित करती हैं और जब कभी आवश्यक होता है राज्य सरकारें ही यह जानकारी एकत्र करती हैं। इस मामले से निपटने के लिये केन्द्रीय श्रम संस्था और प्रादेशिक श्रम संस्थायें इस मामले में सहायता करती हैं। जो आंकड़े दिये गये हैं वे विभिन्न राज्य सरकारों से ही एकत्र किये गये हैं। अन्य जानकारी एकत्र करनी पड़ेगी। रासायनिक उद्योगों के परिणामस्वरूप होने वाले खतरों के बारे में अध्ययन करने के माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये। मैं श्रम संस्था को इस समस्या का अध्ययन करने और अपने सुझाव देने के लिये कहूंगा।

श्री धामनकर: उन लोगों के बारे में क्या हो रहा है, जो इन उद्योगों के आसपास रहते हैं। उदाहरणार्थ बम्बई में चेम्बूर में उर्वरक कारखानों तथा अन्य कारखानों का वहां पर रहने वाले लोगों के श्वसन अंगो और पाचन क्रिया पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

अध्यक्षमहोदय : इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया कि वह इस मामले का अध्ययन करने के लिये कहेंगे।

श्री के० लकप्पा: ऐसे क्षेत्रों में, जहां बड़े बड़े कारखाने हैं, वातावरण से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की समस्या ने विभिन्न राज्यों में चिन्ताजनक रूप धारण कर लिया है और यह समस्या मुख्यतः वायु दूषण और जलदूषण के कारण है। इस समस्या को हल करने के लिए इस सभा में भी समितियां बनाई गई हैं। इसी सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि इस स्थिति का पता लगा कर आवश्यक उपाय करने के लिए इस मंत्रालयने वायु एवं जल दूषण समिति की सिफ़ारिशों के अनुसरण में कोई छानबीन की है और श्रमिकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये भी क्या कार्यवाही की गई है?

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य का प्रश्न शरीर विज्ञान और वातावरण के दूषण से सम्बन्धित अध्ययन के अन्तर्गत आता है जब कि मेरा सम्बन्ध कारखाना विधि से है। अतः मैं इस सामान्य प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : देश में अधिकांश रेयान कारखानों, जो बिरला बन्धुओं जैसे बड़े-बड़े कारोबार गृहों के प्रबन्धाधीन हैं, के बारे में लोगों ने राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार से शिकायतें की हैं और हजारों श्रमिकों ने मिलकर लोक सभा को याचिका भी दी है, परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे रेयान उद्योग के श्रमिकों, जिनका सदा रासायनिक उत्पादों से वास्ता पड़ता है, स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए कोई उपाय नहीं किये गये हैं। इन शिकायतों के बारे में माननीय मंत्री ने क्या कार्यवाही की है?

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य का प्रश्न समान्य प्रकार का है। यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट प्रश्न पूछें, तो . . . .

श्री दीनेन भट्टाचार्य: यह प्रश्न आपके उत्तर से ही उठा है। वह श्रममंत्री हैं उन्हें सब बातों का पता होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आप पहले कृपया उनके उत्तर को देखो, जो उन्होंने दिया है, और फिर बतायें कि क्या मैं यह पूछ सकता हुं कि नहीं । उन्होंने यही कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और वह श्रम मंत्री के आसन पर आसीन हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

प्रति जहाज प्रतीक्षा दिवसों की औसत संख्या

*236. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत में प्रति जहाज प्रतीक्षा दिवसों की औसत संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उक्त औसत विश्व औसत की तुलना में अधिक है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां ।

(ख) औसत अन्य जहाजों के साथ-साथ खाद्य और उर्वरक जहाजों के प्रतीक्षा दिवसों की संख्या को लेकर निकाली जाती है । वृद्धि मुख्यतः खाद्य और उर्वरक जहाजों के प्रतीक्षा दिवसों द्वारा बताई जाती है, जिसके निम्न कारण हैं --

(i) खाद्यान्न, उर्वरक और इसके कच्चे माल के आयात में वृद्धि ।

(ii) भारतीय खाद्य निगम द्वारा माल उठाने और खाद्यान्न और उर्वरक की ढुलाई के लिये रेलवे द्वारा रेलवे वैगनों की सप्लाई में कठिनाइयां ।

(iii) कुछ पत्तनों पर खाद्य एवं उर्वरक जहाजों की सामूहिक पहुंच से घाट तक लगने से पूर्व ठहराव समय में वृद्धि ।

(ग) किसी एक देश के पत्तनों की किसी दूसरे प्रदेश के पत्तन से तुलना करना कठिन है, क्योंकि अलग-अलग पत्तनों की स्थितियां भिन्न-भिन्न होती हैं । विकासशील देशो में पत्तन साधारणतया श्रम प्रधान होते हैं और विकसित देशों के पत्तनों में धरा-उठाई आधुनिकतम यंत्रों से होती है । प्रशिया खाड़ी के पत्तनों जैसे विश्व के अनेक पत्तनों में प्रतीक्षा अवधि कभी-कभी प्रति जहाज 3 महीनों तक होती है, जब कि विकसित देशों में जहां माल का उतार-चढाव कार्य पूर्ण रूप से यन्त्रों से किया जाता है, ठहराव कम होता है । लाइनर कान्फ्रेन्स कम्पनियां उन पत्तनों पर संकुलन अधिभार लगाती हैं, जहां घाट पर लगाने से पूर्व ठहराव अधिक होता है । इस समय कई सम्मेलनों ने पश्चिम एशिया खाड़ी के विभिन्न पत्तनों पर संकुलन अधिभार लगाया है, परन्तु सभी भारतीय पत्तन से ऐसे अधिभार से मुक्त हैं ।

वित्तीय साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये लोह अयस्क, खाद्यान्न उर्वरक कोयले जैसे खुले माल की यंत्रीकृत धरा-उठाई की योजनाओं पर कार्यवाही की जा रही है और इससे हमारे पत्तनों पर जहाजों के ठहराव कम करने में सहायता मिलेगी ।

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी प्रश्न का उत्तर लम्बा हो, तो उसे सभापटल पर रखना चाहिये ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी: जब तक मेरे पास पूर्ण विवरण न हो मैं प्रश्न नहीं पूछ सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी प्रश्न का उत्तर लम्बा हो, तो वह विवरण के रूप में देना चाहिये ताकि सदस्य उसका अध्ययन कर सकें ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या प्रश्न किसी और दिन के लिये स्थगित किया जा सकता है ।

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जो० एम० डिसूजा) : उत्तर लम्बा होने का मुझे खेद है ।

श्री इंद्रजीत गुप्त: क्या आपातकाल के बाद से इसमें कोई सुधार हुआ है? हमें इस आशय की सरकारी रिपोर्टें निरन्तर पढने के लिये मिलती रही हैं कि आपात के बाद सभी बड़े पत्तनों में माल उतारने चढाने के काम में कुशलता में बहुत वृद्धि हुई है । क्या आपात के बाद प्रतीक्षा दिनों की औसत में गिरावट का रुख आया है ? मंत्री महोदयने खाद्य निगम द्वारा गोदामों से अपना माल नहीं हटाने के कारण हुई बाधा का विशेष रूप से उल्लेख किया । खाद्य मंत्रालय और खाद्य निगम के सहयोग से यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि आपात के बाद खाद्य निगम द्वारा गोदामों को इस प्रकारनहीं रोके रखा जाये ।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्धहै, पर्याप्त सुधार हुआ है—अनुमानित आंकड़े इस प्रकार हैं: —

सामान्य माल वाहक जहाजों के ठहराव की औसत	पत्तन	अवधि	दिन
	कलकत्ता	जुलाई—दिसम्बर, 1974,	1.71
		जनवरी—जून 1975	1.1
		जुलाई—दिसम्बर, 1975	0.4
	बम्बई	जुलाई—दिसम्बर, 1974	2.54
		जनवरी—जून, 1975	1.51
		जुलाई—दिसम्बर, 1975	0.75
	मद्रास	(मासिक आंकड़े)	
		दिसम्बर, 1974	1.1
		जून, 1975	0.7
		दिसम्बर, 1975	0.5

यह सच है कि हम निरन्तर कार्यवाही करते रहें जिससे कि खाद्य निगम मार्गस्थ शेडों को खाली करे। लेकिन खाद्य निगम की भी कुछ कठिनाइयां हैं—रेलवे माल डिब्बों की अनुपलब्धता, ट्रकों की अनुपलब्धता, संग्रह सुविधाओं की कमी और राज्य सरकारों द्वारा अनाज का कम उठाया जाना। पत्तनों से माल उठाये जाने की गति को तेज करने में हमें इतनी सफलता नहीं मिली है जितनी कि हम वास्तव में चाहते हैं।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या प्रतीक्षा दिनों के अधिक होने का कारण घाटों की कमी है ? यदि हां, तो सभी पत्तनों में घाटों की संख्या बढाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी: बास्तव में उत्तर तीन भागों में हो सकता है। प्रथम, भारी परिमाण वाले माल को सामान्य माल से अलग करने का प्रयास किया जा रहा और उसकी धरा-उठाई के लिये अनेक पत्तनों पर मशीनों की व्यवस्था की जा रही है। सामान्य माल के लिये घाटों की उपलब्धता वास्तविक घाट उपयोग के क्रियाशील होने पर बहुत निर्भर करती है। अतः प्रत्येक पत्तन के मामले में भारी परिमाण वाले माल को अलग करके उस पत्तन पर कुल धरा-उठाई के परिमाण को ध्यान में रखना होगा और फ़िर देखा जा सकता है कि क्या और अधिक घाटों की आवश्यकता है?

श्री एस० आर० दामाणी: क्या आपने माल उतारने में जहाजों के बहुत अधिक समय तक प्रतीक्षा करने के कारण कोई अतिरिक्त प्रतिकर दिया है ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी: इसे डेमरेज कहते हैं। इस समय मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं। मैं जानकारी एकत्र करूंगा।

Shri Narsingh Narain Pandey : Is hon. Minister aware that the Food Department complained that a large quantity of sugar meant for export was left at the port because of non-availability of space in the vessels? If so, what action was taken in this regard ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : जहाजों में जगह न मिलनेके कारण चीनी के नौवहन में विलम्ब होने की कोई शिकायत हमें नहीं मिली है।

बेरोजगारी

*239. **श्री वसन्त साठे**: क्या **श्रम** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे :

(क) क्या शिक्षितों एंव अशिक्षितों की बेरोजगारी में भारी वृद्धि हो रही है और गैर सरकारी एंव सरकारी क्षेत्र में अधिकतर रोजगार लक्ष्य गत तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किए जा सके;

(ख) क्या सरकार ने भगवती समिति की सिफारिशों के आधार पर बेरोजगारी की समस्या का सामना करने के लिए एक समेकित एंव सम्बन्धित कार्यवाही योजना तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और उपलब्धियां क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

विवरण

देश में बेरोजगारी के यथार्थ आंकडे उपलब्ध नहीं है। तथापि पिछले कुछ वर्षों से रोजगारकार्यालयों के चालू रजिस्टरमेंदर्ज नौकरीचाहनेवालों (जो सभी अनिवार्यत बेरोजगार नहीं है) की संख्या में वृद्धि हो रही है परन्तु 1973 से वृद्धि की दर में कमी हुई है। गत तीन वर्षों में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में ऐसे कोई रोजगार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।

भगवती समिति की अन्तिम में की गई सिफारिशों पर योजना आयोग द्वारा स्थापित अन्तर्मन्त्रालय कार्यकारी दल द्वारा विचार किया गया और उक्त समिति की सिफारिशों और उनके संबंध में कार्यकारी दल के विचार संबंधित मंत्रालयों विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजे गए। समिति की रिपोर्ट में की गई कुल 221 सिफारिशों में से अब तक 173 सिफारिशो तथा उन पर की गई कार्यवाही के ब्यौरों पर संबंधित मंत्रालयों के अन्तिम विचार प्राप्त हुए हैं। यह सूचित किया गया है कि पांचवी योजना के अंश के रुप में उठाए गए या प्रस्तावित कदम सामान्यत: समिति की सिफारिशों के अनुरुप हैं बशर्ते कि वित्तीय साधन उपलब्ध हों।

शेष सिफारिशों के बारे में "अधिकार प्राप्त समिति" द्वारा संबंधित मंत्रालयों के साथ प्रभावशाली ढंग से अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है। अधिकार प्राप्त समिति में योजना आयोग, उद्योग और सिविल पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग), कृषि और सिचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) और श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं।

श्री वसन्त साठे : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्गों की बेरोजगारी बढ़ रही है 20 सूत्री कार्यक्रम को विशेष रुप से ध्यान में रखते हुए कृषि-सेवा केन्द्र, स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है? कृषि सेवा केन्द्रों की योजना के अधीन शिक्षित और अशिक्षित परन्तु कुशल कर्मकारों को रोजगार मिलता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सेवाए उपलब्ध करने के और रोजगार देने की व्यवस्था के साथ उत्प्रेरक एजेन्ट के रुप में भी कामकरते हैं। इस सम्बन्धमें क्या उपाय किए गए हैं?

श्री रघुनाथ रेड्डी: 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में इन प्रशिक्षुओं को रोजगार देना भी एक सुत्र है तथा उनके लिए लगभग एक लाख स्थान निकालेगए हैंऔर 96 प्रतिशत अधिक स्थान इस प्रशिक्षु कार्यक्रम द्वाराभरे जा रहे हैं। शिक्षित नवयूवको की बेरोजगारी दूर करने का यह एक पहलू है। जबकि पंच वर्षीय योजनाओं के अधीन विभिन्न विकास योजनाओं की क्रियान्विति के परिणामस्वरुप विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है हमने विभिन्न वर्गों में प्रशिक्षुओं को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए कार्यवाही की है।

श्री वसन्त साठे : मैंने कृषि सेवा केन्द्र योजना के बारे मेंपूछा था।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं जानकारी एकत्र करुंगा।

श्री व संत साठे :; महाराष्ट्र सरकार ने बेरोजगार लोगों को रोजगार गारन्टी देने की एक योजना आरम्भ कीथी जोसूखे केदौरान भी बहुत सफल रही थी। क्या महाराष्ट्र सरकार के अनुभव को ध्यान में रखते हुए उसका लाभ उठाया जायगाऔर अन्य राज्यों में भी ऐसी योजना आरम्भ की जाएगी? इस बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी: निसंदेह महाराष्ट्र सरकार ने एक सार्थक योजना प्रस्तुत की है परन्तु यह योजना तुरन्त अन्य राज्य में क्रियन्वित नहीं की जा सकती है। इसकी ओर सरकार का ध्यान गया है।

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री महोदय से पूछा गया था कि क्या बेरोजगारी में चिन्ताजनक दर से वृद्धि हो रही है परन्तु उत्तर में वे केवल यहकहा गयाहै कि बेरोजगारी के यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं है। रोजगार चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। देश में बेरोजगारी के सही आकार की उन्हें कोई जानकारी न होने के क्या कारण हैं। क्या इनकी संख्या लाखो में नहीं है और क्या बेरोजगारी बढ़ रही है? क्या यह चिन्ताजनक नहीं है? यदि हां, तो इस वद्धि की तीवता कितनी है ?

श्री के० रघुनाथ रेड्डी: ठीक ठीक आंकडे उपलब्ध न होने की बात जो मैने कही उसका कारण यह है कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त बेरोजगारी समिति ये आकडे ठीक ठीक ज्ञात नहीं कर सकी। इसी प्रकार दंडवाला समिति ने भी यह बताया कि इन आकडों को गणितीय रूप में ज्ञात करना सम्भव नहीं है।, अत: मैं कोई ऐसा विवरण देना नहीं चाहता जो विभिन्न समितियों द्वारा बहुत सोच समझ कर दिए गए विवरणों के के विपरीत हो। तो भी विवरण यह है कि वर्ष 1972 में रोजगार कार्यालयों की संख्या 453 थी और 68.96 लाख व्यक्ति उनमें पंजीकृत थे; वर्ष 1973 में रोजगार कार्यलयों की संख्या 464 और 82.18 लाख व्यक्ति उनमें पंजीकृत थे; वर्ष 1974 में रोजगार कार्यालयों की संख्या 481 और उनमें पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 84.83 लाख थी। वर्ष 1975 में जून तक रोजगार कायलयों की संख्या 500 और उनमें पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 87.92 लाख थी।

Shri Onkar Lal Berwa : There are technical training centres, polytechniques and I.I.T's which are being run in the States by the Central Government, but even after completion of training there, the students are still unemployed. I want to know whether the Central Govt. would propose to provide employment first to these trained students and if not, unemployment allowance would be paid to them.

श्री के० रघु ना रेड्डी : केन्द्रीय सरकार के अधीन तो कुछ ही तकनीकी प्रशिक्षिण केन्द्र हैं। अधिकांश केन्द्र राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे है। जैसा कि मैंने आरम्भ में बताया कि प्रशिक्षुता योजना को 20 सूत्री कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षन व्यक्तिओं के विभिन्न कारखानों में प्रशिक्षु के रूप में रखा जा रहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी। जहां तक इस जानकारी का सम्बन्ध है बेरोजगारों की संख्या क करोड़ तक पहुंच गई है और इस प्रकार इस समस्या ने विकट रूप ले लिया है।

रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 40 लाख तक हो गई है, जब भी हमने बेरोजगारी भत्ते का प्रश्न उठाया हमें यह बताया जाता रहा है कि इसके लिए भारी धनराशी की आवशयकता होगी जिसकी व्यवस्था करने में सरकार असमर्थ है। क्या श्रम मंत्री सरकार से यह सिफारिश करेंगे कि भारी मात्रा में जो काला धन पकड़ा गया है उसका थोड़ा सा भाग बेरोजगारी भत्ते पर खर्च करके बेरोजगारी की समस्या हल की जाए।

श्री के० रघुनाथरेड्डी: इस समय सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री एम० राम गोपालरेड्डी : मैं सरकार से वह जानना चाहता हूं कि क्या बेरोजगारों को संख्या बढ़ रही है या इस क्षेत्र में नये व्यक्ति अधिक से अधिक आते जा रहे है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है और वह यदि इसी गति से बढ़ती रही तो क्या वह बेरोजगारी की समस्या को अपने जीवन काल में हल कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। अब अगला प्रश्न किया जाए।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चक्षु रोग

*240. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतया बच्चों में चक्षु रोग अधिक हो रहे हैं;

(ख) यदि हां तो क्या अन्धता दूर करने के लिए हाल ही में कोई नये कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है

विवरण

अन्धेपन को रोकने के लिए किये गये उपाय और उनकी मुख्य-मुख्य बातें

1. पोषण की कमियों के कारण बच्चों में होने वाले अन्धेपन को कम करने के लिए विटामिन 'ए' बांटने का कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया। जिन 10 करोड़ बच्चों को इसके होने का खतरा है उन में से मार्च 1976 के अन्त तक लगभग 87 लाख बच्चों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ला दिया जायेगा।

2. एक राष्ट्रीय रोहे नियंत्रण कार्यक्रम 1963 से चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के 1805 खण्डों में लगभग 14 करोड़ की आबादी को लाया जा चुका है। इस कार्यक्रम ने रोहे की उन विकृत दशाओं को जिनसे व्यक्ति अन्धा हो जाता है पैदा होने से रोककर इस आबादी में लगभग 5 प्रतिशत अन्धेपन को दूर किया है।

3. सरकार जुलाई, 1975 में चेचक को ज़ीरो लेवल पर लाने में सफल रही है । इसके परिणामस्वरूप 3 प्रतिशत व्यक्ति अन्धे होनेसे बच गए ।

4. भिन्न-भिन्न मेडिकल संस्थाओं में मोतियाबिन्द सम्बन्धी आपरेशन किए गए हैं । इन आपरेशनों की वार्षिक संख्या लगभग 5–6 लाख बैठती है ।

5. अन्धेपन की रोकथाम के लिए जितने आदमियों की आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए लगभग 300 नेत्र विशेषज्ञ और 100 नेत्र सहायक विभिन्न मेडिकल कालेजों, जिला अस्पतालों नेत्र अस्पतालों और नेत्र शिविरों में प्रशिक्षण पा रहे हैं ।

6. दृष्टि दोष और अन्धेपन की रोकथाम तथा उनके नियंत्रण की एक राष्ट्रीय योजना तैयार कर ली गई है । इस योजना के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ साथ देश में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अलग अलग चरणों में उपकरणों की व्यवस्था करने की बात भी निहित है ताकि :

(क) नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नेत्रविज्ञान स्वास्थ्य शिक्षा के लिए आधार तैयार किया जा सके;

(ख) आंख के रोगों में विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सा की ज़रूरत वाले रोगियों की स्क्रीनिंग की जा सके;

(ग) आंखों की छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज किया जा सके ; और

(घ) स्कूल जाने वाले बच्चों को खास तौर पर नेत्र चिकित्सा सुविधाएं सुलभ की जा सकें ।

जिला/ताल्लुक अस्पतालों को सुदृढ़ करने, चलते-फिरते नेत्र चिकित्सा एकक, क्षेत्रीय संस्थान और राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान खोलने का भी विचार है ।

श्री पी० गंगादेव: यह देखते हुए कि हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में चक्षु रोगों का प्रकोप बहुत अधिक है, क्या अन्तर्राष्ट्रीय संगठनोंसे सहायता मांगी गयी है और यदि हां, तो उसके बदले में क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि मैंने अपने विवरण में बताया है हम नेत्ररोगों और दृष्टिहीनता की रोकथाम के लिये एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कुछ प्रयत्न किये हैं । दृष्टिहीनता से निपटने वाले कुछ अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इस बात का संकेत दिया है कि यदि हम इसप्रकार का कोई विशाल कार्यक्रम तैयार करें, तो वे हमें मदद दे सकेंगे । इस तरह हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता पाने के लिए प्रयत्नशील हैं ।

श्री पी० गंगादेव: मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या भारत में कोई नेत्र सम्बन्धी अनुसंधान केन्द्र है और यदि हां, तो इस दिशा में, और विशेषकर ट्रेकोमा जैसी जटिल बीमारी तथा गांवों में रहने वाली जनता के लिए अपेक्षित मुख्य मुख्य दवाइयों की आपूर्ति के बारे में उनकी क्या गतिविधियां हैं ?

डा० कर्ण सिंह : भारत में ऐसी अधिकांश संस्थायें चिकित्सा कार्य में और उन में से बहुत सी संस्थाएं अनुसन्धान कार्य में भी संलग्न हैं। स्वयं दिल्ली मे आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ़ मेडिकल साइंसेज में नेत्रविज्ञान का डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्र है जहां पर विभिन्न दिशाओं में, जिनमें ट्रेकोमा रोग और अत्यधिक जटिल पुतली-विस्थापन रोग भी शामिल हैं, काफी अनुसन्धान चल रहा है और उसके लिए 'लेंसर' के उपयोग की संभावना पर खोजबीन हो रही है।

श्री भागवत झा आजाद : विवरण से मुझे पता चला है कि 13 करोड़ रुपये की लागत की जो योजना तैयार की गई है, उस पर देश में दृष्टिहीनता की रोकथाम का भार डाला गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह योजना क्या आयोजना आयोग द्वारा अनुमोदित है या कागजों पर ही है? इसके साथ ही चौथी योजना में अब तक आयोजना आयोग ने मंत्रालय को कितनी धनराशि दी है और क्या वह वचन दी गई धनराशि से बहुत कम है ?

डा० कर्ण सिंह: पांचवीं योजना अर्थात् वर्तमान योजना के दौरान हमें ट्रेकोमा रोग निवारण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए प्रति वर्ष 40 लाख रुपये दिये गये हैं। परन्तु माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि हमने एक बहुत ही विशद कार्यक्रम तैय्यार किया था जिस पर लगभग 13 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान था। यह कार्यक्रम आयोजना आयोग के विचाराधीन है। हमें अब जो कुछ धनराशि मिल रही है उससे अधिक के लिए हम मांग कर रहे हैं परन्तु हमें आशा है कि थोड़ी बहुत अतिरिक्त धनराशि प्राप्त कर लेंगे।

Shri Sarjoo Pandey : In view of the fact that the incidence of night blindness is not only among the children but also among the adults in the country, I want to know the steps being taken by Government to prevent this disease.

Dr. Karan Singh : In many places the incidence of night blindness is partly due to nutritional deficiency. It is therefore proposed that our nutritional programme will also eliminate this disease.

श्री एच० एन० मुकर्जी : कुछ वर्ष पहले हमने एक सरकारी रिपोर्ट देखी थी कि प्रति वर्ष प्रोटीन की कमी के कारण 18,000 बच्चे अंधे हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुये क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी विशिष्ट योजना है जिससे बच्चों की नेत्र-ज्योति चले जाने या बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने का खतरा समाप्त हो जाये ?

डा० कर्ण सिंह : जी हां, दुर्भाग्यवश यह सही है कि प्रतिवर्ष हजारों बच्चे विटामिन 'ए' की कमी से ग्रस्त होकर अंधे हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अपने विवरण के पहले पैराग्राफ में बताया है, इसके लिये हमने एक विटामिन 'ए' घोल विकसित किया है। यदि उसकी एक वर्ष में केवल दो चम्मच की खुराक दी जाये तो वह जिगर में जमा रहता है और वर्षों तक विटामिन 'ए' की कमी को समाप्त कर देता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह कहां उपलब्ध है ?

डा० कर्ण सिंह: यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अब उपलब्ध है। इस वर्ष हम 90 लाख बच्चों को इसकी खुराक दे चुके हैं। देश में 1 करोड़ बच्चे हैं और हमें आशा है कि छठी योजना के अन्त तक पूरी जनसंख्या को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ले आया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दूरसंचार क्षेत्र में नई टेक्नोलोजी

*225. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में दूर संचारव्यवस्था का भारी विकास हो रहा है तथा उसमें नई टेक्नोलोजी आरम्भ की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या ईरान से इन्डोनेशिया तक एशियायी दूरसंचार मुख्य मार्ग के अन्तर्गत आने वाले 14 देशों में भारत भी एक देश है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख). दूरसंचार केक्षेत्र में उपयोग के लिये नई टेक्नोलोजी बड़ी तेजी से सुलभ हो रही है। स्विचिंग के क्षेत्र में स्थानीय ट्रंक और टेलीफोन एक्सचेंजों के लिये कम्प्यूटर नियंत्रित इलैक्ट्रोनिक स्विचिंग, डिजिटल स्विचिंग आदि आधुनिकतम टेक्नोलोजियां हैं। लम्बी दूरी के ट्रांसमिशन उपस्कर के क्षेत्र में आधुनिकतम टेक्नोलोजियों में पल्स-कोड मोडुलेटर, डेटा ट्रांसमिशन, टाइम डिवीजन, तकनीक, कोएक्सियल और माइक्रोवेव प्रणालियां, ट्रोपो स्कैटर और भूउपग्रह संचार शामिल हैं।

संचार मंत्रालय इन टैक्नोलाजियों के इस्तेमाल और इनका धीरे-धीरेदेश में ही उत्पादन करने की सम्भावना के बारे में निरन्तर खोज कर रहा है।

हमारे पास पहले से ही कोएक्सियल केबुल और माइक्रोवेव प्रणालियां हैं। इलेक्ट्रोनिक और डिजिटल स्विचिंग, ट्रोपो स्कैटर प्रणाली, भूउपग्रह संचार आदि केक्षेत्र में अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) जी हां।

व्यापारिक पोत प्रशिक्षण संस्थान

*226. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय की विशेषज्ञ समितिकि व्यापारिक पोत प्रशिक्षण संस्थान के प्रबन्ध में रचनात्मक परिवर्तन करने की सम्भाव्यता पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों): (क) जी हां।

(ख) कार्यदल, जिसने कि ब्यापार पोत प्रशिक्षण संस्थान का प्रबन्ध करने के लिए स्वायत्त संस्था स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया, की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(i) अधिकारियों के व्यापार पोत प्रशिक्षण संस्थान का प्रबन्ध एक स्वायत्त संस्था को सौंपा जाय :

(ii) स स्वायत्त संस्था को राष्ट्रीय समुद्री प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्थान (एन० आई० एम० टी० आर०) के नाम से कहा जाय । जिसका पंजीकरण सोसायटीज अधिनियम के अन्तर्गत लिटरेरी साइंटिफिक तथा चैरिटेबल सोसायटी के रूप में किया जाय ।

(iii) राष्ट्रीय समुद्री प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्थान के कार्य का प्रबन्ध शिखर संस्था "राष्ट्रीय परिषद्" को सौंपा जाय जिसके अध्यक्ष नौवहन तथा परिवहन मंत्री होंगे ।

(iv) अतिरिक्त व्यय को वहन करने के लिये :—

(i) भारत सरकार को अपना वर्तमान अंशदान बढ़ाना चाहिये;

(ii) लगातार वार्षिक अंशदान के आधार पर पोत स्वामियों, मुख्य पत्तनों, पोत निर्माण तथा पोत मरम्मत यार्डों, पोत निर्माण तथा पोत मरम्मत से सम्बन्धित सहायक उद्योगों और सभी राज्य सरकारों से सतत वार्षिक आधार पर उपयुक्त अंशदान जुटाए जाने चाहिये ।

समाचार भारती न्यूज एजेंसी पर टेलीप्रिन्टर सेवा की बकाया राशि

*232. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार भारती न्यूज एजेंसी पर टेलीप्रिंटर सेवा का कितना शुल्क बकाया है ; और

(ख) शुल्क वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) 2.12 लाख रुपये ।

(ख) मैसर्स समाचार भारती के नाम बकाया राशि कम करने के लिये पत्र-व्यवहार के जरिये लगातार प्रयत्न किये गये हैं । उन्हें बकाया रकम की अदायगी 10 किस्तों में करने की भी अनुमति दी गई थी । जब उन्होंने यह रकम अदा नहीं की तो काफी अर्से से पड़े बिलों का भुगतान न करने के कारण उनके पास रजिस्ट्री से नोटिस भेजने के बाद नवम्बर, और दिसम्बर, 1975 में 11 सर्किटों से सेवा हटा ली गई । अन्य सर्किटों के सम्बन्ध में भी बकाया बिलों की अदायगी करने के लिये नोटिस भेजे गये हैं । अदायगी न करने पर इनसर्किटों से भी सेवा हटाई जा सकती है ।

घोगरघाट में सड़क पुल का निर्माण

*235. **श्री बी० आर० शुक्ल**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घोगरघाट (उत्तर प्रदेश) में घोगरा नदी पर सड़क पुल के निर्माण पर आने वाली लागत का अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे राष्ट्रीय योजना में शामिल करने की सिफारिश की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) पुल की लागत, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुमान लगाया है, पांच करोड़ रुपये है ।

(ख) राज्य सरकार ने इस पुल को पांचवीं योजना के दौरान अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़क/पुलों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अपने प्रस्तावों में शामिल किया है । चूंकि इस कार्यक्रम पर अन्तिम निर्णय अभी किया जाना है, अतः इस समय इसकी स्थिति बताना समयपूर्व होगा । इसके अलावा राज्य सरकार ने भी अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ नेपालगंज को छोड़ने वाली सड़क की पांचवीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें यह पुल भी आ सकता है, परन्तु चालू वित्तीय कठिनाइयों के कारण सरकार इस समय किसी भी नई सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में लेने में असमर्थ है ।

अफ्रीकी-एशियाई देशों अथवा गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का शान्ति तथा सुरक्षा सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव

*237. **श्री शशि भूषण** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हेलसिंकी में हुये यूरोपीय शान्ति तथा सुरक्षा सम्मेलन पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) क्या सरकार का अफ्रीकी एशियायी देशों अथवा गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का शान्ति तथा सुरक्षा सम्मेलन बुलाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) भारत सरकार ने हेलसिंकी में यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग सम्मेलन की सफलतापूर्ण समाप्ति का स्वागत किया है और यह आशा व्यक्त की है कि तनाव की कमी और सहयोग की प्रक्रिया का विस्तार संसार के अन्य भागों में भी होगा ।

(ख) जी नहीं ।

देश में रक्तदान को व्यवसाय बनाने के लिए निरुत्साहित करने की कार्यवाही

*238. **श्री यमुना प्रसाद मंडल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 65 प्रतिशत से अधिक रक्तदान व्यवसाय करने वाले रक्तदाताओं से प्राप्त होता है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में रक्तदान को व्यवसाय बनाने के लिए निरुत्साहित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी हां ।

(ख) रक्तदान के काम को व्यवसाय के रूप में चलाने को निरुत्साहित करने के लिये नीचे लिखे कदम उठाये गये हैं :—

(1) गामा ग्लोबुलिन तथा मानव-प्लेसेण्टा से लिये गये मानव सीरम अल्बुमिन को छोड़कर सभी प्रकार के मानव रक्त और रक्त से बनी चीजों के निर्यात पर पूरी पाबन्दी लगा दी गई है ;

(2) स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करने वालों का उपयोग करने की बात को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक एजेन्सियों को सहायता स्वरूप अनुदान देने की एक योजना चलाई गई है ; और

(3) सभी रक्त बैंकों को लाइसेंस देने तथा मानक निर्धारित करने के लिये भारतीय औषधकोश में संशोधन करने की एक योजना तैयार की जा रही है ।

Proposal for Sino-Indian Talks

*241. **Shri Shanker Dayal Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether he had a talk with the Chinese delegate at the Session of the United Nations Organisation held recently; and

(b) whether there is any proposal on behalf of either China or India for holding talks in the near future ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) No, Sir.

(b) There is no such proposal at present.

हिन्द महासागर के बारे में आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री का वक्तव्य

*242. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री ने यह वक्तव्य दिया है कि यह कहना अव्यवहारिक है कि हिन्द महासागर शान्ति क्षेत्र होना चाहिये जिसमें कोई युद्धपोत न चल सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) सरकार ने इस आशय की रिपोर्ट देख ली है ।

(ख) हिन्दमहासागर के प्रश्न पर हमारीस्थिति सबको मालूम है । हम हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने की तात्कालिकता और आवश्यकता के बारे में आश्वस्त हैं । बहुत बड़ी संख्या में तटवर्ती और भीतरी प्रदेशों ने इस सिद्धान्त को मान लिया है और वे इसकी पूर्ति के लिये काम कर रहे हैं ।

Treatment with Indians in East African countries

*243. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether the Indians in East African countries such as Uganda, Kenya, Tanzania a not treated at par with the citizens of these countries; and

(b) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) & (b). While non-nationals cannot expect the same privileges as the citizens of the country concerned, it has been our constant effort to ensure that Indian nationals are not subjected to any discriminatory treatment in any country in comparison with other foreign nationals. We have had no report of any major discriminatory legislation against Indian nationals having been enacted in the recent past by the Government of these countries, with the exception of Kenya.

The Government of Kenya recently issued orders imposing restrictions on visitors from Asian countries regardless of their passports. We have taken up the matter with the Government of Kenya, both in Delhi and through our High Commission in Nairobi, that such restrictions on Indian nationals being discriminatory and not in keeping with the friendly relations between the two countries should be removed. The reactions of the Government of Kenya are awaited.

'कारमोहन' नौवहन कम्पनी द्वारा नौवहन ढुलाई-दर में कटौती

*244. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कारमोहन' नौवहन कम्पनी भारतीय पत्तनें से लादे गये माल के लिए नौवहन-ढुलाई में कमी करने के लिये सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जो० एस० ढिल्लों) : (क) और (ख). 'कारमोहन' सम्मेलन ने भारतीय पत्तनों से यू० के० और महाद्वीप के पत्तनों को लादे गये माल के लिये बुनियादी भाड़े में किसी कमी की घोषणा नहीं की है, परन्तु सम्मेलन ने स्वेज नहर के फिर से खुलने के बाद से स्वेज अधिभार, बंकर अधिभार और करेंसी अडजस्टमेंट फैक्टर की मात्रा में कुछ कमी की है।

P.F. outstanding against Textile Industries

1018. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the amount of provident fund outstanding against the textile industries taken over by Government during 1972-73, 1973-74 and 1974-75; and

(b) the steps taken by Government to realise the amount together with interest ?

The Minister of Labour(ShriK. V.Raghunatha Reddy): The provident fund authorities have intimated as under:—

(a) Arrears of provident fund contributions from Textile Industries is indicated below:—

(Rs. in lakhs)

Year	Amount
1972-73	1192
1973-74	1063
1974-75	1045

which, as on 31-10-1975, a sum of Rs. 769·39 lakhs was outstanding against textile mills taken over by the Government under the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974.

(b) In the case of sick textile Mills taken over by Government as on 31-10-1975, Recovery Certificates have been issued under Section 8 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 in 68 cases. Prosecutions under Section 14 of the Act have been initiated in 84 cases.

बम्बई टेलीफोन्स तथा महाराष्ट्र सर्किल में क्रास-बार एक्सचेंजों का कार्य-करण

1019. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाँडे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई टेलीफ़ोन्स में और महाराष्ट्र सर्किल में कितने-कितने क्रास-बार एक्सचेंज हैं और क्या ये क्रास-बार एक्चेंज सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहे है ; और

(ख) बम्बई टेलीफ़ोन्स और महाराष्ट्र में 'रजिस्टर कपलर्स' जैसे क्रास-बार उपकरणों में उसतारीख के बाद कितनी बार सुधार किया गया और कितनी बार पुन: सुधार किया गया जब से वे चालू किये गये ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) बम्बई टेलीफ़ोन्स में आठ क्रास-बार एक्सचेंज हैं और शेष महाराष्ट्र में एक क्रास-बार एक्सचेंज है । ये एक्सचेंज खास तौर पर सन्तोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं । इनमें से कुछ एक्सचेंजों के उपस्कर में संशोधन कर दिया गया है और शेष एक्सचेंजों के उपस्कर में संशोधन किया जा रहा है। यह काम पूरा हो जाने पर आशा है कि ये एक्सचेंज और भी बेहतर सेवा देने लगेंगे ।

(ख) क्रास-बार एक्सचेंज चालू हो जाने के बाद उनके कार्यकरण में कुछ अपर्याप्ततायें पाई गई थीं, जिनकी ब्यौरेवार जांच की गई थी । कुछ महत्वपूर्ण सर्किटों में, जिनमें रजिस्टर कपुलर्स भी शामिल हैं संशोधन का काम शुरू कर दिया गया है । प्रारम्भ में इन संशोधनों का उद्देश्य प्रणाली की अपर्याप्तता में सुधार करना था ताकि भारी यातायात का आवागमन संभव हो सके । सम्पर्क सुरक्षा सम्बन्धी (कांटैक्ट प्रोटैक्शन) कुछ कमियां उपस्कर के कुछ समय तक चालू रहने के बाद मालूम हुई थीं । यही कमियां इस समय सुधारी जा रही हैं ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम में पंचायतों को सम्बद्ध करना

1020. **श्री नारायण चन्द पराशर**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में ग्राम स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम में पंचायतों को सम्बद्ध किया जा रहा है ; और

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(i) राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में पंचायतों और पंचायती राज संस्थाओं को लगाने के लिए भारत सरकार ने 5 सितम्बर, 1974 को सभी राज्य सरकारों को उचित मार्गदर्शक सिद्धान्त दे दिये थे । इस कार्यक्रम का अभिप्राय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन प्राधिकारियों तथा सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज संगठनों के बीच राष्ट्रीय और निचले स्तर पर, विशेषकर क्षेत्रीय स्तर पर, जहां इन सेवाओं से काफ़ी अच्छे परिणाम निकलने की आशा है, और अधिक समन्वय स्थापित करना है । इसलिए, राष्ट्रीय राज्य, जिला और ब्लाक स्तरों पर विशिष्ट प्रकार के संगठन बनाने का सुझाव दिया गया है । पंचायती राज और सामाजिक संगठन अपने आपको किस प्रकार सफलतापूर्वक इस कार्य में लगा सकते हैं, इन कार्यकलापों की एक विस्तृत सूची राज्य सरकारों को भेज दी गई है ।

(ii) अखिल भारतीय पंचायत परिषद्, नई दिल्ली को एक परिवार नियोजन एकांश स्थापित करने के लिए, जिसका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रम के कार्यान्वयन

में पंचायती राज संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय को सुनिश्चित बनाना होगा, 50,000/-- रुपये का सहायता-अनुदान संस्वीकृत कर दिया गया है ।

(iii) इस कार्य की प्रगति को देखने के लिए, केन्द्रीय परिवार नियोजन विभाग में संयुक्त सचिव और आयुक्त परिवार नियोजन की अध्यक्षता में एक अन्तर्विभागीय समन्वय दल का गठन किया गया है, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है ।

कर्नाटक के विभिन्न नगरों से नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र

1021. **श्री एस० एम० सिद्धय्या**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में बंगलौर नगर, मैसूर नगर तथा अन्य नगरों में टेलीफ़ोन कनेक्शनों के लिये 31दिसम्बर, 1975 तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए; और

(ख) उन सब को टेलीफोन कनेक्शन कब तक मिल जायेंगे ?

संचार मंत्री (डा० शंकरदयाल शर्मा): (क) और (ख). तारीख 31-12-1975 तक टेलीफ़ोन कनेक्शनों के लिए प्राप्त अर्जियों की संख्या इस प्रकार है :--

	ओ०वाई०टी०	गैर ओ०वाई०टी०	योग
(i) बंगलूर सिटी	1476	12470	14946
(ii) मैसूर सिटी	101	1054	1155
(iii) कर्नाटक के अन्य शहर	90	5580	5670

आशा है कि वर्ष 1976 के अन्त तक ओ०वाई०टी० श्रेणी के अन्तर्गत दर्ज सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे और गैर ओ०वाई०टी० श्रेणी के आवेदकों को एक्सचेंज-क्षमता में समाई के अनुसार उत्तरोत्तर टेलीफोन कनेक्शन दिये जाएंगे ।

Expulsion of Indians from Saigon

1022. **Dr.Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indians who have already come to India from Saigon and also those who are expected to come in the near future;

(b) whether they have been expelled from Saigon; and

(c) the steps taken by Government for providing them shelter and other facilities ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) 368 Indian nationals, including dependants, reached Madras on January 1 and 8, 1976. Approximately 150 Indians, including dependants, are expected to come to India in the near future.

(b) No, Sir.

(c) The Indian nationals came to Madras by air and went to the destinations of their choice. They did not need shelter etc. During their transit, however, they were received and looked after by represntatives of the Ministries of External Affairs and Rehabilitation, the Indian Red Cross Society and the Department of Rehabilitation of the State Government.

हिन्द महासागर में विदेशी अड्डे

1023. **श्री समर गुहः** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के दीगो गार्सिया अड्डे के अतिरिक्त हिन्द महासागर क्षेत्र में किसी अन्य विदेशी शक्ति ने तट से दूर अथवा तट पर कोई अन्य सैनिक अथवा अन्य प्रकार के अड्डे बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास): (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने विशेषज्ञों के दल की सहायता से जो ब्यौरा तैयार किया है, उसके अनुसार, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और अमरीका के हिन्द महासागर में कई नौसैनिक और सैनिक सुविधा-स्थल हैं। इन सुविधाओं का विवरण इस प्रकार है :

यूनाइटेड किंगडम: (i) गानऔर हिटाडू द्वीप समूह (मालदीव) में हवाई अड्डा तथा रेडियो संचार केन्द्र ;

(ii) मसीराह (मस्कत) में हवाई अड्डा ;

(iii) मारीशस में हवाई सुविधाएं और नौसेना संचार सुविधाएं ।

फ्रांस : जिबुती (अफ़ार्स और इसास के प्रदेशों में) में सैनिक और नौसैनिक अड्डा और ला रियूनियन में रेडियो संचार केन्द्र ।

अमरीका : दिएगो गार्सिया में सुविधाओं के अलावा, (i) उत्तर पश्चिम अन्तरीय (आस्ट्रेलिया ; (ii) असमारा (इथियोपिया) में सैनिक तथा संचार केन्द्र; और (iii) माहे (सीचेर्लोस) में उपग्रह अन्वेषण सुविधाएं ।

Derecognition of the Foreign Medical Degrees

1024. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to derecognise foreign medical degrees; and

(b) whether there is also a scheme to call back the medical students studying abroad under the said decision ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. M. Ishaque) (a) No. After the announcement of the General Medical Council of U.K. on 22nd May, 1975, regarding withdrawal of the facility of permanent registration to Indian Doctors holding qualifications from recognised medical colleges, British medical qualifications have recently been deleted from the Second Schedule of Indian Medical Council Act, 1956. However, these qualifications have been included in Part II of the Third Schedule to enable continued recognition of these qualifications when held by Indian nationals only.

(b) No.

हिन्द महासागर को शाँति क्षेत्र बनाने हेतु सामूहिक सुरक्षा प्रणाली के लिए प्रस्ताव

1025. **श्री सरजू पाँडे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान तथा श्रीलंका ने हिन्द महासागर क्षेत्र के तटवर्ती तथा पृष्ठ भाग के राज्यों से हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रणाली के प्रति वचनबद्ध होने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिश्नपाल दास) : (क) 19 दिसम्बर, 1975 को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री, श्री जेड० ए० भुट्टो की यात्रा की समाप्ति पर जारी किए गए सम्मिलित वक्तव्य में, पाकिस्तान और श्रीलंका इस पर सहमत हुए कि हिन्द महासागर शान्ति क्षेत्र के सिद्धान्त का समर्थन: "तटवर्ती और भीतरी प्रदेशों द्वारा सार्वभौमिक सामूहिक सुरक्षा के प्रति वचनबद्धता" के जरिये किया जाना चाहिए ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र हिन्दमहासागर समिति में कई ऐसे प्रस्ताव आए हैं जो हिन्द महासागर में शान्ति क्षेत्र की स्थापना के विषय पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव की क्रियान्विति के विभिन्न पहलुओं के बारे में हैं । हमारे ख्याल में मुख्य समस्या इस क्षेत्र में विदेशी सैनिक अड्डों का बढ़ना है जिससे निश्चय ही तनाव और बड़े देशों में स्पर्द्धा बढ़ती है और हम समझते हैं कि तटवर्ती तथा भीतरी प्रदेशों के सभी प्रयास, प्राथमिकता के आधार पर, अड्डों की ऐसी उपस्थिति को जल्दी समाप्त करने की दिशा में होने चाहिएं ।

नई दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन की व्यवस्था

1026. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नईदिल्ली और भुवनेश्वर के बीच डायल घुमा कर सीधे टेलीफ़ोन करने की व्यवस्था किस समय से आरम्भ की जायेगी; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख). आशा है कि भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा वर्ष 1976–77 के दौरान चालू हो जाएगी । इसके लिए अपेक्षित संख्या में सर्किट उपलब्ध करने के लिए उपस्कर की स्थापना का काम चल रहा है ।

बीड़ी कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन

1027. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के बीड़ी कामगारों के न्यूनतम वेतन की अदायगी के बारे में निर्गमों की क्रियान्विति की राज्यवार रूपरेखा क्या है ; और

(ख) देश में बीड़ी कामगारों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) 27–28 सितम्बर, 1974 को हुए राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया था कि बीड़ी उद्योग में मजदूरियों की न्यूनतम दरें, 1000 बीड़ियां लपेटने के लिए 4.50 रु०, 5.00 रु० तक की सीमा के भीतर और आगे संशोधित की जायेंगी। एक विवरण जिसमें विभिन्न राज्यों में बीड़ी उद्योग में मजदूरी दरों की वर्तमान स्थिति दी गई है, संलग्न है (परिशिष्ट)।

[न्यालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10204/76]

(ख) प्रौद्योगिक परिसरों में नियोजित बीड़ी श्रमिकों से सम्बन्धित सूचना निम्नानुसार है :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बीड़ी श्रमिकों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	2,17,529
गुजरात	2,345
त्रिपुरा	319
महाराष्ट्र	2,71,160
तमिलनाडु	26,679
पांडिचेरी	44
केरल	29,084
असम	1,200
बिहार	9,357
उड़ीसा	5,264
मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 'ट्रिप्ल ऐंटीजन' का उत्पादन

1028. श्री रानेन सेन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार का विचार पूर्वी कलकत्ता में स्वास्थ्य विभाग के वैक्सीन इन्स्टीट्यूट में "ट्रिप्ल ऐंन्टीजन" का उत्पादन करने का है ; और

(ख) यदि हां,तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

1029. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के समक्ष वित्तीय पाबन्दियां आने के परिणाम-स्वरूप देश में मलेरिया की स्थिति बिगड़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :

(क) देश में मलेरिया की स्थिति में गतिरोध के जहां और भी अनेक कारण हैं वहां राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के सामने उपस्थित आर्थिक बोझ भी इसका एक कारण है।

(ख) इस समस्या से निपटने के लिए जो कदम उठाये गये हैं / अथवा उठाये जाने हैं उनका एक विवरण संलग्न है।

विवरण

देश में मलेरिया पर काबू पाने के लिए की गई/की जाने वाली कार्यवाही

1. विशेषज्ञों की समितियों ने 1974 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा की थी। पहली समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि चूंकि देश में मलेरिया को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य को निकट भविष्य में प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए "मलेरिया के कारगर नियंत्रण" को ही तत्काल लक्ष्य माना जाए। दूसरी समिति ने सिद्धान्ततः उक्त सिफारिश का समर्थन किया था और यह सुझाव दिया था कि स्थिति का वास्तविक जायजा लेने की एक नई कार्यप्रणाली अपनाई जाए अर्थात् मलेरिया रोग की घटनाओं और पहले किए गए अध्ययनों आदि के अनुसार देश को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाए और हरेक भाग के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली अपनाई जाए। इन सिफारिशों पर आधारित मलेरिया कार्यों के लिए एक नई कार्यप्रणाली तैयार की जा रही है।

2. ऐसे 28 कस्बों में, जहां मलेरिया रोग एक समस्या बना हुआ है, शहरी मलेरिया योजना को लागू कर दिया गया है। जैसे जैसे धन उपलब्ध होता जाएगा वैसे वैसे यह योजना अन्य कस्बों में भी आरम्भ कर दी जाएगी।

देश में मलेरिया का पुनः फैलना

1030. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मलेरिया पुनः फैलने लग गया है;

(ख) यदि हां, तो इस रोग से कौन-कौन से क्षेत्र खास तौर से प्रभावित हैं; और

(ग) देश में मलेरिया का उन्मूलन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख). जी हां, यह रोग खास तौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों में व्याप्त है:—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. गुजरात
3. हरियाणा
4. कर्नाटक
5. मध्य प्रदेश
6. महाराष्ट्र
7. उड़ीसा
8. पंजाब
9. राजस्थान
10. उत्तर प्रदेश

(ग) देश में मलेरिया पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

देश में मलेरिया पर काबू पाने के लिए की गई/की जाने वाली कार्यवाही

1. विशेषज्ञों की समितियों ने 1974 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा की थी। पहली समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि चूंकि देश में मलेरिया को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य को निकट भविष्य में प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए 'मलेरिया के कारगर नियंत्रण' को ही तत्काल लक्ष्य माना जाए। दूसरी समिति ने सिद्धान्ततः उक्त सिफारिश का समर्थन किया था और यह सुझाव दिया था कि स्थिति का वास्तविक जायजा लेने की एक नई कार्यप्रणाली अपनाई जाए अर्थात् मलेरिया रोग की घटनाओं और पहस किए गए

अध्ययनों आदि के अनुसार देश को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाए और हरेक भाग के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली अपनाई जाए। इन सिफारिशों पर आधारित मलेरिया कार्यों के लिए एक नई कार्यप्रणाली तैयार की जा रही है।

2. ऐसे 28 कस्बों में जहां मलेरिया रोग एक समस्या बना हुआ है, शहरी मलेरिया योजना को लागू कर दिया गया है। जैसे जैसे धन उपलब्ध होता जाएगा वैसे वैसे यह योजना अन्य कस्बों में भी आरम्भ कर दी जाएगी।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा बसों की माँग पूरा करने के लिए सर्वेक्षण

1031. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **नौवहनऔर परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने जनता की मांग को पूरा करने के लिये आवश्यक बसों का निर्धारण करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). 1969 में योजना आयोग के महानगरीय परिवहन दल के कहने पर केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने व्यापक यातायात और परिवहन अध्ययन किया। इस कारण से दिल्ली परिवहन निगम ने कोई पृथक सर्वेक्षण नहीं किया है।

लघु इस्पात एककों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति

1032. **श्री एम० कल्यानसुंदरम :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 192 लाइसेंस शुदा लघु इस्पात एककों के लिए आवश्यक कच्चे माल की प्राप्ति हेतु योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख). विद्युत् चाप भट्ठियों के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, मेल्टिंग स्क्रेप और बिजली है। इस समय स्क्रैप और बिजली की कोई कमी नहीं है।

लाइसेंसीकृत/पंजीकृत लघु इस्पात कारखानों की कुल संख्या 302 हैं। इस बात को देखते हुए कि अन्ततः इन कारखानों के लिए स्क्रैप पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा, देश में स्पंज लोहे का उत्पादन करने के लिए कुछ कदम उठाये गये हैं। बिजली तथा ग्रैफाइट इलेक्ट्रोड और लौह मिश्र धातुओं जैसे कुछ अन्य आदानों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए भी कार्यवाई की गई है।

खेतड़ी तँबा खानें

1033. **श्री एस० एम० बनर्जी**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी ताम्बा खानों के काम की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस परियोजना को पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) (क) खेतड़ी तांबा परियोजना की खानों से इस समय लगभग 2500 टन तांबा अयस्क का दैनिक उत्पादन हो रहा है।

(ख) कॉपर सर्किट अर्थात् सांद्रक संयंत्र, प्रद्रावक तथा इलैक्ट्रोलिटिक रिफाइनरी पहले से ही चालू हैं।

तार–छड़ ढलाई संयंत्र को स्थापित करने में कुछ कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास जारी हैं।

उर्वरक सर्किट के अंतर्गत सल्फर अम्ल संयंत्र स्थापित हो चुका है तथा ट्रिपल सुपर फास्फेट संयंत्र भी बन कर तैयार हो गया है। फॉस्फोरस अम्ल संयंत्र के बारे में शीघ्र ही परीक्षण कार्य शुरू किए जाने की आशा है।

सूडान का हिन्द महासागर और लाल सागर (रैड सी) के क्षेत्र को शान्ति क्षेत्र बनाये रखने के पक्ष में होना

1034. **श्री के० एम० मधुकर**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और सूडान इस बात पर सहमत हो गये हैं कि हिन्द महासागर और लाल सागर (रैड सी) के क्षेत्र को विदेशी सैनिक अड्डों से मुक्त शांति का क्षेत्र बनाये रखना चाहिए ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : जी हां। भारत के राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद की 7–11 दिसम्बर, 1975 तक सूडान की राजकीय यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त घोषणा में यह कहा गया है कि हिन्द महासागर और लाल सागर के इलाके शांत क्षेत्र होने चाहिए जो विदेशी सैनिक अड्डों, बड़ी ताकतों की प्रतिद्वंद्विता और तनावों से मुक्त हो। भारत और सूडान के राष्ट्रपतियों ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी को पुनः प्रयत्न करने चाहिए तथा वे इस बात पर सहमत हुए कि वे इस लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे।

दक्षिण में नाविक रोजगार कार्यालय खोला जाना

1035. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बड़ी संख्या में नाविक दक्षिण भारत के हैं ;

(ख) क्या दक्षिण में नाविक रोजगार कार्यालय के अभाव में उनको भारी असुविधा हो रही है ; और

(ग) क्या सरकार दक्षिण में एक ऐसा कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) विदेशगामी जहाजों में नियुक्त 41,000 नाविकों की कुल संख्या में से 4200 नाविक दक्षिण भारत के हैं ।

(ख) जी हां । इस समय विदेशगामी जहाजों में नियुक्त सभी नाविक केवल बम्बई और कलकत्ता में रजिस्टर किये जाते हैं । अधिकांश नाविक दक्षिण में केरल के हैं । जहाज के कर्मीदल के अन्त और आरम्भ के हस्ताक्षर सामान्यतः बम्बई जैसे टर्मिनल पत्तन में किये जाते हैं । दक्षिण के नाविकों के लिये भी परिवहन सुविधाओं के कारण बम्बई में हाजिर होना कहीं आसान है । हस्ताक्षर करने से पहले बम्बई में ठहरने के लिये जगह भी आसानी से मिल जाती है ।

(ग) बताई गई परिस्थितियों में—जी, नहीं ।

नेशनल यूनियन आफ सी फेयरर्स आफ इण्डिया को मान्यता

1036. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशक, नौवहन भारत सरकार नेशनल यूनियन आफ सी फेयरर्स आफ इण्डिया को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : नेशनल यूनियन आफ सी फेयरर्स आफ इंडिया, बम्बई और नेशनल यूनियन आफ सीमैन आफ इंडिया, कलकत्ता को पहले ही मान्यता प्राप्त है । कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

'टिस्को' में कर्मचारियों की बहाली

1037. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) (जमशेदपुर) में सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को बहाल करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी) : यह मामला आवश्यक रूप से राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है ।

सर्गीपल्ली लोह प्रोजेक्ट

1038. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में सर्गीपल्ली लोह प्रोजेक्ट के काम में कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर ने, जिसे सरगीपल्ली (उड़ीसा) में सीसा अयस्क भंडारों के प्रारम्भिक विकास का कार्य सौंपा गया है, खान के विकास तथा परिकरण सुविधायें जुटाने के बारे में एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। इस समय सरकार द्वारा रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

बैलाडिला लौह अयस्क उद्योग समूह में 'ब्ल्यू डस्ट' का जमा होना

1039. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैलाडिला लौह अयस्क उद्योग में भारी मात्रा में 'ब्ल्यू डस्ट" जमा हो गई है और उसका कोई खरीदार नहीं है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार वहां कोई स्पंज आयरन प्लांट स्थापित करने का है जिससे 'ब्ल्यू डस्ट' का लाभप्रद ढंग से उपयोग किया जा सके ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) बैलाडिला में मशीनों द्वारा खनन से लगभग 70 लाख टन बारीक लौह अयस्क जमा हो गया है। बैलाडिला से अभिरुष्कृत बारीक लौह अयस्क/ब्ल्यू डस्ट की बिक्री आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है।

(ख) बैलाडिला से निकलने वाली बारीक लौह अयस्क/ब्ल्यू डस्ट का आर्थिक दृष्टि से उपयोग करने के लिए उसके पेलेट बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

छोटे पैमाने के औद्योगिक कारखानों को रसायनों/रसायनिक/उप-उत्पादों का आवंटन

1040. **श्री रामचन्द्र कडनापल्ली** : (क) क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड (उर्वरक तथा रसायन प्रभाग) ने, शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वासित करने की सरकार की द्रुत योजना के अधीन, शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा चलाये जाने वाले छोटे पैमाने के उद्योगों को रसायनों/रसायनिक उप-उत्पादों का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करने की कोई योजना तैयार की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : जी नहीं।

हिन्दुस्तान स्टील लि० (उर्वरक तथा रसायन प्रभाग) की वितरण नीति

1041. **श्री एस० के० राय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड (उर्वरक तथा रसायन प्रभाग) ने 1971 में प्राथमिकता के आधार पर बेरोजगार स्नातकों की सहायता करने हेतु अपनी वितरण नीति में ढील दे दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो नीति में ढील दिये जाने के बाद कितने बेरोजगार स्नातकों की सहायता की गई है और उनके नाम तथा पते क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) जी नहीं। फिर भी वर्ष 1971 में कम्पनी ने यह फैसला किया था कि उर्वरक के लिये वितरक नियुक्त करने के मामले में बेरोजगार कृषि स्नातकों को प्रोत्साहित किया जाए बशर्ते कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और वे इस काम को स्वतन्त्र रूप से कर सकते हों ।

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

निम्न आय वर्ग के नगरीय श्रमिकों को ऋण से राहत

1042. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने ग्रामीण श्रमिकों की तरह निम्न आय वर्ग के शहरी श्रमिकों को ऋण से राहत दिलाने के लिये कोई उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी) : औद्योगिक श्रमिकों को ऋण में राहत दिलाने के लिये प्रस्तावित विधान के ब्यौरों से सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है ।

बम्बई में कपड़ा मिल श्रमिकों का अखिल भारतीय सम्मेलन

1043. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिलों के श्रमिकों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन नवम्बर, 1975 में बम्बई में हुआ था ; और

(ख) क्या सरकार ने उस सम्मेलन में की गई सिफारिशों पर निर्णय कर लिया है ?

श्रम मंत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी) :(क) और (ख). अनुमानतः हवाला 21 से 23 नवम्बर, 1975 तक बम्बई में हुये कपड़ा श्रमिकों के अखिल भारतीय सम्मेलन की ओर है, जिस में कपड़ा उद्योग में श्रमिकों के प्रबन्ध में साझेदारी, हड़ताल, छंटनी, जबरी-छुट्टी, बोनस अध्यादेश की वापसी आदि के प्रश्न पर विचार विमर्श किये जाने की सूचना दी गई है। सरकार ने इस सम्मेलन के बारे में कुछ रिपोर्टों को देख लिया है ।

गुजरात में गाँवों में डाक तार एवं टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने हेतु कार्यवाही

1044. **श्री डी० डी० देसाई**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ऐसे कितने गांव हैं जहां (i) डाक, (ii) तार एवं (iii) टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) ये सुविधायें देने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) **डाक**: गुजरात में 18,275 गांव हैं। इनमें से 12,311 (67.4 प्रतिशत) गांवों में डाक का वितरण रोजाना किया जाता है, 2,658 (14.16 प्रतिशत) गांवों में हफ्ते में तीन बार, 1,213 (6.6 प्रतिशत) गांवों में हफ्ते में दो बार, 1,617 (8.8 प्रतिशत) गांवों में हफ्ते में एक बार और 476 (2.6 प्रतिशत) गांवों में एक हफ्ते से अधिक समय के बाद डाक का वितरण किया जाता है। इस प्रकार सभी गांवों में डाक सुविधायें मिल रही हैं।

दूरसंचार : 7554 गांवों में तार सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं और 18,120 गांवों में टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) **डाक** :—ज्यादा गांवों में रोजाना डाक बांटने की व्यवस्था करके डाक सुविधाओं को बढ़ाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

दूरसंचार :—टैलीफोन और तार सुविधायें आम तौर पर तभी दी जाती हैं जब उनके प्रस्ताव वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हों, किन्तु देहाती, पिछड़े हुये और पहाड़ी इलाकों में इन सुविधाओं का विस्तार करने के लिये उदार नीति अपनाई जाती है बशर्ते कि संभावित राजस्व से वार्षिक आवर्ती व्यय के एक निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत की पूर्ति हो जाय। रियायत देने की यह नीति जिन स्थानों पर लागू की जाती है उनमें जिला/सब डिवीजन/तहसील और खंडमुख्यायल दूरदराज के इलाके, घनी आबादी वाले गांव, पर्यटन और तीर्थ केन्द्र, सिंचाई और बिजली परियोजना के स्थल आदि शामिल हैं।

गुजरात के महत्वपूर्ण नगरों के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधायें

1045. **श्री डी० डी० देसाई**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के महत्वपूर्ण नगरों के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधाएं हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसी सुविधायें कब तक प्रदान कर दी जायेंगी ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां। महत्वपूर्ण शहरों से नीचे लिखे मार्गों पर सीधे ट्रंक डायल करने की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है।

(1) अहमदाबाद से गांधी नगर, बड़ौदा, सूरत, नाड़ियाद, राजकोट, बम्बई, दिल्ली और पूना।

(2) गांधी नगर से अहमदाबाद, बम्बई, पूना और सूरत।

(3) राजकोट से अहमदाबाद।

(4) बड़ौदा से अहमदाबाद और सूरत।

(5) सूरत से अहमदाबाद, बड़ौदा, बम्बई, पूना और गांधीनगर।

(6) नाड़ियाद से अहमदाबाद।

(ख) इसके अतिरिक्त, पांचवीं चवर्षीय योजना में नीचे लिखे मार्गों पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा देने का कार्य पूरा करने की योजना बनाई गई है :

(1) जामनगर से अहमदाबाद और राजकोट ।

(2) भावनगर से अहमदाबाद और राजकोट ।

(3) धोराजी से राजकोट ।

(4) वेरावल से राजकोट ।

(5) मेंहसाना से अहमदाबाद ।

संचार सुविधाओं का विकास

1046. **श्री धामनकर:**

श्री वसन्त साठे:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के द्रुत विकास के लिए एक विशेष योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975-76 और वर्ष 1976-77 के लिए राज्यवार और विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में इस योजना की रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या देश में संचार सुविधाओं के विकास के लिये विदेशों/विदेशी संगठनों से वित्तीय/तकनीकी सहायता मांगी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :(क) और (ख). देश के पहाड़ी और पिछड़े हुए इलाकों में दूर संचार और डाक सुविधाएं देने के लिए ऐसा प्रस्ताव है कि वर्ष 1975-76 के दौरान 14.5 करोड़ रुपये और वर्ष 1976-77 के दौरान 16.5 करोड़ रुपये खर्च किये जाएं । दूसरे इलाकों में ये सुविधाएं तभी दी जाती हैं जब कि परियोजनाओं वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हों । पहाड़ी इलाकों और पिछड़े इलाकों के लिए विशेष रियायत दी जाती है । पिछड़े इलाकों में किसी प्रस्ताव पर होने वाले खर्च के 15 प्रतिशत तक की कम से कम आय होनी चाहिए । पहाड़ी इलाकों के मामले में आय की इस सीमा को और घटा कर 10 प्रतिशत रखा गया है ।

अलग-अलग राज्यों में कितनी रकम खर्च की जाएगी इस बारे में पृथक उल्लेख नहीं किया गया है । सभी सर्किलों से जो प्रस्ताव आते हैं उनकी जांच घाटे की उपर्युक्त कसौटी के आधार पर की जाती है ।

(ग) और (घ). विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (आई० डी० ए०) और कनैडियन अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सी० आई० डी० ए०) से समय-समय पर उधार और

ऋण की शक्ल में वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है । इस प्रकार जो निधियां प्राप्त की गई हैं उनका उपयोग विभागीय कारखानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए दूर संचार उपस्कर, कच्चा माल और कल-पुर्जों का आयात करने के लिक किया गया है ।

विश्व संघ विकास कार्यक्रम, कोलम्बो प्लान आदि के अन्तर्गत प्रशिक्षण-सुविधाएं यंत्र, उपस्कर, आदि की शकल में तकनीकी सहायता भी प्राप्त की गई है ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं तथा परिवार नियोजन का समेकित कार्यक्रम

1047. **श्री धामनकर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं तथा परिवार नियोजन के समेकित कार्यक्रम को लागू करने के क्षेत्रों को निर्धारित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के क्षेत्रों की मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ग) जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या योजना बनाई गई है और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था क्या है ; और

(घ) परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए प्रस्तावित विशेष प्रयासों तथा नए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) और (ख). जी, हां, जैसे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में परिकल्पना की गई है ? स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को परस्पर मिला कर अमल में लाया जा रहा है । मलेरिया, चेचक, परिवार नियोजन और रोहे कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो एक-उद्देश्यीय कार्यकर्ता नियुक्त किए गए थे उन्हें पुनः प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि उन्हें बहु-उद्देश्य कार्यकर्ता बनाया जा सके ।

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य जन्म-दर को जो कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में लगभग 35 थी, घटा कर पांचवीं योजना के अन्त तक 30 तक ले आना है । स्वास्थ्य के स्तर में लगातार सुधार होते रहने के फलस्वरूप आशा है कि मृत्यु-दर, जो पांचवीं योजना के आरम्भ में लगभग 15 थी, घट कर इस योजना के अन्त में लगभग 13 रह जाएगी । इस प्रकार आशा है कि जन संख्या की राष्ट्रीय वृद्धि-दर, जो पांचवीं योजना के आरम्भ में लगभग 20 प्रतिशत प्रति वर्ष थी, इसी योजना के अन्त तक 1.7 प्रतिशत हो जाएगी ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी देख-रेख न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आती है, जिसके अन्तर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

(1) सामुदायिक विकास खंड़ के लिए एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।

(2) दस-दस हजार जन संख्या के लिए एक-एक उप केन्द्र ।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, और उप केन्द्रों की इमारतों तथा मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साज-सामान में जो कमियां हैं, उन्हें समन्वित ढंग से दूर करना ।

(4) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए प्रति वर्ष 12,000/- रुपये के लागत की दवाइयां देना ।

(5) प्रत्येक-उप-केन्द्र के लिए प्रति वर्ष 2,000/- रुपयों की दवाइयां प्रदान करना ।

(6) चार-चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक का दर्जा बढ़ा कर तीस पलंगों वाला ग्रामीण अस्पताल बनाना ।

(घ) परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय प्रयोग में लाने का विचार है :—

(क) परिवार नियोजन को क्रियान्वित करने के लिए एक जोरदार कार्यक्रम की जांच की जा रही है जिसे कुछ प्रोत्साहन देकर और पाबन्दियां लगा कर चलाने के लिए भरसक प्रयत्न किए जायेंगे ।

(ख) तालुक स्तर और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाया जा रहा है । ताकि ग्रामीण जनता तक सेवाएं पहुंचायी जा सकें ।

(ग) बहु-उद्देश्यीय कार्यकर्त्ता योजना को भी अमल में लाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत अब 8,000 जन संख्या के लिए एक बहु-उद्देश्यीय कार्यकर्त्ता लगाने का प्रस्ताव है पहले 10,000 जन संख्या के पीछे एक कार्यकर्त्ता लगाने का अनुमोदन किया गया था ।

(घ) नगरीय क्षेत्रों में प्रसवोतर कार्यक्रम को मजबूत बनाया जा रहा है और ये सेवाएं अब अधिकांश जिला अस्पतालों में उपलब्ध हैं ।

(ङ) राज्य सरकारों को इस नए विचार को अपनाने की सलाह दी गई है कि वे उन दम्पत्तियों की बजाए जिनका पहले ही से काफी बड़ा परिवार है, युवा दम्पत्तियों पर अधिक ध्यान दें ?

(च) निगरानी और प्रशासन सम्बन्धी नियंत्रण को कड़ा बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि जन शक्ति का पूरा पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा सुस्त और कामचोर कर्मचारियों को निकाल बाहर किया जाए ।

कर्नाटक में निजी घरों में उप-डाकघरों की स्थापना

1048. **श्री एस० एम० सिद्धय्य** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर शहर में किराये की इमारतों में कितने उप-डाकघर खोलेगये हैं और प्रत्येक उप-डाकघर के लिए कितना किराया दिया गया है ; और

(ख) क्या इन उप डाकघरों की स्थापना के लिएसरकारी इमारतें बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) कुल 33 उप-डाकघरों में से 29 उप-डाकघर किराये के मकानों में हैं। हर एक डाकघर के लिए जो किराया अदा दिया जाता है, उसका उल्लेख विवरण-पत्र में किया गया है। यह विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) इन डाक-घरों में से दो डाकघरों के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। ऐसी सम्भावना है कि एक डाक-घर का निर्माण-कार्य वर्ष 1977-78 में और दूसरे डाकघर का निर्माण-कार्य वर्ष 1977-78 के बाद शुरु हो जाएगा।

विवरण अनुबंध

डाकघरों का नाम	मासिक किराया
1. अशोकपुरम	75 रुपये
2. चमाराजपुरम	130 रुपये
3. चापुंडी एक्सटेंशन	200 रुपये
4. देवराज मोहल्ला	230 रुपये
5. फूड टेक्नोलोजी	100 रुपये
6. इरिनगेयर	160 रुपये
7. ज्योतिनगर	50 पये
8. के० एम० पुरम	100 रुपये
9. के० आर० मोहल्ला	90 रुपये
10. के० आर० सर्किल	517.42 रुपये
11. लक्ष्मीपुरम	350 रुपये
12. मंडीमोहल्ला	100 रुपये
13. मेतागल्ली	बिना किराये का
14. मैसूर फोर्ट	250 रुपये
15. मन्सागंगोत्री	500 रुपये
16. जयलक्ष्मीपुरम	400 रुपये
17. मैसूर ला कोर्टस	36 रुपये
18. मसूर विश्वविद्यालय	10 रुपये
19. एन० आर० मोहल्ला	200 रुपये
20. नजाराबाद मोहल्ला	70 रुपये
	3,568.42 पये

विवरण अनुबंध

डाकघरों का नाम	मासिक किराया
	3,568.42
21. न्यू बानीपानतप एक्सटेंशन	75 रुपये
22. रामानुज रोड . .	75 रुपये
23. के० आर० मिल्स . .	बिना किराये का
24. तिलक नगर .	45 पये
25. वी० वी० मार्केट	160 रुपये
26. वी० वी० मोहल्ला .	220 रुपये
27. विद्यारानीपुरम .	150 रुपये
28. यादवगिरि एक्सटेंशन	100 रुपये
29. इंडस्ट्रियल सबरब .	110 रुपये
योग	. 4,503.42 रुपये

Post, Telegraph and Telephone Facilities in M.P.

1049. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Madhya Pradesh has the minimum post, telegraph and telephone facilities as compared to the facilities in the various States in the country; and

(b) if so, the steps taken by Government for increasing these facilities ?

Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): (a) *Postal*: The State has relatively less postal facilities as compared to most other States.

Telecommunications: Madhya Pradesh has 325 telephone exchanges and 253 PCOs. as on 31-12-75. Though numerically these are more than in some other States, as proportions of population or area these are amongst the lowest.

(b) *Postal*: Various steps are being taken by the Government to increase postal facilities in the State which include opening/upgrading of Post Offices, improving the frequency of delivery in the villages and planting more letter boxes.

Telecommunications: In order to extend telecommunication facilities in rural areas in the country, a liberal policy is being followed for proividing PCOs on loss basis taking into consideration the various factors like the importance of the place, as a District/Sub-divisional/Tehsil/Block Headquarters, remoteness from existing telephone/telegraph offices, the population of the place, the local importance of the places as a tourist/pilgrim centre, power/irrigation project sites, etc.

Production of Mica

1050. Dr.Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the production of mica has gone down in the country; and

(b) if so, the reasons therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a). The production of crude mica during the years 1971 to 1974 showed a marginal decrease as follows:—

1971	15,099	tonnes
1972	14,173	,,
1973	13,830	,,
1974	13,804	,,

In the year 1975, the estimated production is likely to be 11,500 tonnes.

(b) Mica production is essentially export oriented. The demand for mica in the international market has diminished as a consequence of the development of synthetic mica and mica substitutes.

Compulsory Insurance of workers in Public Sector

1051. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether a suggestion has been made by Minister of Commerce in Calcutta that all the Government employees should be covered by compulsory insurance scheme:

(b) if so, the main features of the scheme in this regard; and

(c) whether all the workers in public sector would be brought thereunder?

The Minister of Labour (Shri K. V. Raghunatha Reddy): (a), (b) and (c). The Ministry of Commerce have stated as follows:—

"A mention was made by the Minister of Commerce in the wider context of liberalisation of resources. It was not suggested as a compulsory measure. It was not proposed as a scheme and, therefore, the question of details does not arise."

Central Aid to Bihar for repairs of roads damaged by floods

1052. Shri Ramavatar Shastri :Willthe Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether most of the roads in Patna city have been damaged as a result of devastating floods in August, 1975;

(b) whether Bihar Government have requested the Central Government to grant additional funds for carrying out the repairs and construction of the roads there; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport: (Shri Dalbir Singh):(a),(b)and(c): An advance Plan assistance amounting to Rs. 2·50 crores has been allocated to the Bihar Government in the current financial year,subject to the approval of the schemes by the Planning Commission towards expenditure of a Plan nature necessitated by the floods of August 1975 for reconstruction of breaches, bridges etc. on roads of the State P. W. D. Rural Engineering Organisations and Zila Parishads as follows :—

	(Rs. in crores)
(*i*) P. W. D. Roads	1·17
(*ii*) Rural Engineering Organisation and Zila Parishad (Roads)	0·67
(*iii*) Urban Roads	0·66
Total .	2·50

Details of schemes relating to (*i*), (*ii*) and (*iii*) above have been received in the Planning Commission which are under examination. As regards the above stated sum of Rs. 0·66 crores contemplated to be utilised on urban roads against item (*iii*) above, the same is expected to be utilised for works as follows :—

	(Rs. in Lakhs)
(*i*) Reconstruction of breaches etc. on Urban Roads to be executed by the Patna Municipal Corporation	30·00
(*ii*) Works to be executed by the Patna Regional Development Authority	28·30
(*iii*) Reconstruction of roads in the Housing Board colonies to be done by the Bihar State Housing Board	7·70
TOTAL .	66·00

2. The State Government have also informed that the requirement of repairs, reconstruction,replacement of deteriorated P.W.D. roads in Patna has been estimated to cost Rs. Rs. 1·40 crores. Against this they contemplate to spend Rs. 70lakhs in this financial year, of which Rs. 30 lakhs is to be met from the above advance plan assistance allocated by the Central Government and the balance will be provided from the non-Plan provision in the State budget. The remaining requirement of funds in the next year will be provided by the State Government in the draft State Sector Annual Plan for roads for 1976-77.

Repairs of National Highways in Bihar damaged by floods

1053. Shri Ramavatar Shastri : Willthe Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether several national highways passing through Bihar have been damaged due to the devastating floods in 1975 ; and

(b) ifso,the action taken by Government for their repairs ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Dalbir Singh):

(a) Yes, Sir, Some of the National Highways were damaged.

(b) Most of the repairs for restoring traffic on these roads stand completed.

काण्डला पत्तन में ढोया जाने वाला माल

1054. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काण्डला पत्तनमेंढोये जाने वाले माल में प्राप्त शुल्क की कुल राशि में हाल ही में कोई वृद्धि हुई है, और

(ख) यदि हां,तोतत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां। (ख) पिछले 3 वर्षों केदौरानकुलढोया गया माल निम्न प्रकार था:

वर्ष	कुल ढोया गया माल
	(टनों में)
1972–73	24,27,594
1973–74	31,21,686
1974–75	35,43,636
1975–76 (31–12–1975 तक)	24,52,094

यातायात में वृद्धि मुख्यतः पी ओ एल, खाद्यान्न, उर्वरक और इसके कच्चे मालके आयात में वृद्धि के कारणहै। चीनी के निर्यात और कापर कनसेण्ट्रेट के आयात औरबेन्टोवाइट और राक फास्फेट के निर्यात जैसे यातायात की नयी मदों के शुरू होने से भी समस्त यातायात में वृद्धि हुई है।

काण्डला पत्तन द्वारा निर्यात के माल का निपटान

1055. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तथा अन्य स्थानों पर उपलब्ध अधारभूत ढांचे की भांति काण्डला पत्तन परये सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण काण्डला पत्तन का प्रयोग निर्यात के लिये नहीं किया जा सकता; और

(ख) यदि हां,तो इस बारेमें क्या कार्यवाही की गई है ताकि काण्डला पत्तन अधिक निर्यात के माल को निपटा सके ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वास्तव में 1973-74 में जब कि निर्यात यातायात 2.18 लाख टन था, यह 1974-75 में 3.04 लाख टन और 1975-76 में दिसम्बर, 1975 तक 2.13 लाख टन था। निर्यात यातायात काण्डला से जा रहा है । मुख्य वस्तुएं जो जा रही हैं, वे चीनी, नमक, चाय, हड्डी का चूरा, बेन्टोनाइट, राक फास्फेट इत्यादि हैं ।

Loss suffered by Post and Telegraphs Department in Patna due to Flood.

1056. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :—

(a) whether the Post and Telegraph Department suffered a heavy loss due to the devastating flood in August, 1975 in Patna city;

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) the expenditure incurred on repairs ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): (a) and (b) Due to devastating flood in Patna area in August, 1975 considerable damage was caused to P. & T. installations and equipment. 6,774 telephone connections out of 9,995 went out of order. Underground telephone cables, telephone instruments, power plant, coaxial cable equipment, etc. were extensively damaged.

(c) Temporary repair work was undertaken to restore communications and permanent repair work in the progress. The expenditure incurred so far is about Rs. 6 lakhs.

डाक और तार विभाग के लिये टाइप–I और टाइप–II के क्वार्टरों का निर्माण

1057. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग के टाइप-I और टाइप-II के क्वार्टरों के निर्माण पर लगी रोक को हटा दिया गया है; और

(ख) क्या बिहार सर्किल के उन स्थानों पर, जहां डाक तथा तार विभाग की भूमि उपलब्ध है, डाक और तार विभाग के क्वार्टरों के निर्माण की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां, किन्तु इसके लिए शर्त यह है कि निधि उपलब्ध हो । निधि एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है ।

(ख) दरभंगा और छपरा में क्वार्टर बनवाने का काम शुरू कर दिया गया है । पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, रांची, डाल्टनगंज, भागलपुर और बोकारो स्टील सिटी में क्वार्टर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध है । निधि उपलब्ध होने पर इन जगहों के क्वार्टरों के निर्माण का काम विभिन्न चरणों में शुरू कर दिया जाएगा ।

चाय बागानों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का जमा न किया जाना

1058. **श्री टुना उराँव :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा मेंऐसे चायबागानों के नाम क्या हैं जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का अपना भाग सरकार के पास जमा नहीं किया है; और

(ख) दोषी चाय बागानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी): भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :

(क) और (ख).(i) **पश्चिमबंगाल:** पहली दिसम्बर, 1975 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगालमें 22चाय बागान से 1लाख रु० से अधिक भविष्य निधि अंशदानों की राशि बकाया है ऐसे प्रतिष्ठानों में से 17 को कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत पहले ही अभियोजित किया जा चुका है ।

(ii) **असम:** कर्मचारीभविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 असम में चाय बागान पर लागू नहीं होता है ।

(iii) **त्रिपुरा:** त्रिपुरा मेंऐसा कोई चाय उद्यान नहीं है जिसनेएक लाख रुपये या उससे अधिक के भविष्य निधि अंशदानों की चूक की हो ।

कर्मचारी भविष्य निधि की राज्यवार बकाया राशि

1059. **श्री टुना उराँव:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1975 को कर्मचारी भविष्य निधि की राज्यवार बकाया राशि कितनी कितनी थी ; और

(ख) बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी): भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :

(क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) 1974-75 के दौरान 853.08 लाख रुपयों की राशि के 2885 वसूली मामलों में मुकद्दमा चलाया गया । 4011 मामलों में अभियोजन चलाए गए । 4233 मामलों में दोष-सिद्धियां प्राप्त की गईं ।

विवरण

31-3-1975 को भविष्य निधि अंशदानों की बकाया राशि की क्षेत्रानुसार स्थिति

क्रम संख्या	क्षेत्र	बकाया राशि (लाख रुपयों में)
1	आन्ध्र प्रदेश	56.57
2.	असम	25.03
3	बिहार	76.46
4	दिल्ली	10.05
5	गुजरात	49.43
6	कर्नाटक	7.53
7	केरल	53.38
8	मध्यप्रदेश	214.71
9	महाराष्ट्र	535.08
10	उड़ीसा	18.54
11	पंजाब	19.02
12	राजस्थान	36.10
13	तमिलनाडु	128.68
14	उत्तर प्रदेश	181.90
15	पश्चिम बंगाल	521.42
		1933.90

न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के लिये भारतीय प्रतिनिधि मंडल

1060. **श्री पी० जी० मावलंकर:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र कीमहासभा के वर्ष 1975 के अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) उक्त अधिवेशन में भारत ने किन-किन विषयों तथा मामलों में भाग लिया और अपना योगदान दिया : और

(ग) संयुक्त राष्ट्र महासभा के उक्त अधिवेशन में किन किन समितियों तथा अन्य निकायों में भारत को निर्वाचित किया गया ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासभा के 30वें सत्र में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल की सूची संलग्न है ।

(ख) इस सत्र की कार्यसूची के महत्वपूर्ण मसलों पर विचार विमर्श में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सक्रिय भाग लिया जैसे--हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करना, निःशस्त्रीकरण, मध्य-पूर्व, समुद्र के कानून, आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्न जिनमें नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना भी शामिल है, मानवाधिकार, अन्तर्राष्ट्रीय महिलावर्ग, उपनिवेशवाद की समाप्ति और जातीय पृथग्वासन । संयुक्त राष्ट्र की विश्वजनीनता सुनिश्चित करने की अपनी नीति के अनुरूप ही भारत ने दूसरे देशों के साथ मिलकर नये सदस्यों को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव का मसौदा प्रस्तुत किया ।

(ग) 12 सदस्यीय विश्व खोद्य परिषद् में भारत पुनः निर्वाचित हुआ ।

विवरण

प्रतिनिधि

1. श्री वाई० बी० चव्हाण, विदेश मंत्री ।
2. श्री बिपिनपाल दास, उप विदेश मंत्री ।
3. श्री रिखी जयपाल, स्थायी प्रतिनिधि, भारत का स्थायी मिशन, न्युयार्क ।
4. श्री केवल सिंह, विदेश सचिव ।
5. श्री रिशांग कीशिंग, मणिपुर सरकार के मंत्री ।

वैकल्पिक प्रतिनिधि

1. श्री वी० एन० गाडगिल, तत्कालीन संसद सदस्य ।
2. श्री वी० ए० सईद मुहम्मद, तत्कालीन संसद सदस्य ।
3. श्रीमती माया रे, संसद सदस्य ।
4. श्री आर० एल० भाटिया, संसद सदस्य ।
5. श्रद्धेय टी० ए० मैथियस ।

वरिष्ठ सलाहकार

1. श्री एन० कृष्णन्, संयुक्त सचिव (संयुक्त राष्ट्र), विदेश मंत्रालय ।
2. श्री बी० सी० मिश्रा, स्थायी प्रतिनिधि, जेनेवा ।
3. श्री नटवर सिंह, उप हाई कमिश्नर, लंदन ।
4. श्री एस० एम० हाशमी, उप स्थायी प्रतिनिधि, भारत का स्थायी मिशन, न्युयार्क ।

5. डा० एस० पी० जगोटा, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार, विदेश मंत्रालय ।

6. श्री ए० जी० असरानी, भारत का प्रधान कौंसल, न्यूयार्क ।

सलाहकार

1 श्री ए० के० बुद्धिराजा, परामर्शदाता, भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क ।

2. श्री पी० आर० सूद, परामर्शदाता, भारत का स्थायी मिशन, जेनेवा ।

3. श्री गौरीशंकर, परामर्शदाता, भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क ।

4. श्री एस० जी० काले, विदेश मंत्री के विशेष सहायक ।

5. श्री ए स० एम० सैफुल्लाह, उप विदेश मंत्री के विशेष सहायक ।

6. श्री इ० ए० श्री निवासन, प्रथम सचिव, भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क ।

7. कुमारी अरुन्धती घोष, प्रथम सचिव, भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क ।

8. श्री आर० एन० मुखर्जी, प्रथम सचिव, भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क ।

9. श्री रणजीत सेठी, प्रथम सचिव, भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क ।

10. श्री जानकी नाथ भट्ट, प्रथम सचिव, भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क ।

11. श्री पी० जे० राव, प्रथम सचिव, भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क ।

12. श्री पी० सी० राव, विधि सलाहकार, भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क ।

13. श्री वी० सुब्रामण्यन, अताशे एवं निजी सचिव ।

14. श्री जेम्स, पीत्रीक्रेप, अताशे ।

15. श्री हरि प्रसाद अताशे ।

16. श्री एस० एस० मुन्द्रा, अताशे ।

17. श्री के० एच० पटेल, अनुसंधान अधिकारी ।

सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने हेतु नगर निगमों को सहायता

1061. **श्री पी० जी० मावलंकर:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :—

(क) क्या बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास इन चार महानगरों के क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिये वर्ष 1975 के दौरान नगर निगमों को सरकार ने कोई वित्तीय तकनीकी तथा अन्य किसी प्रकार की सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के नगरों में सार्वजनिक परिवहन पद्धति को सुदृढ़ बनाने और उसमें सुधार करने

के लिए 1974–75 के वित्तीय वर्ष में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकारों को 18.00 करोड़ रुपये तक के ऋण दिये गये। ब्यौरा निम्नप्रकार है:--

	रुपये करोड़ों में
(1) बी० ई० एस०टी० उपक्रम, बम्बई (महाराष्ट्र सरकार की मार्फ़त) .	7.00
(2) कलकत्ता राज्यपरिवहन निगम (पश्चिम बंगाल सरकार की मार्फ़त)	6.00
(3) कलकत्ता ट्रामवेज लि० (पश्चिम बंगाल सरकार की मार्फ़त)	2.00
(4) पल्लावन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि० मद्रास (तमिलनाडु सरकार की मार्फ़त)	3.00
कुल	18.00

दिल्ली परिवहन निगम सीधे केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहा है और इसके पूंजीगत व्यय और नकद घाटों, दोनों को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। 1974–75 के दौरान पूंजीगत व्यय और अर्थोपायों की पूर्ति के लिए दिल्ली परिवहन निगम को क्रमशः 7.92 करोड़ रुपये और 6.85 करोड़ रुपये दिये गये।

उपरोक्त उपक्रमों को संबंधित वर्षों में कोई अन्य तकनीकी अथवा और कोई सहायता नहीं दी गई।

उद्योग में श्रमिकों का भाग लेना

1062. **श्री पी० जी० मावलंकर:**

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में विभिन्न औद्योगिक एककों के प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने का कार्यक्रम आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) (क) और (ख). सरकार ने श्रम मंत्रालय संकल्प संख्या एस०-61011(4)/75—डी० के०-1(ख), तारीख 30 अक्तूबर, 1975 द्वारा शाप फ्लोर और प्लाण्ट स्तर पर उद्योग में श्रमिकों के भाग लेने के लिए एक स्कीम की घोषणा की। स्कीम की एक प्रति सदन की मेज पर अलग से रखी जा रही है।

पश्चिम बंगाल में भविष्य निधि की बकाया राशि

1063. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 31 मार्च, 1975 को पश्चिम बंगाल में कितनी फर्मों पर कर्मचारी भविष्य निधि की कितनी राशि बकाया थी; और

(ख) बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) 31-3-1975 की स्थिति के अनुसार, भविष्य निधि अंशदानों की बकाया के रूप में 521.42 लाख रुपये की राशि देय थी । 116 छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों से 1 लाख रुपये या उससे अधिक राशि शेष थी ।

(ख) 1974-75 के दौरान, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में 866 मामलों में दोष सिद्धियां प्राप्त की गई थीं । कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अन्तर्गत भूमि राजस्व की बकाया राशि के रूप में भविष्य निधि की वसूली के लिए 62 मामले दायर किए गए थे ।

राज्यों को स्वास्थ्य सेवा के लिये वित्तीय सहायता

1064. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1974-75 में विभिन्न राज्यों को अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिये कितनी कितनी वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो किस उद्देश्य के लिये ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) और (ख) : राज्यों को वित्तीय वर्ष 1974-75 में मलेरिया, चेचक, कुष्ठ रोग, रोहे, हैजा, रतिरोग, क्षयरोग, फाइलेरिया जैसे संचारी रोगों के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के पोस्ट ग्रेजुएट विभागों को खोलने के लिए वित्तीय सहायता दी थी । उक्त कार्यक्रमों के लिए विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को 1974-75 में दी गई सहायता संलग्न विवरण में दर्शायी गई है ।

विवरण

(रुपये लाखों में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों का नाम	सामान और उपकरण की कीमत	नकद दी गई रकम	योग
राज्य			
1. आन्ध्र प्रदेश	59.08	90.60	149.68
2. असम	51.59	75.08	126.67
3. बिहार	125.14	67.40	192.54
4. गुजरात	137.85	222.23	360.08
5. हरियाणा	30.33	11.72	42.05
6. हिमाचल प्रदेश	5.58	2.36	7.94
7. जम्मू व कश्मीर	5.75	1.88	7.63
8. करनाटक	39.83	59.40	99.23
9. केरल	7.75	17.55	25.30
10. मध्य प्रदेश	191.04	217.37	408.41
11. महाराष्ट्र	201.24	173.57	374.81
12. मणिपुर	4.38	10.80	15.18
13. मेघालय	13.55	12.14	25.69
14. नागालैंड	5.97	10.38	16.35
15. उड़ीसा	67.50	112.00	179.50
16. पंजाब	39.02	11.53	50.55
17. राजस्थान	134.92	128.48	263.40
18. तमिलनाडु	27.64	34.19	61.83
19. त्रिपुरा	7.52	14.91	22.43
20. उत्तर प्रदेश	139.09	122.45	261.54
21. पश्चिम बंगाल	37.27	59.95	97.22
योग	1332.04	1455.99	2788.03

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों का नाम	सामान और उपकरण की कीमत	नकद दी गई रकम	योग
केन्द्र शासित क्षेत्र			
1. पाण्डिचेरी . .	1.33	0.36	1.69
2. गोआ, दमन और दीव .	1.17	0.51	1.68
3. मिजोरम . . .	6.08	11.96	18.04
4. लक्षद्वीप	0.18	0.01	0.19
5. चण्डीगढ़ . .	0.94	1.70	2.64
6. अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह .	4.89	4.49	9.38
7. दिल्ली . . .	21.96	1.75	23.71
8. दादर और नागर हवेली . .	0.42	0.02	0.44
9. अरुणाचल प्रदेश	15.34	21.26	36.60
योग	52.31	42.06	94.37
कुल योग :	1384.35	1498.05	2882.40

हिन्द महासागर में सोवियत संघ के सैनिक अड्डे

1065. श्री बी० आर० शुक्ल: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्द महासागर में कहीं पर सोवियत संघ सरकार के सैनिक अड्डे हैं, और

(ख) यदि हां, तो कहां ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) भारत सरकार को हिन्द महासागर में किसी रूसी सैनिक अड्डे की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दीगो गार्सिया में सैनिक अड्डे के खतरे का सामना करने के लिये योजना

1066. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार अथवा अन्य किसी तटवर्ती देश ने अमरीका द्वारा दीगो गार्सिया में स्थापित सैनिक अड्डे के खतरे का सामना करने के लिए कोई योजना बनाई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास): भारत सरकार ने दिएगो गार्शिया अड्डे की स्थापना और उसके विस्तार का स्पष्ट रूप से विरोध किया है । उसने बहुत बड़ी संख्या में तटवर्ती और भीतरी प्रदेशों के साथ मिलकर हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र के रूप में जल्दी स्थापित करने और इस क्षेत्र से दिएगो गार्शिया के अड्डे को मिलाकर सभी विदेशी सैनिक अड्डों को समाप्त करने का निरन्तर प्रयास किया ।

Medical check-up of Students of Educational institutions

1067. **Shri B. R. Shukla :**

Will the Minister of **Helth and Famiy Planning** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has made any arrangements for medical check-up of student of educational institutions ;

(b) whether his Ministry hasissued any directive to the Health Departments of the State Governments in this regard ; and

(c) whether medical examination of the students of the schools run by the Central Goernment has been done ?

The Deputy Minister in the Ministry of health and family Planning (Shri A.K.M Ishaque):

(a) Arrangements for medical check-up of students of educational institutions is made in most of the States by the concerned health authorities.

(b) Healthis a ' State 'subject and most ofthe State Governments themselves take action in this regard. Relevant resolutions of the School Health Council (copy enclosed) were forwarded to all State Governments for implementation.

[*Placed in the Library See* No. L.T. 10205/76]

(C) Yes.

तंजानिया को ऋण

1068. **श्री यमुना प्रसाद मंडल:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंजानिया ने हमारे देश से और अधिक ऋण की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास): (क) जी हां ।

(ख) 1972 में तंजानिया को सरकार से सरकार को ऋण के रूप में 5 करोड़ रुपये दिए गये थे । हालही में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 5 करोड़ रुपये का ऋण स्वयं देने को और बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से 5 करोड़ रुपये का और ऋण दिलाने को भी इस आश्वासन पर सहमत हो गया है कि सरकार से सरकार को ऋण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और वाणिज्यिक बैंकों से कुलमिलाकर 15 करोड़ रुपये के इस ऋण की आवश्यकता तंजानिया की कागेरा चीनी मिल परियोजना के लिए संयंत्र और साज-सामान भारत से लेने के लिए है ।

नकली औषधियों की बिक्री

1069. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बाजार में कौन कौन सी नकली औषधियां बेची जा रही हैं ; और

(ख) नकली तथा घटिया औषधियों के निर्माण पर आगे काबू पाने के लिए सरकार ने हाल ही में क्या उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): नकली दवाइयों की विस्तृत सूची देना संभव नहीं है। कुछ दवाइयां जो बनावटी बतलाई गई हैं उनके नाम इस प्रकार हैं--ग्राइप वाटर, एनलंजसिक गोलियां, क्लोरमर्फनिकल से बनी दवाइयां आक्सीटेटरासाइक्लिन, डैक्सामेथेसन, क्लोरोक्विन फासफेट, स्ट्रैप्टोमाइसीन इन्जेक्शन, एनलजिन, सल्फाड्रग्स, एनाबालिक हारमोन्स इत्यादि ।

(ख) सरकार ने नकली और घटिया किस्म की दवाइयों के निर्माण को रोकने के बारे में क्या क्या कदम उठाए हैं इसका एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

घटिया किस्म की तथा नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:--

मानक गुण किस्म की दवाइयां देने की बात को सुनिश्चित करने के लिए भी ये कदम सहायक होंगे :--

1. बिना लाइसेंस के औषधि निर्माताओं को समाप्त करने के लिए जो आम तौर पर नकली दवाइयां बनाते और बेचते हैं, लाइसेंसशुदा औषधि निर्माताओं की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई है और उसे अद्यतन बना दिया गया है ।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को संशोधित कर दिया गया है और मिलावटी दवाइयां बनाने तथा बेचने तथा बिना लाइसेंस के दवाइयां बनाने और बेचने की सजा की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष तक कर दी गई है । उसमें ऐसा भी उपबन्ध कर दिया गया है जिसके अधीन ऐसी औषधियों के बनाने में प्रयुक्त उपकरण और दूसरा सामान उन्हें तथा लानेले जाने के साधनों को जब्त किया जा सकता है ।

3. राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने अपने यहां मिलावटी दवाइयों के खिलाफ अभियान को तेजी से चलाने के लिए पुलिस अधिकारियों से निकट सम्पर्क रखें ।

4. जब कभी केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन को नकली दवाइयों की सूचना मिलती है और जब कभी ऐसा समझा जाता है कि इस काम में कोई अन्तर्राज्य गिरोह काम कर रहा है, उस समय सम्बन्धित राज्यों को सचेत करने तथा राज्य पुलिस की मदद से इस पर आवश्यक कार्यवाही करने की सलाह देने के लिए विशेष सावधानियां बरती जाती हैं ।

5. राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अपने औषधि निरीक्षण कार्यालयों में वृद्धि करें और दवाइयों की जांच करने की सुविधायें भी बढ़ायें ताकि अधिक से अधिक नमूने लिये जा सकें और जांच रिपोर्ट जल्दी मिल सके ।

6. केन्द्र और राज्य संगठनों के बीच निकट सम्पर्क रखने के लिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और गाजियाबाद में केन्द्रीय औषध संगठन के मण्डल कार्यालय खोल दिये हैं । मण्डल अधिकारियों का एक काम यह है कि वे मिलावटी औषधियों के लाने ले जाने खासकर जब एक राज्य से दूसरे राज्य पर ले जायी जा रही हों, की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि अन्तर्राज्य बाजार में बिकने वाली औषधियां हर हालत में मानकों के अनुसार हों । उनके इस काम में केन्द्रीय औषध निरीक्षक जो राज्य औषध निरीक्षकों के निकट सम्पर्क में काम करते हैं उनकी मदद करते हैं । मंडलकार्यालयों से सम्बद्ध केन्द्रीय निरीक्षण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जा रही है ।

7. औषध निर्माताओं और व्यापारियो के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसिएशनों को सहायता और उनका सहयोग लिया गया है ताकि निर्माण और बिक्री के तरीके अधिक से अधिक सही हों । नकली दवाइयों के विरुद्ध अभियान में उनका सहयोग लिया जा रहा है ।

8. केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के तत्वावधान में औषध निरीक्षकों और सरकारी विश्लेषकों के लिए प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम शरू किया गया है । ये प्रशिक्षण कार्यक्रम नियंत्रण उपायों को कठोरता से लागू करने में मदद दें गे ।

9. केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन औषध परामर्शदात्री समिति की बैठकें, मंडल राज्य औषध नियंत्रकों की बैठकें करके तथा मंडल अधिकारियों और राज्य औषध नियंत्रण, अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श की व्यवस्था करने पत्र व्यवहार के अलावा निरन्तर सम्पर्क तथा बातचीत जारी रखते हैं । सूचना के इस निरन्तर विनिश्चय से औषधियों के गुणों पर नियंत्रण रखने के उपायों में तालमेल रखने और उन्हें तेज करने में बड़ी मदद मिलती है ।

10. राज्यों को अपने यहां एक ऐसा राज्य औषधि सलाहकार बोर्ड गठित करने के लिए अनुरोध कर दिया गया है जिसमें औषधि निर्माताओं, व्यापारियों, चिकित्सा व्यवसाय और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल हों जो राज्य सरकारों को यह सलाह देंगे कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम को कारगर ढंग से लागू करने के लिए क्या उपाय किए जाएं ।

11. पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों में संयुक्त खाद्य और औषधि प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था कर दी गई है ।

12. अप्रैल, 1974 में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की पिछली बैठक में नकली दवाइयों के प्रचलन के बारे में और नकली दवाइयों की इस बुराई को रोकने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर किए जाने वाले उपायों पर विचार विमर्श किया गया था । केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने एक संकल्प पारित किया था जिसमें अन्य बातों के साथ साथ राज्य सरकारों से यह भी सिफारिश की गई थी कि वे आसूचना एवं विधि कक्ष समेत एक उपयुक्त कार्यान्वयन मशीनरी तैयार करें जो नकली दवाइयों की बुराई को रोकने के लिए मुख्यालय और जिला स्तर पर पुलिस के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखें ।

13. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को लिखा है जिसमें राज्य में राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन के महत्व पर जोर दिया गया हैं और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं को सख्त करने की आवश्यकता बताई गई हैं। उसमें एक कारगर औषधि नियंत्रण प्रशासन की आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया हैं और केन्द्रीय सरकार किस हद तक सहायता दे सकती हैं उस पर प्रकाश डाला गया है । अपराधी के पकड़े जाने पर वर्तमान कानून के अनुसार जहां तक हो सके कड़ा दण्ड देने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है ।

14. नकली दवाइयों के बनाने और बेचने सम्बन्धी अपराधों पर कड़े दण्ड देने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को संशोधित करने का विचार है ।

ताँबे से संबंधित परियोजनाओं का विकास

1070. श्री पी० गंगादेव : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निक्षेप से निकलने वाले बड़ी मात्रा में धातुओं, विशेषकर तांबे का उत्पादन आरम्भ करने के लिये खोज कर ली गई है ;

(ख) क्या तांबे से संबंधित ऐसी परियोजनाओं का विकास करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को पर्याप्त धन उपलब्ध है ; और

(ग) सरकार ने तांबे के आयात पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) भारतीय भूसर्वेक्षण ने विगत में तांबा सहित अनेक आधार धातुओं के प्राप्ति-स्थलों का पता लगाया है । इनकी विभिन्न स्तरों तक खोज की गई है और कुछ की तो पहले से ही खुदाई चल रही है । संभावित भंडारों के संबंध में साध्यता अध्ययन किए गए हैं । अन्य भंडारों के बारे में खोज कार्य चल रहा है ।

(ख) तांबा परियोजनाओं का विकास औद्योगिक नीति संकल्प दिनांक 30–4–1956 के अनुसार सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है । इस लिए निजी क्षेत्र को पर्याप्त धन उपलब्ध कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) वर्तमान तांबा परियोजनाओं अर्थात् राजस्थान में खेतड़ी, कोलिहान, दरीबा और चांदमारी तथा बिहार में मोसाबनी, रारवा, और सुदी, में खुदाई काम के अलावा, नए खोजे गए मलंजखंड (मध्य प्रदेश) तांबा-भंडारों को तांबा सन्द्र के उत्पादन के लिए विकसित करने का प्रस्ताव है। चोजूदा मोसाबनी, राखा और सुदी खानों के विस्तार का भी प्रस्ताव है । इन नई और विस्तार परियोजनाओं की स्थापना से तांबे का आयात काफी कम हो जाएगा ।

लोहे तथा इस्पात का निर्यात

1071. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **इस्पात और खान**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहे और इस्पात का निर्यात आदेश सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कुल कितनी राशि के हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) और (ख) . वर्ष 1975–76 के लिए लोहे और इस्पात के निर्यात का लक्ष्य 11.24 लाख टन रखा गया है । 31–12–1975 तक 13.38 लाख टन के आर्डर बुक किये गये हैं जिनका मूल्य 201.74 करोड़ रुपये है । इसमें वर्ष 1974–75 के बकाया आर्डर भी शामिल हैं । इनमें 7.33 लाख टन माल के लिए जिसका मूल्य 114.49 करोड़ रुपये है के लिए साख पत्र हैं ।31–12–75 तक 4.06लाख टन मालबाहर भेजा जा चुका है जिसका मूल्य 60.20 करोड़ रुपये है ।

Arrangement for Teaching Hindi abroad

1072. **Shri Shankar Dayal Singh:** Willthe Minister of **External Afiairs** be pleased to state :

(a) the countries where Goverrment of Irdia have made arrargemerts for teachirg Hindi; and

(b) whether any country has made a request to the Goverr ment in this behalf ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das):

(a) We have sent Hindi teachers to Bulgaria, G.D.R., Yugoslavia, Mexico and Dakar and provided two part-time teachers in Sri Lanka and three lecturers in our Cultural Centres in Guyana, Surinam and Trinidad. Another Profe ssor for teachir g Hir di is to proceed shortly to Bucharest.

(b) No request from any foreign goverrment in this behalf is per dirg corsideration with us at present.

Selection of Workers Representatives for participation in management

1073. **Shri Shankar Dayal Singh:** Willthe Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the names of the industries in the country in which steps have so far been taken for the participation of the representatives of Workers in the maragemert of big irdustries in public and private sectors; and

(b) the mode of the selection and the names of the unions frcm which representatives of the workers have so far been taken therein ?

The Minister of Labour (Shri K. V. Raghunatha Reddy) : (a)and (b):—The Scheme for Worker's Participation in Industry as announced by Government, covers manufacturing and mining industries. Its details may be seen from a copy of the Scheme which is being laid on the Table of the House separately.

स्क्रेप पर आधारित इस्पात का उत्पादन

1074. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्क्रेप पर आधारित इस्पात के उत्पादन का भविष्य निराशाजनक है ; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) और (ख) . ऐसा पता चला है कि इस्पात स्क्रेप से इस्पात का उत्पादन करने वाली कुछ विद्युत् भट्टियां बन्द हो गई हैं और कुछ ने उत्पादन करना आरम्भ नहीं किया है । इस समय इन इकाइयों के सम्मुख मुख्य समस्या अपने उत्पादों को बेचने की है । यह भी पता चला है कि कुछ इकाइयों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । यह भी फैसला किया गया है कि विद्युत् भट्टी इकाइयों की समस्याओं का परामर्शी इंजीनियरों की दो फर्मों द्वारा अध्ययन कराया जाए और उनसे उपचारात्मक उपायों के बारे में भी सुझाव देने को कहा जाए ।

Construction of Rural Roads

1076. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether a provision of Rs. 500 crores was included in the Fifth Five Year Plan for the construction of rural roads ;and

(b) if so, the funds allocated to each State on the basis of above provision ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Dalbir Singh):

(a)and(b): Presumably the Hon'ble Memberis having in mind the development of roads in the ruralareas under the Minimum Needs Programme in the Fifth Five Year Plan, for which the proposals from State Governments have been received in the Planning Commission. A statement showing the draft Fifth Plan outlayearmarked for the various States and Union Territories under this programme is attached.

Statement

Draft 5th Plan outlay for States and Union Territories under Minimum Needs Programme

Rs. in lakhs

Sl. No.	State/U.Ts.	Draft Fifth Plan Outlay
	STATES	
1.	Andhra Pradesh	3000·00
2.	Assam	2000·00
3.	Bihar	6000·00
4.	Gujarat	2500·00
5.	Haryana	300·00
6.	Himachal Pradesh	1000·00
7.	Jammu & Kashmir	800·00
8.	Karnataka	1000·00
9.	Kerala	1800.00
10.	Madhya Pradesh	4500·00
11.	Maharashtra	5000·00
12.	Manipur	400·00
13.	Meghalaya	200·00
14.	Nagaland	300·00
15.	Orissa	3500·00
16.	Punjab	300·00
17.	Rajasthan	4000·00
18.	Tamil Nadu	1000·00
19.	Tripura	400·00
20.	Uttar Pradesh	8500·00
21.	West Bengal	3300·00
		49800·00
	UNION TERRITORIES	
1.	Andaman and Nicobar Islands	—
2.	Arunachal Pradesh	—
3.	Chandigarh	—
4.	Dadra and Nagar Haveli	—
5.	Delhi	40·00
6.	Goa,Daman & Diu	8·50
7.	Lakshdeep	—
8.	Mizoram	100·00
9.	Pondicherry	22·00
	TOTAL	170·50
	Grand Total States/and Union Territories	49970·50

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का पुनर्गठन

1077. **श्री यमुना प्रसाद मंडल**: क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पदोन्नतियों के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के विचार से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा को पुनर्गठित करने की तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई थी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा को एक नया रूप देने की जरूरत है ताकि ग्रेड 1 के जनरल ड्यूटी अफसरों, अस्पताल विशेषज्ञों और अध्यापन-विशेषज्ञों को अपने अपने क्षेत्र में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर मिल सकें । सरकार ने यह सिफारिश मंजूर कर ली है ।

(ख) संशोधित ग्रेडों, अर्थात् सीनियर वेतनमान (1100–1600 रुपये) और जूनियर वेतनमान (700–1300 रुपये) में अधिकारियों का चयन किया जा रहा है । अस्पताल विशेषज्ञों और अध्यापन-विशेषज्ञों को पहले से 1800–2250 रुपये के संशोधित वेतनमान में रख दिया गया है । इसके फलस्वरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों में अपेक्षित संशोधन किए जा रहे हैं जिनमें सुपरटाईम ग्रेड 2 के पदों पर पदोन्नति भी शामिल है ।

हैदराबाद में स्क्रैप प्रोसेसिंग यार्ड

1078. **श्री एम० राम गोपालरेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेटल एण्ड स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन का विचार हैदराबाद में स्क्रेप प्रोसेसिंग यार्ड स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उससे क्या लाभ होंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख). स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन लि० और आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने संयुक्त रूप से हैदराबाद में स्क्रैप प्रोसेसिंग यार्ड स्थापित करना सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है । वे एक सहायता प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इससे होने वाले लाभ के बारे में भी उल्लेख होगा ।

भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमा के बारे में बातचीत

1080. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या समुद्री सीमा का सीमांकन करने के लिये भारत और श्रीलंका के बीच कोई बातचीत होने वाली है ; और

(ख) यदिहां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) विदेश सचिव के नेतृत्व में जिस सरकारी शिष्ट मंडल ने 14 से 17 जनवरी, 1976 तक श्रीलंका की यात्रा की, उसने अन्य बातों के साथ-साथ मन्नार तथा बंगाल की खाड़ियों में भारत तथा श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा के रेखांकन के प्रश्न पर बातचीत की । इस विषय पर दोनों सरकारों के बीच आगे बातचीत होगी ।

यहां यह स्मरणीय है कि पाक की खाड़ी मेंभारत और श्रीलंका की समुद्री सीमा जून 1974 के करार केअंतर्गत पहले ही तय की जा चुकी है ।

आल इण्डिया मोडर्न एण्डइंडीजंनिस मेडिकल एसोसिएशन की ओर से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये सीटों के आरक्षण की माँग सम्बन्धी अभ्यावेदन प्राप्त होना

1081. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोआल इण्डिया मोडर्न एण्डइंडीजीनसमेडिकलएसोसियेशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह मांग की गई है कि जो आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में स्नातक हैं उनके लिये मेडिकल कालेजों में सभी शाखाओं के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटों का आरक्षण होना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां ।

(ख) मेडिकल कालेजों के पोस्ट-ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में दाखिला उन विश्वविद्यालयों के नियमों और विनियमों के अनुसार दिया जाता है जिनसे ये कालेज सम्बद्ध होतेहैं । अनुसूचित जातियों और जन जातियों के छात्रों, जिन के लिए कुछेक विश्वविद्यालयों में आरक्षण की व्यवस्था है, को छोड़ अन्य किसी श्रेणी के लिए विश्वविद्यालय में कोई आरक्षण नहीं किया जाता है ।

बन्धक श्रमिकों का पुनर्वास

1082. **श्री एस० एम० सिद्दय्या:**

श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बंधक श्रमिकों की जीवन निर्वाह तथा सेवा शर्त्तों का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) क्या उनके पुनर्वास के लिए कोई योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

श्रम मंत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी) (क) जी हां।

(ख) और (ग):राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से मुक्त किए गए बंधकग्रस्त श्रमिकों के आर्थिक पुनर्वास के लिए तत्काल योजनाएं बनाने का अनुरोध किया गया हैं। कुछ राज्य सरकारों ने सूचित किया हैं कि बंधक श्रमिक प्रणाली (उन्मूलन) अध्यादेश, 1975 के अन्तर्गत मुक्त किए गए बन्धक ग्रस्त श्रमिकों को रोजगार और पुनर्वास प्रदान करने के लिए कार्यवाहियां विचाराधीन हैं।

इनके मुख्य लक्षण निम्न प्रकार होंगे :—

(1) बंधकग्रस्त श्रमिकों के पिछले ऋणदाता से आर्थिक संबंध समाप्त करना।

(2) मुक्त बंधकग्रस्त श्रमिकों को ऋण और निवेश या रोजगार प्रदान करना।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन योजनाओं के लिये राज्यों को निधियों का आबंटन

1083. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को कितनी धनराशि आबंटित की ; और

(ख) क्या पूरी धनराशि का उपयोग किया गया हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) राज्यों को धन वित्तीय वर्ष के हिसाब से दिया जाता है। 1975–76 में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की केन्द्र पोषित योजनाओं के लिए राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को जो धनराशि दी गई उसका एक विवरण संलग्न है।

(ख) इसका वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर और राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों से खर्च के आंकड़े मिलने पर ही पता चलेगा।

विवरण

*स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की केन्द्र पोषित योजनाओं के लिए राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को 1975–76 में दी गई रकम

(रुपये लाखों में)

राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों का नाम	दी गई रकम	
	*स्वास्थ्य	परिवार नियोजन
1. आंध्र प्रदेश	225.82	456.47
2. असम	109.36	71.15
3. बिहार	176.90	262.56
4. गूजरात	463.98	307.70
5. हरियाणा	41.05	121.80
6. हिमाचल प्रदेश	14.08	36.35
7. जम्मू व काश्मीर	15.08	44.06
8. करनाटक	124.21	515.38
9. केरल	39.82	237.59
10. मध्य प्रदेश	405.67	402.01
11. महाराष्ट्र	465.96	491.14
12. मणीपुर	15.41	8.29
13. मेघालय	17.00	8.84
14. नागालैंड	19.15	—
15. उड़ीसा	188.92	204.23
16. पंजाब	45.58	151.66
17. राजस्थान	271.19	238.58
18. तमिल नाड	106.68	447.42
19. त्रिपुरा	17.49	9.32
20. उत्तर प्रदेश	301.58	871.75
21. पश्चिम बंगाल	144.74	258.87
22. सिक्किम	·	0.40
योग	3212.67	5145.67

राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों का नाम	दी गई रकम	
	*स्वास्थ्य	परिवार नियोजन
केन्द्र शासित क्षेत्र		
1. मिजोराम	19.63	4.00
2. पांडिचेरी	2.72	5.99
3. गोआ, दमन व दीव	2.51	13.81
4. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.53	1.50
5. अरूणाचल प्रदेश	27.64	0.49
6. चंडीगढ़	3.44	8.00
7. दिल्ली	20.42	43.62
8. दादर और नागर हवेली	0.51	1.11
9. लक्षद्वीप	0.91	0.26
योग	85.31	78.78
कुल योग	3294.98	5224.45

*सामान और उपकरणों के रूप में दी गई सहायता की कीमत भी इन आंकड़ो में शामिल करली गई है ।

अखिल भारतीय स्तर पर एम० बी० बी० एस० परीक्षा

1084. **श्री एस० एम० सिद्दय्या:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम०बी०बी०एस० की परीक्षा को अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए बम्बई हाई से प्राप्त प्राकृतिक गैसों का उपयोग

1085. **श्री पी० गंगादेव:** क्याइस्पात और खान मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई से प्राप्त प्राकृतिक गैसों का उपयोग स्पंज लोहेके उत्पादन के लिये किया जायेगा ;

(ख) क्या इनप्राकृतिक गैसों से स्पंज लोहे के उत्पादन से संयंत्रों की स्थिति सुदृढ़ हो जायेगी;

(ग) क्या प्राकृतिक गैसों के उपयोग के लिये खाका तैयारकरलिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री(श्री सुखदेव प्रसाद): (क) से (घ): यद्यपि प्राकृतिक गैस से लौह खनिज के अपचयनद्वारा स्पंज लोहे का उत्पादन किया जा उकता है तथापिबम्बईहाईसे प्राप्त प्राकृतिक गैस के प्रयोग की संभावनाएं कई बातों पर निर्भर करेंगी यथा :—दीर्घकालीन आधार पर गैस की मात्रा की उपलब्धि, गैस क्वालिटी, किस मूल्य पर यह उपलब्ध हो सकती है; गैस के अन्य वैकल्पिक उपयोग आदि-आदि ।इस समय इस बारे में कोई रूपरेखा बनाना समय–पूर्व होगा ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलनों के बारे में विवरण; उद्योगों में श्रमिकों की भागेदारी योजना सम्बन्धी सरकारी संकल्प, आदि

परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : मैं श्री के० रघुनाथ रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:--

(1) आयनकारी विकिरणों के विरुद्ध श्रमिकों के संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय (संख्या 115), 1960के भारतद्वारा अनुसमर्थन सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल०टी० संख्या 10193/76]

(2) जेनेवामेंजून, 1974में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 59वें सत्र में स्वीकृत किये गये अभिसमयों तथा सिफ़ारिशों पर की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 10194/76]

(3) दिनांक 30 अक्तूबर, 1975 के सरकारी संकल्पसंख्या एस० 61011 (4)/75 डी के 1 (बी) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) कीएक प्रति, जिसमें शाप फ्लोर तथा प्लांट स्तर पर उद्योग में श्रमिकों की भागीदारी सम्बन्धी योजना दीहुई है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए एल०टी० संख्या 10195/76]

(4) (एक) जिला गिरिधी (बिहार) में माइल कोलियरी के सामने कोयला खनन-कार्य करते समय हुई दुर्घटना के कारण तथा परिस्थितियों के बारे में जांच अदालत के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करणके साथ उसका हिन्दी संस्करण सभा पटलपर न रखेजानेके कारण बतानेवाला एक विवरण (हिन्दी तथाअंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल०टी० संख्या 10196/76]

भारतीय तार (5वाँ संशोधन) नियम, 1975 तथा भारतीय डाक और तार विभाग की दूर संचार शाखा के वर्ष 1973–74 के लाभ-हानि लेखे और तुलनपत्र

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं सभापटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (पांचवां संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 13दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2826 में प्रकाशितहुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए एल० टी० संख्या 10197/76]

(2) भारतीय डाक और तार विभाग की दूर संचार शाखा के वर्ष 1973–74 के लाभ और हानि लेखे तथा तूलन-पत्र (उपार्जित आधार पर) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 10198/76]

ऐंटीमोनी धातु के उचित विक्रय मूल्य के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1975) तथा सरकारी संकल्प, विवरण और अधिसूचना

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं --

(1) टैरिफ़ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:--

(क) (एक) ऐंटिमोनी धातुके उचित विक्रय मूल्य निर्धारण सम्बन्धी टैरिफ़ आयोग का प्रतिवेदन (1975)।

(दो) दिनांक 22 जनवरी, 1976 का सरकारी संकल्प संख्या 1/6/75-मेट-वी जिसमें उपर्युक्त प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय अधिसूचित किये गये हैं।

(ख) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में निर्धारित अवधि के अन्दर उपर्युक्त दस्तावेजों को सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए** एल०टी० संख्या 10199/76]

(2) लौहेतर इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 खण्ड 2क के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सां० आ० 709(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए एल०टी० संख्या 10200/76]

मोटर गाड़ी (तीसरा पक्ष बीमा) : संशोधन नियम, 1975 और एक विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं --

(1) मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मोटर गाड़ी (तीसरा पक्ष बीमा) संशोधन नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2213 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए** एल०टी० संख्या 10201/76]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास का वर्ष 1974–75 का प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं सभा पटल पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति रखता हूं । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए** एल० टी० संख्या 10202/76]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव: मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:

(एक) कि राज्यसभा ने 15 जनवरी 1976 की अपनी बैठक में तोल तथा माप मानक विधेयक, 1976 पास किया है ।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 19 जनवरी, 1976 को पास किये गये विनियोग विधेयक, 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है ।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 19 जनवरी, 1976 को पास किये गये विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है ।

(चार) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 19 जनवरी, 1976 को पास किये गये विनियोग (रेल) विधेयक, 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है ।

तोल तथा माप मानक विधेयक

STANDARDS OF WEIGHT AND MEASURES BILL

महासचिव : मैं तोल तथा माप मानक विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित रूप में सभा-पटल पर रखता हूं ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

192वाँ प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता--पूर्वोत्तर): मैं नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक--राजस्व और बीमा विभाग के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, खंड 2, प्रत्यक्ष कर--निगम कर के अध्याय 2 पर लोक लेखा समिति के 176वें प्रतिवेदन में दी गई सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 192वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समितियों के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEES

(एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 के नियम 4 और 5 के साथ पठित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए श्री मुहम्मद खुदा बख्श के स्थान पर, जिनका निधन हो गया है, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 के नियम 4 और 5 के साथ पठित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये श्री मुहम्मद खुदा बख्श के स्थान पर, जिनका निधन हो गया है, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० नूरुल हसन) : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

कि दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियमों के अधिनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (सौलह) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये श्री अमर नाथ चावला के स्थान पर, जो लोक सभा के सदस्य नहीं रहे हैं तथा श्री एच० के० एल० भगत के स्थान पर जिन्होंने कोर्ट की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा उस विश्वविद्यालय के किसी मान्यता-प्राप्त कालेज अथवा संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:—

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियमों के अधिनियम 2 के खंड (1) के अपखंड (सौलह) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए श्री अमर नाथ चावला के स्थान पर, जो लोक सभा के सदस्य नहीं रहे हैं, तथा श्री एच० के० एल० भगत के स्थान पर, जिन्होंने कोर्ट की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा उस विश्वविद्यालय के किसी मान्यता-प्राप्त कालेज अथवा संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) विधेयक—जारी

STATUTORY RESOLUTIONS REGARDING DISAPPROVAL OF MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (AMENDMENT) ORDINANCES 1975 AND MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (AMENDMENT)BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय: अब हम आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मेरा प्रस्ताव है कि हम आज मध्यान्ह भोजन काल में भी बैठें जिससे इस विधेयक पर चर्चा के लिए हमें पूरे छः घंटे मिल जायेंगे और अनेक सदस्यों को, जो इस पर बोलना चाहते हैं, समय मिल जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सभा इस प्रस्ताव से सहमत है।

Shri Md. Jamilurrahaman (Kishanganj): Mr. Speaker democracy so far meant the Government of the people, by the people and for the people, but some of my hon. friends in the opposition, including the Jan Sangh, believed in a government of the force, by the force and for the force. Accordingly, they created an atmosphere of violence in the country and launched a campaign of character assasination of our leaders. In this connection, I quote from 'Four Faces of subversion',"the R.S.S. leaders called Gandhiji a hypocrite. The R.S.S. maligned Nehru in still worse terms" they said that Nehru was an Englishman, un-Indian and liberal bynature. There people induced the industrial labour and workers and students to go on strike. This resulted in stoppage of production and there was trouble all round the country. They also instigated communal feelings and communal disturbances occurred in many parts of the country. They supplied vital military maps to other countries. Evidently no Government worth the name willtolerate this kind of things and willhave totake drastic action to maintainlawand order. This lawis badly needed to contain the forces opposed to socialistic steps.

Some of my friends have alleged that the Congress M. P's. have been detailed. But I submit that this is the quality of my party which does not extend undue favour to anyone whether in Congress or in opposition.

Some of the newspapers have also been playing dirty game. These papers, owned by Capitalists, monopolists and blackmarketeers have been playing anti-national role and are responsible for bringing bad name to our country. There activities have got to be checked. The steps taken by our Government in this direction are justified and proper. The proclamation of emergency has been supported by many foreign newspapers. The legal measure in question as done goodtothe generalpublic and they have welcomed it. Iwishthisshould be usedagainst the anti-national forces.

As far as the bureaucracy is concerned, I believe that there are some persons who still continue to have soft corner for some of the banned organisations even after the declaration of emergency. They know that certaiin anti-national activities are going on in the areas under their control. But they close their eyes to these activities, which is not in the overall interest of the country. They should realised that the interest of the country is above every thing and act in that spirit with these words I support the bill.

Shri Ram Deo Singh (Maharajganj): Sir, Ihave not at all been surprised bythe measure that has been brought before the House, because the path Government is following at present has left for it no other alternative. Since they have taken recourse to the black law of MISA, they have now to go on making it more and more stringent. But I tell you that this policy of repression is not going to help you in the long run. It is time that Government realise this.

Several Members of Lok Sabha have been detained under MISA. It is surprising that they are not being informed of the grounds on which they have been put behind the bars. Laws are being amended on the suggestions of bureaucrats sitting in Offices. The provisions of MISA are being misused on a large scale. It is said that the people are indulging in anti-national activities. But why are they not being brought before court of Law and prosecuted ? You cannot be as for long under the cover of this blacklaw.

In the countries, where democracies are functioning, opposition parties are allowed to function freely and hold meetings, and thus inform the masses of shortcomings of Government. But what is happening in our country today ? We are not allowed to arrange meetings even agains corruption. The pressis not prepared to publish the notice of meetings for fear of being punished The reign ofterror has been let loose everywhere in the country. Gandhiji wanted to make the citizens of this country fearless and brave. But you are trying to make these citizens covered by passing such laws. The enemies of democracy and this nation are those who are conspiring to make Indians weak through such measures. This state of affairs should end. There was no need for this amendment. The Act is being misused. The earlier it is scrapped the better it will be for the country.

Mr. Speaker : How does it relate to the amending Bill ?

Shri Ram Dev Singh : I want to point out that Government and the ministers are following a particular path and this amendment in the Billis a further step in that direction. MISA is being misused at a larger scale. So I want to say that there is no need for adopting this amendment but instead this Act should be withdrawn. It is not in the larger interest of the country. The hon'ble minister has spoken about democracy. He was a veteran freedom fighter. He had pledged to make the country strong by giving rights of speech and expression to the people. But to dispense with these rights now is to betray the martyrs. I request the minister that he should withdraw the Bill.

श्री निबालकर (कोल्हापुर): मैं इस विधेयक के गुण दोषों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं किन्तु मैं मन्त्री महोदय का कुछ अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं अगर उनके अधिकारी सचेत होते तो उनके ध्यान में वह सब अनियमिततायें आ जाती । उदाहरण के तौर पर बम्बई के अम्बेडकरहोटल का उल्लेख किया जा सकता हैं । इससमय यह होटल नारंग बंधुओं के पास है । इस होटल को जब खरीदा गया था तो उसका असली मूल्य कहीं नहीं लिखा गया । तत्पश्चात् यह पता चला है कि इस होटल को अमेरीकन एक्सप्रैस बैंकिंग कम्पनी के पास रहन रखा गया है वास्तव में इसे 76 लाख रुपये में खरीदा जाना चाहिए था । इस सम्बन्ध में एक बड़ा भारी धोखा किया गया था और नारंग बन्धुओं को इसके लिये गिरफ्तार भी किया गया था । लेकिन जिन्होंने होटल बेचा उनको गिरफ्तार नहीं किया गया । इस बात में क्या तर्क है

कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें संसद सदस्य के लिए संसद् में लाना आवश्यक नहीं क्योंकि मंत्री महोदय इसे 'करेंट' में छपे समाचार से जान सकते थे ।

हम आये दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि देश में बाहर से माल लाते हुए कुछ तस्कर पकड़े गये । हमारे देश में मुफ्त में कोई वस्तुएं नहीं भेजेगा । जो वस्तुएं हमारे देश में आती हैं उसके बदले में कुछ देना ही पड़ेगा । किन्तु यह कितनी बार पढ़ने मे आता है कि देश से माल बाहर भेजते हुए कोई तस्कर पकड़ा गया ? यदि आप देश में उत्पादित खाद्यान्न और देश में राशन के माध्यम से वितरित किये गये खाद्यान्न के आंकड़ों में भारी अन्तर रहता है जिससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि कुछ खाद्यान्न देश से बाहर भेज जा रहे हैं । यदि हम प्रत्येक महीने 12 किलो खाद्यान्न भी प्रति व्यक्ति बांटे तो हमें सारे देश के लिये 850 लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी किन्तु हम इस समय 1000 लाख टन उत्पादित कर रहे हैं और इस वर्ष भी अच्छी फ़सल होने की आशा है शेष खाद्यान्न कहां जाता है ? जिस मात्रा में देश में राशन का वितरण किया जा रहा है उसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि लगभग 500 लाख टन खाद्यान्न का कहीं हिसाब किताब नहीं है । स्पष्ट है कि इस खाद्यान्न की तस्करी की जा रही है । किन्तु इधर समाचार पत्रों में इस तस्करी के सम्बन्ध में कभी कोई समाचार नहीं प्रकाशित होता । अगर देश के अन्दर एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न की तस्करी होती है तो सब को पता चल जाता है किन्तु जब देश से बाहर खाद्यान्न तस्करी के रूप में जाता है तो किसी को खबर तो नहीं मिलती, हमें इस सम्बन्ध में सतर्क रहने की आवश्यकता है । जहां तक मुझे पता चला है कि भारत से खाद्यान्न की जो तस्करी हो रही है वह खाद्यान्न चीन और पाकिस्तान को भेजा जा रहा है ।

[श्री निंबालकर]

मैं यह अनुभव करता हूं कि किसी भी व्यक्ति को नजरबन्द करने तथा उसे रिहा करने का अधिकार हमने जो केन्द्रीय सरकार को दे दिया है तो उसके परिणामस्वरूप कई अनियमितताओं का पता लग सकता है । किन्तु सच तो यह है कि राज्यों में प्रतिशोधात्मक कार्यवाहियां की जा रही हैं । इस सम्बन्ध में मैं रत्नगिरी के एक सज्जन व्यक्ति का उदाहरण दूंगा । यह व्यक्ति मुसलिम जाति के हैं। उन्हें नज़र बन्द कर दिया गया है क्योंकि दल के किसी बड़े नेता को उनका राजनीति में होना नहीं भाया । उनके विरुद्ध झूठे आरोप गड़े गये और उन्हें कारावास में डाल दिया गया है । यह अत्यन्त अनुचित बात है ।

इस व्यक्ति के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि इनका पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध है इस प्रकार के आरोप की जांच होने के बाद ही सम्बद्ध व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिये न कि किसी नेता के कहने भर से ।

इसी प्रकार का एक और उदाहरण है । मंत्री महोदय को उस सम्बन्ध में जांच करवानी चाहिये ।बम्बई में ओबराय होटल में आभूषण प्रदर्शनी थी । प्रदर्शनी अभी आरम्भ ही हुई थी कि सतर्कता विभाग के लोग वहां आये और ताला लगा दिया । कोई यह सोच सकता है कि शायद बड़ी गड़बड़ी की जा रही थी किन्तु सत्य तो यह था कि दो दिन बाद प्रदर्शनी को चलने दिया गया और अब भी यह प्रदर्शनी चल रही है । अगर कुछ गड़बड़ी नहीं थी तो प्रदर्शनी को दो दिन पश्चात् पुनः कैसे चालू किया गया ?

राजनीतिज्ञों, वकीलों, डाक्टरों तथा अन्य तरह के व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है किन्तु किसी नौकरशाही को नजरबन्द नहीं किया गया जब कि नौकरशाही में अनेक प्रकार की गड़बड़ी हो रही है । संथानम समिति के प्रतिवेदन में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कर्मचारी वृंदों द्वारा लाइसेंस और प्रमाण पत्र भेजने में अनुचित विलम्ब अथवा असाधारण शीघ्रता के कारण ही भ्रष्टाचार का जन्म होता है । अगर मंत्री महोदय सी० सी० आई० एंड ई० में फैले कदाचार की ओर ध्यान देंगे तो उनके सामने स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । वहां पर महीनों लाइसेंसों पर कार्यवाही नहीं की जाती लाइसेंस देने वाले कर्मचारी उसके बदले में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं । इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोका जाना चाहिये ।

यदि हम गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र तरीका यह है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाये । तभी अनेक व्यक्तियों को नौकरियां मिल सकेंगी और गरीबी दूर हो सकेगी ।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : गृह मंत्री ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा है कि देश में असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है इसलिए असाधारण कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी है । देश में पहले भी दो बार आपात स्थिति लागू की गई थी । एक बार 1962 में युद्ध के कारण और दूसरी बार बाहरी आक्रमण के खतरे के कारण से लागू किया गया । इन दोनों अवसरों पर सभी राजनीतिक दलों ने और समूची

जनता ने एक हो कर आक्रमण का सामना किया । 1971 में भी सभी विपक्षी दलों ने कहा था "एक राष्ट्र और एक नेता" और उन्होंने 1962 और 1971 में प्रधान मंत्री का समर्थन किया ।

1972 से 1975 के बीच देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति क्या थी ? आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी । देश में सूखा पड़ा हुआ था । खाद्यान्न का अभाव था और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं थी । मूल्य आसमान को छू रहे थे । मुद्रास्फीति अपने जोरों पर थी । जनता में असन्तोष व्याप्त था । सूखास्थिति से लाभ उठा कर विपक्षी दलों ने एक आन्दोलन आरम्भ कर दिया और हिंसा की भी वारदातें हुईं । हम सब जानते हैं कि उस समय कुछ राजनीतिक दलोंने हिंसा के बल पर बिहार और गुजरात विधान सभाओं के सदस्यों सेत्यागपत्र दिलवाये । वह हिंसा सिखा रहे थे । यहां तक कि सेना और पुलिस को वैध आदेशों का पालन न करने के लिये कहा गया । इसके अतिरिक्त श्री ललित नारायण मिश्र की क्रूर हत्या कर दी गईऔर यहां तक कि भारत के न्यायाधीश की हत्या करने का प्रयास किया गया । इस समय देश राजनीतिक और आर्थिक अशान्ति से गुजर रहा था ।

तब 12 जून, 1975 को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय का निर्णय आ गाया । इस निर्णय को आधार बना कर वह देश को नष्ट कर देना चाहते थे । उस समय सरकार का क्या कर्त्तव्य हो जाता है ? क्या सरकार निस्सहाय हो कर यह सब देखती रहती या लोकतंत्र तथा देश को खतरे से बचाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करती ? इसके लिए आपात स्थिति की घोषणा की गई इससे पहले जिन आपात स्थितियों की घोषणा की गई थी वह देश की बाह्य आक्रमण से रक्षा करने के लिए की गई थी तब भारत सुरक्षा नियम तथा आंसुका की व्यवस्था की गई थी । तब इन अधिनियमों के उपबन्ध इतने कड़े नहीं थे क्योंकि उस समय हम जानते थे कि देश का दुश्मन कौन है और इस प्रकार हम बाह्य आक्रमण से देश की सुरक्षा कर सकते थे । किन्तु जब आन्तरिक खतरा हो तो यह जानना कठिन हो जाता है कि देश का दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है । जब राजनीतिक दल स्थिति से लाभ उठाकर लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते थे संविधान को समाप्त करना चाहते थे और देश का विनाश करना चाहते थे तब कड़े कदम उठाने की आवश्यकता थी । इसके लिए ही आसुंका को अधिक कड़ा बनाने की आवश्यकता पड़ी । अब इस परन्यायालयों काक्षेत्राधिकार नहीं रहा । जब राज्य सरकार के अधिकारी कोई नज़रबन्दी आदेश जारी करते हैं तो उसकी राज्य सरकार जांच करती है और राज्य सरकार के आदेशों की केन्द्रीय सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है । अतः यह अधिनियम इतने अधिक कठोर नहीं हैं । जैसा कि गृहमंत्री महोदय ने बताया है यह अस्थायी अधिनियम है ।

आपात स्थिति में कार्यपालिका को बड़े-बड़े विस्तृत अधिकार प्राप्त होते हैं किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि नज़रबन्द व्यक्ति के पास अपने बचाव के लिएकुछ नहीं रहता । नज़रबन्दी सम्बन्धी आदेशों की न्यायालय के स्थान पर कार्यपालिका द्वारा व्याख्या की जाती है । तब कार्यपालिका ऐसे आदेशों की व्याख्या करती है तो यह स्वाभाविक बात है कि वह उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित निर्देशों के अनुसार व्याख्या करती है ।

[श्री जगन्नाथ राव]

आंसुका में किये गये पहले संशोधन के अनुसार यह व्यवस्था की गई थी कि नज़रबन्दी के कारण बताने की आवश्यकता नहीं जिस पर न्यायपालिका ने यह पक्ष लिया कि चाहे नज़रबन्द व्यक्ति को उसकी नजरबन्दी के कारण न बताये जायें किन्तु न्यायपालिका को वह कारण बताये जायें । इस कारण से आंसुका में दूसरा संशोधन करना पड़ा, क्योंकि अगर न्यायपालिका को इन कारणों को बताया जाता है तो वह तकनीकी सूत्रों के आधार पर कई व्यक्तियों की रिहाई का आदेश दे सकती है । अगर आपात स्थिति का प्रभावी प्रयोग करना है तो उसके लिये कड़े कानून होने जरूरी हैं । हो सकता है इन कानूनों का दुरूपयोग किया जाये और ऐसे कई उदाहरण भी सामने आये हैं किन्तु प्रधानमंत्री ने यह बारबार कहा हैं कि इन कानूनों का दुरुपयोग न किया जाये । माखन सिंह के मुकदमें में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि यह तर्क कि अनुच्छेद 359 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के आदेश के अन्तर्गत कार्यपालिका इन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है, और नागरिक अपना कोई बचाव नहीं कर सकते, राजनीतिक आधार पर दिया गया है । यदि जनता सचेत और जागरूक है तो कार्यपालिका इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती । अगर हमें ऐसा कोई उदाहरण मिले जहां इन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया हो तो हमें उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिये ।

आपात स्थिति को कब तक लागू रखना है और जनता के मौलिक अधिकारों पर क्या नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है इन बातों का निर्णय तो कार्यपालिका को ही करना होता है । इस सम्बन्ध में माखन सिंह के मुकदमें के दौरान उच्चतम न्यायालय ने भी यह राय व्यक्त की है । इसलिए आपात स्थिति के सम्बन्ध में कार्यपालिका को ही निर्णय लेने का अधिकार है । हमें कार्यपालिका में विश्वास रखना चाहिए ।

अब जिम्मेदारी विरोध पक्ष की है । उन्हें चाहिये कि वह देश में शान्ति पूर्ण वातावरण बनाने में सहयोग दे और यह सुनिश्चित करे कि आपात स्थिति जैसे हथियार का प्रयोग किसी के विरुद्ध न किया जाये । इसका उपयोग केवल राजनीतिक दलों के विरुद्ध नहीं किया गया है । हमने इसका प्रयोग कुछ सदस्यों के विरुद्ध भी किया है जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं और कानून को तोड़ रहे हैं ।

Shri R. V. Bade (Khargone): Mr. Speaker, Sir, I oppose the amending Bill because it has been made stringent and harsh. Even the grounds of detention cannot be questioned. Every citizen has a right to know about the ground of his detention. We wanted to usher an era of Ram rajya but we are seeing that we are under the spell of Ravana rajya. Atrocities are being perpetrated but there is no remedy. Though I have not been arrested but leaders of my Party like Shri Atal Bihari Vajpayee and Shri Jagannath Rao Joshi have been detained. I cannot speak with that force which these leaders have at their comunal.... *Interruptions* The way MISA is being misused, there is no appeal against it you cannot move the courts. If Police does not listen. So I oppose the Bill and request the Hon. Home Minister that he should withdraw it.

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । सरकार के पास इस विधेयक को लाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था उसे आंसुका के उपखंड 3 और 4 को संशोधित करना पड़ा है । आपात स्थिति के दौरान प्रशासन के हाथ मजबूत

करने के लिये इस विधेयक को लाया गया है क्योंकि भारत जैसे विशाल देश की आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना सुगम नहीं होता । चूंकि शान्ति भंग होने का खतरा था, कुछ राजनीतिक दल देश की अखण्डता को समाप्त करने पर तुले हुये थे । कुछ समाज-विरोधी तत्व भी देश में गड़बड़ फैलाना चाहते थे अतः आपात स्थिति की घोषणा करनी पड़ी वरन्: देश में अशान्ति फैल जाती । आपात स्थिति और आंसुका लागू करके प्रधान मंत्री ने देश को विनाश से बचा लिया है नहीं तो केवल भगवान ही जानता है इस देश का क्या बनता । इस देश ने वर्षों असंख्य बलिदान देकर स्वतंत्रता संग्राम किया है और इस प्रकार कठिनाई से प्राप्त की गई देश की स्वतन्त्रता को खतरे में नहीं डाला जा सकता था ।

अगर इस अधिनियम को लागू करके देश की आन्तरिक स्थिति को शान्त न रखा जाता तो विध्वंसकारी तत्व अपना उद्देश्य पूरा कर लेते और सारे देश में अशान्ति फैल जाती और ऐसा गृहयुद्ध छिड़ता जिस पर काबू पाना कठिन हो जाता ।

आंसुका 1971 में संशोधन करने का उद्देश्य इस अधिनियम को अधिक प्रभावशाली बनाना है और इससे निर्दोष जनता की सहायता करना है कि कानून की पालन करने वाले लोगों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े । जो तत्व देश के आर्थिक विकास में बाधा बनना चाहते हैं जिनके निहित स्वार्थ हैं वह इस अधिनियम के अन्तर्गत जेलों में बन्द हैं और ऐसे लोगों के लिये वही स्थान सबसे अधिक उपयुक्त है।

सरकार के उन्हीं मीसा बन्दियों को रिहा करना चाहिए जहां यह बात निश्चित हो जाये कि वह लोग निर्दोष थे क्योंकि ऐसे मामलेभी प्रकाश में आये हैं जिनमें ऐसे बन्दियो को निर्दोष समझ कर छोड़ दिया गया था । किन्तु छूटते ही इन्होंने और बड़े अपराध किये जिससे उन्हें पुनः जेल में रखना पड़ा है । कई देश भारत को पुनः गुलामी की जंजीरों में देखना चाहते हैं और वह यहां अनेक लोगों को उकसा रहे हैं उनके साथ कड़ा रूख अपनाया जाना चाहिये । नजरबन्दी के कारण कभी नहीं बताये जायें तभी आपात स्थिति को प्रभावकारी बनाया जा सकता है वरन् इस अधिनियम का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है जिससे देश का हित नहीं हो सकता । गिरफ्तार व्यक्तियों को तब तक जेलों में रखना चाहिये जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती । तब तक आपात स्थिति को लागू रखा जाये । मुझे विश्वास है कि अगर आंसुका अधिनियम कड़ाई से लागू किया जायेगा तो इसमें वांछित परिणाम निकलेंगे ।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर): मैं इस विधेयक का जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं । विपक्षी दलों की गतिविधियों ने सरकार को यह आमूल कदम उठाने के लिये मजबूर कर दिया है ।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि कुछ कार्यकारी अधिकारी इस अत्याधिक शक्ति का दूसरे तरीके से उपयोग करेंगे । सरकार उन पर पूरी नजर रखती है वह यह देखती है कि यह

[श्री एस० आर० दामाणी]

अधिकारी निष्ठापूर्वक कार्य करे और न्याय करे आपात् स्थिति की उद्घोषणा के बाद देश में सर्वतोमुखी सुधार हुआ है । रेलगाड़ियां ठीक समय पर चलती हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

तापीय बिजली घरों अथवा उद्योगों एवं कृषकों की यह शिकायतें नहीं है कि उन्हें माल डिब्बे नहीं मिल रहे हैं ।

सरकार को अब रेलवे प्रशासन से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो रही है और इस प्रकार उन्होंने वित्तीय स्थिति को मजबूत बना लिया है । इस्पात कारखानों में उत्पादन बढ़ा है । आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद... **(व्यवधान)**।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह आपातकालीन स्थिति के बारे में बोल रहे हैं । विधेयक के बारे में नहीं ।

अध्यक्ष महोदय:: मेरे विचार से यह विधेयक आपात्कालीनस्थिति से सम्बद्ध है । मैं हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि सदस्य विधेयक के विस्तार-क्षेत्र के बारे में ही कहें ।

श्री एस० आर० दामाणी : आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद इस्पात कारखानों में उत्पादन दस लाख टन बढ़ा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप छः मिनट तक बोल चुके हैं अब कुछ विधेयक के बारे में कहिए । इस विधेयक के क्या उपबन्ध हैं और उनका कैसे प्रवर्तन किया जाये, इस बारे में कहिए ।

श्री एस० आर० दामाणी: : मैं इसकी उपलब्धियों के बारे में तथा क्यों इसकी आवश्यकता हुई, कह रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस विशेष विधेयक तथा इसके विशिष्ट उपबन्धों अर्थात् किसी व्यक्ति को नजरबन्द करने के कारणों को किसी भी व्यक्ति तथा उस व्यक्ति को भी जिसे नजरबन्द किया गया है, नहीं बतलाया जायेगा; विचार कर रहे हैं। इस बारे में आप को क्या कहना है ।

श्री एस० आर० दामाणी : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका): उपाध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम अर्थात् आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम पहले ही बुरा है और अब तो तीन अध्यादेशों से तो स्थिति और भी बिगड़ गई है ।

जहां तक नजरबन्दी का सम्बन्ध है जब मूल विधेयक पास किया गया था तो उस समय यह कहा गया था कि कुछ विशेष परिस्थितियां हैं । अब यह कहा जाता है कि ये विशेष परिस्थितियां इतनी अधिक असाधारण हो गई हैं कि सरकार को ये संशोधन लाने पड़े हैं जिनके अन्तर्गत सरकार यह भी नहीं चाहती कि कोई अदालत का दरवाजा खट-खटाए । सरकार ने सम्पूर्ण मामले को न्यायालय की सीमा से बाहर रखा है । यह भी आवश्यक नहीं समझा गया है कि नजरबन्द किये जाने वाले व्यक्ति को नजरबन्दी के कारण बतायें जाये । कहा गया है कि यह सब देश की सुरक्षा के हित में किया गया है ।

क्या देश की सुरक्षा को वास्तव में खतरा पैदा हुआ है । कहा गया है कि सत्याग्रह करने का आशय था । क्या अब सत्याग्रह इतनी अछूत वस्तु हो गई है कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो । यह सत्याग्रह ही है जिसके कारण हमने स्वतंत्रता संग्राम में विजय प्राप्त की है । नजरबन्द व्यक्तियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है । यह कहां तक उचित है । सरकार को इस स्थिति पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और सदन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसने राजनीतिक नजरबन्द लोगों को अपराधी क्यों माना है । ब्रिटिश सरकार ने भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन लोगों को भी जिन्होंने उनके विरुद्ध आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, राजनीतिक कैदी माना था। किन्तु आजकल नजरबन्द लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है ।

इस विधान की सारी योजना घातक है । अधीनस्थ अधिकारियों को इतने अधिकार दिये गये हैं कि वे लोगों को नजरबन्द कर सकते हैं । यद्यपि इनके कारण हो सकते हैं फिर भी इनकारणों को बताने की आवश्यकता नहीं है । इस बात का निर्णय कौन करेगा कि वे कारण पर्याप्त या सन्तोषजनक हैं । क्या सरकार ने कोई ऐसी विशेष व्यवस्था की है जिससे इनकी जांच की जा सके कि ये ठीक हैं ?

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बड़ी तेजी से तानाशाही की ओर बढ़ रही है। हाल के कांग्रेस अधिवेशन में लिए गये निर्णयों को और क्या कहा जा सकता है ? जो कुछ भी चर्चा हो रही है और जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उनका अर्थ है राष्ट्र और दल को बराबर के दर्जे पर रखना। आपात स्थिति के बाद जो काम किये गये हैं वे विपक्षी दलों को स्वतंत्ररूप से काम करने से रोकने के लिए किये गये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उनका अगला कदम यह होगा कि सरकार और कांग्रेस एक ही बात है । तानाशाही की ओर यह एक अन्तिम कदम होगा । सरकार को चाहिए कि वह स्पष्ट रूप से यह कहे कि उसका यही अन्तिम उद्देश्य है । लोगों के मूल अधिकारों को समाप्त कर लोकतंत्र की रक्षा नहीं की जा सकती है । सरकार के वकील कहते हैं कि किसी भी नागरिक को जीवन अथवा सम्पत्ति का अधिकार नहीं है । वास्तव में इस अधिनियम में स्वयं यह व्यवस्था है । सरकार के लिएन तो कोई प्राकृतिक कानून है और न कोई सहज न्याय है । संविधान का गलत कार्य अर्थ लगाने के अतिरिक्त और कोई महत्व नहीं रह गया है ।

कहा गया है कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा से मुद्रास्फीति को रोकने में सहायता मिली है और उत्पादन बढ़ा है । इस वर्ष मानसून अनुकूल रहा है और उत्पादन अच्छा

[श्री एच० एम० पटेल]

रहा है । यह कहना बड़ी विचित्र बात है कि आपातकालीन स्थिति के कारण उत्पादन बढ़ा है ।

श्री श्यामसुन्दर महापात्र (बालसोर) : उपाध्यक्ष महोदय, आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना विधेयक, 1976 हमारी सरकार का एक सराहनीय कार्य है । जो समाज विरोधी तत्व हैं और जो हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं उनके लिये यह एक डर बन गया है और यही कारण है कि वे लोग जो इनके साथ हैं इसका विरोध करते हैं ।

इस समय हमारा देश संक्रमण काल से गुजर रहा है। आज देश सामन्तशाही अथवा पूंजीवादी व्यवस्था से नई अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और ऐसे संक्रमण काल में समाज-विरोधी तत्वों को दबाने के लिए ऐसा विधेयक आवश्यक है। भारत में जयप्रकाशजी जैसे लोगों ने जो कि जनता की ओर से बोल रहे थे, ऐसी गड़बड़ी पैदा कर दी थी कि जिससे निपटना आसान नहीं था। अतः ऐसी स्थिति में ऐसे कदम उठाये जाने उचित हैं। जो भी रोक लगाई गई है वह जनता के कल्याण के लिए लगाई गई है। यदि इसे तानाशाही कहा जाये तो यह जमाखोरों, कालाबाजार करने वालों तथा उन लोगों के विरुद्ध जो अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक एकता को नष्ट करना चाहते हैं, जनता की तानाशाही है। इस समय पुलिस और सरकारी अधिकारियों को अत्यन्त जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। उन्हें इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे सरकार की लोकप्रियता कम न हो। जो भी विदेशों के राजनयिक, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत आये हैं उन्होंने आपातकालीन स्थिति की सराहना की है। उन विदेशी समाचार एजन्सियों ने भी जो कुछ समय तक विरोध करती रहीं, अब समझ गई हैं कि प्रधानमंत्री ने उचित कदम उठाया है। ऐसी स्थिति में मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। आरम्भ में अनेक कांग्रेसी संसद् सदस्य इसके पक्ष में नहीं थे किन्तु जब यह मालूम हुआ कि इसके पीछे वे लोग हैं जो अहिंसा और संवैधानिक साधनों में विश्वास नहीं करते हैं तो हमने आपातकालीन स्थिति का समर्थन किया। यदि देश के हित में हमें अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता त्यागनी भी पड़े तो वह श्रेष्ठ है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से इस विधेयक का विरोध करत हूं। 1950 से इन गत 26 वर्षों में संसद् को इस देश के नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए कहा गया है। मैंने आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम सम्बन्धी संशोधनों का पहले भी विरोध किया है किन्तु सत्ताधारी दल के भारी बहुमत के कारण वे पास किये गये। मेरा जो भय था वह सत्य साबित हुआ है। देश के नागरिकों की सिविल तथा राजनीतिक स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भारी आघात हुआ है।

गृह मंत्री ने जो दो संशोधन पेश किये हैं वे व्यक्तिगत नागरिक के जीवन तथा स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष रूप से आघात पहुंचाते हैं किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता एक पवित्र चीज है और सरकार को कोई अधिकार नहीं कि वह किसी के अधिकारों या स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करे। आंसुका के प्रयोग से संवैधानिक उपबंधों का खुले रूप से उल्लंघन हो रहा

है साथ ही संविधान में निहित जनता के अधिकारों तथा स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। सरकार ने यह बात कह कर कि यह बताना लोकहित में नहीं है, यह नहीं बताया कि आंसुका के अन्तर्गत कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

गृह मंत्री ने कहा है कि देश के हित में ये सारे संशोधन आवश्यक हैं किन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि देश के अधिकाधिक हित में क्या है, लोगों को बिना किसी कारण के और संविधान के अनुसार स्थापित न्यायालयों के माध्यम से कार्यवाही किये बिना सरकार की लोगों को नजरबन्द करने की कार्यवाही एकतरफा है। गृह मंत्री ने कहा है कि उन्हें कुछ विधि सम्बन्धी तथा कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां हैं। इन सब बातों का अर्थ निरंकुशता है। विश्व के लोकतंत्रीय देशों में नागरिकों को अधिकाधिक अधिकार दिये जा रहे हैं। अतः मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या वह बिना किसी आधार के शासन करना चाहती है।

अध्यादेशों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से न्यायपालिका तथा न्यायालयों का प्राधिकार तथा योगदान सीमित रह जायेगा। यह तो समझ में आता है कि नजरबन्द व्यक्ति को नजरबन्दी के कारणों से अवगत न करना राष्ट्रहित में है किन्तु क्या न्यायाधीशों को उनसे अवगत न कराना और उन कारणों को गोपनीय रखना उचित होगा? इन संशोधनों के द्वारा यदि न्यायालयों को भी कारण नहीं बताए जायेंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि सरकार के पास ही इस सम्बन्ध में कारण नहीं हैं और यदि हैं तो वह उन्हें छुपाना चाहती है। वास्तविकता तो यह है कि सरकार इन दो संशोधनों से इन कारणों को छिपाने की कार्यवाही को कानूनी रूप देने का प्रयास कर रही है। यह कार्यवाही अवैध और गैर-संवैधानिक है।

इन दो संशोधनों का अर्थ होगा संविधान से अनुच्छेद 226 को हटाना। सरकार जो प्रत्यक्ष रूप से कर सकती है वह अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती है। सरकार को चाहिए कि वह स्पष्टरूप से कहे कि वह अनुच्छेद 226 हटाना चाहती है। यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि ये संशोधन राष्ट्र के हित में हैं। वास्तव में यह केवल उच्च न्यायालय तथा न्यायिक संवीक्षा को नष्ट करना है। नजरबन्द व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करना उसका मूलभूत अधिकार है। यह अधिकार ब्रिटेन से बहुत से देशों ने अपनाया है। इसे समाप्त करना संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करना है। इसका अन्ततः समाधान इस विनाश के विरुद्ध लड़ाई लड़ना है।

फ्रेंच न्यूज एजेंसी के अपने हाल के प्रेस इन्टरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह चाहती हैं कि देश में लोकतंत्र ही रहे और वह संविधान अथवा संसदीय प्रणाली में कोई बड़े परिवर्तन की कल्पना नहीं करती हैं। यदि ऐसी बात है तो मैं प्रधानमन्त्री और सरकार से अपील करता हूं कि वह ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हमारे संविधान का मूल ढांचा नष्ट हो जाये। हमारे संविधान में दिये गये अधिकार और स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिये।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to express my views in support of the Bill. Today complaints are made that MISA is being

[Shri Nathu Ram Ahirwar]

enforced against opposition parties but the fact is that after the proclamation of emergency people in rural areas have heared a sigh of relief. The government employees did not go to their offices in time and did not follow the rules and thus people faced a lot of difficulties.

The opposition parties asked the people in rural areas not to sell foodgrains to the Government at cheap rates and thus created discontentment in the country. There were the cases of chain pulling in the trains causing inconvenience to the passengers. There was no discipline in the schools and offices. The corrupt people took out processions at boat club and made a demand for democracy. When Government took appropriate action they are now demanding their rights.

There will not be even one percent people who willnot consider emergency essential. The opposition parties were bent upon distorting the image of the country and thus weakening the country. Only the corrupt employees, smugglers and blackmarketers have been hit hard by this emergency.

It is correct that this measure has been misused at some places and it is for this reason that Government officials should not be vested with very wide powers. If complaints are received against any government officials, stringent action should be taken against the corrupt or inefficient officials immediately. With these words I support this Bill.

Shri Jagannath Mishra(Madhubani): Mr. Deputy Speaker,Sir, when there is a question of country's interest, we should work together irrespective of any party or ideology. The Congress won in the general elections of 1971. The opposition parties could not digest this victory. They, therefore, combined together to malign and defame the present Government.

When the country faced drought conditions and the production declined, the Prime Minister consulted these people with a view to solve this problem but they incited the people. The factories were closed down and strikes and gheraos were resorted to and thus a situation of disorder and chaos was created which compelled the Government to proclaim emergency. I do not know why these persons are so worried for bringing forward this Bill. There is nothing in the bill except the provision to arrest the persons working against the interst of the country.

Charges have been levelled that MISA has been misused. Government and the Ministry of Home Affairs are very cautious to see that it is not misused. If any case of its misuse comes to the notice of the Government they willnot hesitate in taking steam action against the guilty persons.

It is provided in the Bill that it is not necessary to disclose to the person arrested the grounds for his detention, but the State Government porsess all infor mation and pass it on to the Union Government. Section 16A has been amended mainly with the object of becomir g lacuna in the earlier enactment.

I would also like to draw your attention to the smuggling activities going on in my constituency, Madhubani near Nepal boarder even during the emergency. Some opposition political leaders flee to Nepal and incite the people clandestinely. I would request the Home Minister to look into the matter and award stringent punishment to the guilty persons. With these words I support the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : आशा है कि गृहमंत्री 2 बजे वाद विवाद का उत्तर देंगे। 4 मिनट रहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि श्री आगा 4 मिनट में अपना भाषण पूरा कर सकेंगे।

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुए विरोधी दलों के उन सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है कि पश्चिमी देशों में भी और खासतौर से संयुक्तराज्य अमरीका में अब्राहम लिंकन ने आपात स्थिति और युद्ध के दौरान बन्दी प्रत्यक्षीकरण की व्यवस्था निलंबित कर दी थी। ऐसी स्थिति में ये संशोधन आवश्यक

हो गये हैं क्योंकि यदि विघटनकारी शक्तियों से कारगर ढंग से नहीं निपटा जाता है तो वे देश के सामने गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं । आन्तरिक और बाह्य रूप से हमें खतरा है। आपात स्थिति से यह खतरा समाप्त नहीं हो पाया है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम अधिक सतर्क रहें। मैं कुछ मामले उद्धृत कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब 2 बजे गये हैं। माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री सैयद अहमद आगा : आपने मुझे केवल 4 मिनट दिये हैं । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मैंने अभी तक जो कुछ कहा है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने जो कुछ कहा है वह रिकार्ड में है।

श्री सैयद अहमद आगा : आप मुझे 4 मिनट और दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको 2 मिनट दूंगा। क्या आप उदाहरण देने के बजाय इस विधेयक के बारे में स्वयं अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते।

श्री सैयद अहमद आगा : आप मुझे नहीं बोलने देते । आपके पीठासीन के दौरान मैं बोलने का प्रयास नहीं करूंगा। मेरा पहले भी ऐसा ही अनुभव रहा है।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इस सभा ने 1971 में आंसुका विधान पारित किया था। उस समय आपात स्थिति नहीं थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): उस समय युद्ध हो रहा था।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : आपातस्थिति बाद में लागू की गई थी। जब बाह्य आक्रमण अथवा आन्तरिक अशान्ति के कारण कोई आपात स्थिति नहीं थी तब एक ऐसा कानून बनाना आवश्यक समझा गया था जिसके अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका को यह शक्ति दी जाये कि वह बिना मुकदमा चलाये लोगों को नजरबन्द करे। आंसुका के दो वर्ष पूर्व निवारक निरोध अधिनियम लागू था। नजरबन्दी का अर्थ है किसी की गतिविधि को रोकना। यह दण्ड नहीं है।

आपको स्मरण होगा कि संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अन्तर्गत सामान्य स्थिति में भी लोक हित में नजरबन्दी का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। 1971 के आंसुका में भी एक ऐसा ही खण्ड है। एसाही उपबन्ध संविधान में अनुच्छेद 22(5) में है। अतः यदि यही स्थिति हो, तो कठिनाइयों पर विजय पाने के लिये देश का प्रशासन चलाने, स्थिति पर काबू पाने और इस देश में अशान्ति पदा नहोनेदेने हेतु कार्यपालिका को कुछ शक्तियां निस्सन्देह दी जानी चाहियें। अतः उसे कुछ असाधारण शक्तियां प्रदान करनी ही होंगी।

[श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी]

आपको यह भी स्मरण होगा कि जून, 1975 में आपात स्थिति लागू करने के बाद खण्ड 16क जोड़ा गया। इस खण्ड में व्यक्ति को सरकार से अपनी नजरबन्दी का कारण जानने के अधिकार से वंचित किया गया है। इस खण्ड का कार्यकाल 12 महीने है। और यह सीमित है।

आज भी माननीय सदस्यों को यह जानकारी होगी कि नजरबन्दी दो प्रकार की होती है। एक तो उस अध्यादेश के अंतर्गत जहां 1971 का मूल आंसुका लागू होता है जिसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को नजरबन्द किया जाता है तो उसे नजरबन्दी के कारण बताये जाने होते हैं। परन्तु जिन मामलोंमें राज्य सरकार यह घोषणा करे कि यह आवश्यक नहीं है उनमें राज्य सरकार अथवा नजरबन्द करने वाले अधिकारी को कारण बताना जरूरी नहीं है। अतः मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अन्तर को समझें। आज भी मुझे याद है कि आपात स्थिति लागू होने के बाद भी नजरबन्द किये गये लोगों को नजरबन्दी के कारण बताये गये हैं और उन्हें 1971 के आंसुका के अन्तर्गत सभी सुविधायें प्रदान की गयी हैं। अतः इससे पता चलता है कि आपात स्थिति के दौरान भी कार्यपालिका के पास कितनी सीमित शक्ति है।

मैंने कई बार कहा है कि यह एक असाधारण स्थिति है और यदि इस देश के सामान्य लोकतांत्रिक जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाना है तो इस पर नियंत्रण करना होगा।

सभी लोकतांत्रिक देशों में सामान्य स्थिति में भी अव्यवस्था को नियंत्रण में लाने और देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये और अधिकांश रूप से आपात स्थिति में कार्यपालिका को कुछ शक्तियां देनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में जबकि समूचे राज्य के शांतिपूर्ण जीवन को खतरा पैदा हो जाता है तो स्थिति को संभालने के लिये कार्यपालिका को कतिपय शक्तियां देना आवश्यक हो ही जाता है। मेरा यही कहना है।

राज्यों में सामान्य नजरबन्दी के मामलों से निपटने के लिये सलाहकार बोर्ड कार्य कर रहे हैं। वे समाप्त नहीं किये गये हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि मामले उच्चतम न्यायालय निपटाये। श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि "आप इन न्यायालयों का सम्मान करें" मैं संविधान के अंतर्गत बनायी गयी सभी संस्थाओं का सम्मान करता हूं, चाहे यह न्यायापालिका, कार्यपालिका अथवा संसद हो। परन्तु इसमें एक सिद्धांत निहित है और 'लोक हित' की बात है। जब कार्यपालिका इस तरह की स्थिति में यह आवश्यक समझती है, तो कारण नहीं बताये जाने चाहियें और किसी व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

कल ही श्री इन्द्रजीत गुप्त यह कह रहे थे कि अभ्यावेदन देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस विधेयक के द्वारा कुछ संभावित कानुनी कठिनाइयों को स्पष्ट किया गया है। नजरबन्द व्यक्ति अथवा उसकी ओर से कोई व्यक्ति अभ्यावेदन कर सकता है। और वास्तव में केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन किये गये हैं। 193 अभ्यावेदन हमारे पास आये हैं। हमने राज्य सरकारों से परामर्श किया है। 20 प्रतिशत नजरबन्द व्यक्तियों को रिहा किया गया है।

इस विधेयक अथवा इससे पहले वाले विधेयक के अन्तर्गत आप न्यायालय नहीं जा सकते । किन्तु नजरबन्दी के दौरान कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के पास अभ्यावेदन दे सकता है । मैं यह बात तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं। केन्द्रीय सरकार के पास अनेक अभ्यावेदन आये हैं और केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की सलाह से इन पर गौर किया है और लगभग 20 प्रतिशत नजरबन्दियों को रिहा किया गया है ।

श्री हीरेन मुकर्जी: क्या यह सब सरकार अथवा कुछ व्यक्तियों के स्वैच्छिक कार्य पर आधारित है किसी कानून के उपबन्ध के अनुसार क्या कोई व्यक्ति अभ्यावेदन नहीं दे सकता ?

श्री ब्रह्मा नन्द रेड्डी : कारणों का बताया जाना और न्यायालय में अपील सम्बन्धी अधिकार तो जुलाई में इस अधिनियम में किये गये संशोधन के अन्तर्गत ही समाप्त कर दिया गया था कठिनाई यह है कि आप विधेयक का उद्देश्य समझे बिना ही नजरबन्दी की ही आलोचना कर रहे है, आप आसुंका को समाप्त करवाना चाहते है जो कि एक अन्य मामला है इस संशोधन से तो हम कुछ बातो को स्पष्ट करना चाहते हैं जिससे कुछ कानूनी कठिनाईयों का सामना न करना पड़े । मैं आप से अनुरोध करुंगा कि आप इसे उस दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करिये । जुलाई में पहली बार 16 (क) खंड प्रस्तुत किया गया था जिसके अन्तर्गत नजरबन्दी का कारण बताने सम्बन्धी अधिकार समाप्त कर दिया गया था । इस विधेयक के अन्तर्गत तो यह व्यवस्था की जा रही है कि अधिकारी को अपनी सूचना और सामग्री का सोत बताने की आवश्यकता नहीं है । आप इसे इस प्रकार देखेंगे तो आप समझ जायेंगे कि इस विधेयक का सीमित उद्देश्य है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने श्री नीरेन डे द्वारा दिये जा रहे तर्कों का उल्लेख किया है । मैं कहना चाहूंगा कि यह सब बाते निर्णयाधीन हैं अत: उन्हें यहां उद्धरत करना सही नहीं है । संसद ने 1975 के अधिनियम की 16 (क) धारा के अन्तर्गत कार्यपालिका को यह अधिकार दे दिया है कि उसे कारण बताने की आवश्यकता नही है । न ही नजरबन्द व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है ।

यह प्रश्न भी किया गया है कि हम इतने अधिक अधिकार सभी छोटे अधिकारियों को दे रहे हैं । यह बात सही नही है और हमने इस मामले में सावधानी बरती है। कानून के अन्तर्गत केवल जिलाधीश या अतिरिक्त जिलाधीश जिसे विशेषरुप से पुलिस कमिश्नर की शक्तियों दी गई हैं या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार को ही नजरबन्दी के आदेश जारी करने के अधिकार है ।

यह कहना सही नही है कि नजरबन्द करने के अधिकार हर छोटे बड़े अधिकारी को दे दिये गये है । यह अधिकार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा जिलाधीश या पुलिस आयुक्त अथवा अतिरिक्त न्यायाधीश को दिये गये हैं । कल आप कह रहे थे कि किसी भी व्यक्ति को बिना आदेश बिना लिखित आदेश के नजरबन्द किया जा सकता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: यह मैंने नहीं बल्कि श्री नीरेन डे ने कहा है ।

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी: श्री नीरेन डे ने क्या कहा है यह मैंने नहीं सुना। न आपने ही सुना है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या हम समाचार पत्रों पर विश्वास न करे। इन समाचारों का विरोध नहीं किया गया है।

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी: यहां तरह तरह के प्रश्न उठाये जाते है। मुझे उनका सब का उत्तर नहीं देना होत है। मेरे पास इतने साधन भी नहीं है अत: मैं केवल समाचार पत्रों पर ही निर्भर नहीं कर सकता। आप भी ऐसा मत करिये।

श्री एस० एम० बनर्जी: हम श्री नीरेनडे अथवा समाचार पत्रों पर निर्भर नहीं करते।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: हम विधेयक पर ही निर्भर करते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी वह देश के एटर्नी जनरल है आप उन पर नियन्त्रण क्योंनहीं लगाते?

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी: यह प्रश्न निर्भर रहने का नहीं है। देखना यह होता है कि जिस सन्दर्भ में बात कही जाती है उसीमें ही उसे देखना होता है। आप कुछ बात यहां कहते हैं तो उसे बिना सन्दर्भ के बाहर उद्धरत किया जाता है।

यदि कोई अधिकारी आंमुका का दुरुपयोग करते है या किसी द्वेषवश कोई गलत कार्यवाही करता है तो उसके विरुद्ध राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार कार्यवाही करेगी। इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री ने राज्यों को लिखा है कि वह यह देखे कि इस अधिनियम का दु पयोग नहीं किया जाये।

कुछ मामलोंमें सरकार ने राज्य सरकारों की सलाहसे नजरबन्दी आदेश रद्द किये है। किसी द्वेषपूर्ण कार्यवाही का कारण बताने को मांग करने केलिये अब तो रास्ते खुल गये हैं। सरकार बुरी नीयत से की गई किसी कार्यवाही का पक्ष नहीं लेगी।

फिर भी कहीं कहीं इस शक्ति का दु रुपयोग हो सकता है। अनेक शिकायतें की जा रही हैं उनमें से कुछ शिकायतें उचित हो सकती हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: आपनें अपनी ओर के कितने व्यक्तियों को बन्दी बनाया है?

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी: आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं कि हम व्यक्तियों को इस आधार पर बन्दी नहीं बनाते कि वह मेरे अथवा आपके दल के होते हैं। सरकार उन्हीं व्यक्तियों को बन्दी बनाती है जिनसे किसी खतरे की सम्भावना होती है।

श्री के० गोपाल (करूर) मैंनें श्री दीनेन भट्टाचार्य के एक भूतपूर्व सहयोगी के बारे में अभ्यावेदन दिया था। इन्हें मद्रास में नजरबन्द किया गया था। इस अध्यादेश के आधार पर उन्हें रिहा कर दिया गया।

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी: श्री भूपेश गुप्त ने भी प्रधान मंत्री को बिहार मे साम्यवादी दल के नजर बन्द व्यक्तियों के बारे म लिखा था। उनमे से दो को रिहा करदिया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: अभी उनमे से 17 व्यक्ति जेल में हैं।

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी: आप किसी दल विशेष के विषय में नहीं कह सकते हैं। फिर किसी दल विशेष के व्यक्तियोंको नजरबन्द नहीं किया जाता। कहीं कुछ कमियोंहो सकती हैं किन्तु अगर कहीं कुछ जान बूझ कर किया जानाहैतो सरकार उसका समर्थन नही करेगी वहदोषी अधिकारी को उसका समुचितदंडदेगी। हमने सब के लिये द्वारखोल रखे हैं इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत अनेक अपील आई हैं। श्री सोमनाथ चटर्जीने कहा है कि बाहरी आक्रमण के खतरे के सन्दर्भमें लागू की गई आपात स्थितिके अन्तर्गत ही सरकारके पास पर्याप्त शक्तियां हैं। सरकार और क्यों शक्तियों लेना चाहतीहै ?

किन्तु इस समय स्थिति में अन्तर है अब आन्तरिक स्थिति के कारण है उस समय भी स्थिति को और वर्तमान स्थिति को बराबर समझना उचित नहीं है ।इस समय जितने भी अधिकार लिये जा रहे है उनका बड़ी सतर्कतापूर्ण प्रयोग किया जा रहा है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने श्री ज्योतिर्मय बसु के स्वास्थ्य के बारेमें कहा था। आरोपों की जांच की गई थी और उन्हें गलत पाया गया। यथासम्भव सुविधाएं नजरबन्दियों को दी जा रहीं हैं। उन्हें पत्र पत्रिकायें वगैरहा भी उपलब्ध की जा रहीं हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी ने इन्दौर जेल में अपने कुछ मित्रों के स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और उनका इलाज करवाया गया है ।

कहा जा रहा है कि लाखों लोगों को नजरबन्द किया गया है। आपातस्थितिसे पहले भी 5000 व्यक्ति नजरबन्द थे। आज भी संख्या उससे बहुत अधिक नहीं है । अतः यह कहना गलत है कि लाखोंलोग नजरबन्द हैं। इसकेअतिरिक्त स्वास्थ्य खराब होने के कारण भी अनेक व्यक्तियों को रिहा किया गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): मैंने माननीय मंत्री महोदय को ध्यानपूर्वक सुना है किन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं उनके भाषण से प्रभावित नहीं हुआ हूं अत मैं अपना प्रस्ताव वापस लेने के लिये तयार नहीं हूं। उन्होंने इस बात को बारबार बताया है कि हमने पिछली जुलाई में आंसुका में संशोधन करके दो नई बातों की व्यवस्था कीहैजिन; एक यह है कि नजरबन्द व्यक्तियों को नजरबन्दीके कारण नहीं बताये जायगे। दूसरी बात यह है कि नजरबन्द व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता है । मैं इस बात को भली प्रकार से जानता हूं और न ही मैंने अपने तर्कों के दौरान इसका उल्लेख ही किया है

इन दोनों बातो को कानून मे सम्मिलित किया जा चुका हें अत:उसके बारे में तर्क देना व्यर्थ है । मेरा कहना यह था कि इसविधेयक के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्ति को अभ्यावेदन का अधिकार मिलना चहिये। मंत्री महोदय ने बताया है कि नजरबन्द व्यक्ति अभ्यावेदन दे सकता है । इसका अर्थ यह हुआ कि नजरबन्द व्यक्ति इस विधेयक अथवा अधिनियम के अन्तर्गत नहीं, बल्कि इसके क्षेत्राधिकार के बाहर अभ्यावेदन दे सकता है अर्थात् वह एक तदर्थ अभ्यावेदन देसकता है । उनका कहना है कि उन्हे इस प्रकार के अनेक अभ्यावेदनमिल रहे हैं। गृह मंत्री को अथवा प्रधान मंत्री को पत्रलिखने के लिये हर व्यक्ति को स्वतन्त्रता है और उस पत्र पर किस प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है, यह एक दूसरीबात है । मैं यह कहना चाहताथा कि यह बात इस विधेयक में स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कह दी जाती कि नजरबन्द व्यक्ति को अभ्यावेदन देने का अधिकार नहीं होगा ? फिर वह अभ्यावेदन उन कारणों के आधार पर नहीं दे सकता क्योंकि उसे कारण तो बताये ही नहीं जायगे अतः मैं यह कहना चाहता हूं यह व्यवस्था इस विधेयक में

की जाये कि नजरबन्द व्यक्तियों को अभ्यावेदन देने का अधिकार है । मंत्री महोदय ने इस बात का जवाब नहीं दिया । मैंने अन्य दो बात भी उठाई हैं । पहली बात तो यह की कि इस संशोधन की आवश्यकता ही नहीं थी इससे पहले नजरबन्द व्यक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को अन्य सरकार को एक प्रतिवेदन भेजने की व्यवस्था की अब यह कहा गया है कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार को केवल बता दे । इनदोनों बातों की शब्दावली में अवश्य कुछ अन्तर है नहीं तो इस संशोधन की आवश्यकता ही नहीं थी ? इस प्रकार का अन्तर क्योंकिया गया है ? इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया गया। मैंने यह भी कहा है कि आज की स्थिति और जलाई की स्थिति में बड़ा अन्तर है क्योंकि, अब अनुच्छेद 19, 21 और 22 को निलम्बित करदिया गया है । मैं मंत्री महोदय की इस बात को समझ सकता हूं कि यह मामला निर्णयाधीन है। इसके लिए मैंने भी उन्हीं तर्कों का उल्लेख किया जिन्हें न्यायालय में श्री नीरन डे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है । समाचार पत्रों में सभी बातें गलत नहीं आ सकती । समाचार भी तो सेंसर हो कर आ रहे हैं अतः यह नहीं कहा जा सकता कि समाचार पत्र न्यायालय सम्बन्धी कार्यवाही को बिना सन्दर्भ के दे रहे हैं। आप यह संशोधन लाये ही क्यों आप को उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए थी

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी: इसेसैवधानिकस्थितिकेकारण प्रस्तुतकिया गया है । मेरा कहना यह है कि उच्चतम न्यायालय सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्कों को यदि मान लेता है, तो इन संशोधनों की कोई आवश्यकता नहीं होगी । अतः उसकी प्रतीक्षा की जाये । मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि परिस्थितियों के बावजूद भी यदि सरकार किन्हीं संशोधनों को आवश्यक समझती है तो हम ऐसे संशोधनों का अनुमोदन कर दें ।

स्वयंमहाधिवक्ता ने यह कहा है कि कदाशय से किये गये निरोध के विषय में कोई उपाय नहीं रह गया है । मैं इसका समर्थन नहीं करता कि सरकार को निवारक निरोध की शक्ति नहीं मिलनी चाहिए मैं फासिस्ट को नागरिक स्वतंत्रता होने के आन्दोलन का समर्थक नहीं हूं । परन्तु मैं यह शिकायत सुनना नहीं चाहता कि निवारक निरोध की शक्ति का कहीं दुरुपयोग किया गया है । निवारक निरोध की शिक्त केवल जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त पद के अधिकारियों को दी गई है परन्तु इसके बावजूद भी यदि इस शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है तो उससे यही पता चलता है कि ऐसे दुरुयोग के पीछे राजनीतिक कारण हैं।

महाधिवक्ता ने यह स्पष्ट करदिया है कि निरोध चाहे सही हो या गलत किसी को कोई अधिकार नहीं है । अतःकदाशय से हुए निरोध के बारे में कोई उपचार न होने का प्रश्न मैं उठा चुका हूं । माननीय मंत्री ने कहा है कि विदेशों में कुछ विरोधी ताकतें इनमें से कुछ तर्कों का उपयोग हमारे विरुद्ध कर सकते हैं । आप और मैं दोनों ही इन ताकतों को जानते हैं । परन्तु क्या न्यायालय में राष्ट्रपति के आदेश का समर्थन बिना यह कहे नहीं हो सकता कि किसी को भी निराधार विरुद्ध किया जा सकता है ।

माननीय मंत्री ने भी कहा है कि लोगों को उनका दल देखकर नहीं वरन् उनकी गतिविधियां देखकर विरुद्ध किया जा रहा है । परन्तु क्या यही आधार उनकी रिहाई के बारे में अपनाया जा रहा है । दिल्ली का उदाहरण है जहां जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बहुत से कार्यकर्ता आपके अधिकारियों द्वारा रिहा किये जा रहे जबकि उनमें सरकार के प्रति बिल्कुल निष्ठा नहीं है ।

जहां तक विरुद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य का सम्बन्ध है, बाबूजी यहां पर हैं जिन्होंने इसी सभा में गत क्षेत्र में कहा था कि उनका स्वास्थ्य ठीक है, परन्तु सैंसर ने इसे प्रकाशित नहीं होने दिया। इस बार गृहमंत्री ने विभिन्न नेताओं का उल्लेख किया है और कहा है कि उन्हें अच्छा व्यवहार तथा सुविधाएं आदि मिल रही हैं। इस ओर सैंसर ध्यान देगा या नहीं, यह आपके और सैंसर के बीच का मामला है। परन्तु में राष्ट्रपति के आदेश के होते हुए इन संशोधनों की आवश्यकता से सहमत नहीं हूं। अतः मैं अपने सांविधिक संकल्प का अनुमोदन करने के लिए आग्रह करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि ; -

यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 17 अक्तूबर, 1975 को प्रख्यापित आन्तरिक सुरक्षा (तीसरा संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 16) का निरनुमोदन करती है।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ :

(*The Lok Sabha divided*

पक्ष में 27; विपक्ष में 182

Ayes 27; *Noes* 182)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

(*The Motion was negatived*)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 16 नवम्बर, 1975 को प्रख्यापित आन्तरिक सुरक्षा (चौथा संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 22) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

(*The Motion was negatived*)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(*The motion was adopted*)

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 2 पर विचार किया जायेगा ।

खण्ड 2

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): मैं संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करता हूं । इस खण्ड को लाने की आवश्यकता को मैं नहीं समझ पाया हूं । मेरा सुझाव यह है कि मूल अधिनियम की धारा 3 में "बाईस दिनों" के स्थान पर जो "पच्चीस दिन" करने का प्रस्ताव है, उसके स्थान पर "पांच दिन" प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। मैंने अपने दूसरे संशोधन में 20 दिन का सुझाव दिया है क्योंकि इतनी अवधि में प्राधिकारी को कतिपय शर्तें पूरी करने का पर्याप्त अवसर मिल जायेगा ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य सरकारों ने जो कतिपय आदेश जारी किये थे उनमें पायी गई त्रुटियों को दूर करने का इस विधेयक में उपबन्ध है । अतः मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं करता ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 2 में प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 1 और 2 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 1 और 2 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

(The Amendments No. 1 and 2 were put and negatived)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(The motion was adopted)

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया

(Clause 2 was added to the Bill)

खण्ड 3

श्री दीनेन भट्टाचार्य: मैं संशोधन संख्या 3 और 4 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कमला मिश्र 'मधुकर': मैं संशोधन संख्या 11 और 12 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: मैंने खण्ड 3 में प्रस्तुत अपने संशोधन द्वारा '29 जून, 1975 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा' पंक्ति के लोप का सुझाव दिया है । अपने दूसरे संशोधन में मैंने सुझाव दिया है कि केवल उसी मामले में, जिसमें नये तथा सामने आये, आगे निरोध करने का आदेश दिया जाये ।

ShriK. M. Madhukar : As the hon. Member has said, the subsequent detention order should not be passed without going into the case fully and without having any fresh facts. In the absence of such provision in the Bill, the power of detention may be misused by the authorities.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी: मैं श्रीभट्टाचार्य के संशोधनों का विरोध करता हूं क्योंकि उनका पहला संशोधनयदि स्वीकार कर लिया जायेगा तोधारा 14 का जो परन्तुक है उसका लाभ कुछ निरुद्ध व्यक्तियों को नहीं मिल पायेगा और अध्यादेश की अवधि के दौरान जारी किये गये आदेशइसके अन्तर्गत नहीं आपायेंगे। उनका दूसरासंशोधन भी स्वीकार्य नहीहै क्योंकि उससे पुराने आन्तरिक सुरक्षा कानून की पुरानी धारा 14(2) वाली स्थिति फिर से उत्पन्न हो जायेगी जब कि यह कानून और आगे संशोधित करदिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 3, 4, 11 और 12 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 3, 4, 11 और 12 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

(*The amendment Nos.* 3, 4, 11 & 12 *were put and negatived.*)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(*The motion was adopted.*)

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ा गया

(*Clause* 3 *was added to the Bill.*)

खण्ड 4

श्री दीनेन भट्टाचार्य: मैं संशोधन संख्या 5, 6 और 7 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कमला मिश्र 'मधुकर': मैं संशोधनसंख्या 13, 14, 15 और 16 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकारी को ठोस कार्यवाही करनी होगी। अत: मैंने विधेयक में दिये गये शब्दों के स्थान पर अपने संशोधन में दिये गये शब्द प्रतिस्थापित करने का सुझाव रखा है।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर: अफ़सरशाह नागरिकों को कदाशय से निरुद्ध करसकते हैं और उसे बोर्ड या सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन करने का अधिकार नहीं होगा। अत: मेरा अनुरोध है कि सरकार मेरे संशोधन को मान ले ।

ShriK. M. Madhukar: In the absence of the right to detenus to represent thier cases themselves, there is a possibility of misuse of the detention power. I have moved the amendment to make it obligatory to the Central Government to ask for the grounds of detention of any detenu from the State Govt.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निरोध के कारण प्रकट नहीं किये जाने चाहिए। यही कारण है कि हमें न्यायालयों पर भी निरोध के कारण जानने की रोक लगानी पड़ी है।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : नहीं, हम किसी से नहीं डरते हैं। यदि किसी विधि के अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकार दे दिया जाये तो इस के फलस्वरूप न्यायालयों को पूरे मामले पर विचार करना पड़ेगा जो हम सुरक्षा के आधार पर नहीं चाहते हैं।

खण्ड 4

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5, 6, 7, 13, 14, 15 और 16 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 5, 6,7, 13, 14, 15 *and* 16 *were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 *was added to the Bill.*

खण्ड 5

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं संशोधन संख्या 8 और 9 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8 और 9 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 8 *and* 9 *were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

clause 5 was added to the bill

खण्ड 6

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं। निरुद्ध व्यक्तियों को अपने मामले की पैरवी करने या उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों का खण्डन करने का अवसर मिलना चाहिए। मेरे संशोधन का यही आशय है और इसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं इसे स्वीकार नहीं करता ।

उपाध्यक्ष महोदय ने संशोधन संख्या 10 मतदान के लिये रखा तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No.10 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 7, खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7, clause 1 Enacting Formula, the Title were added to the Bill

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी: प्रस्ताव यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता--उत्तर-पूर्व): यह एक खेदजनक विधान है जिसके अन्तर्गत सरकार और अधिक अधिकार ग्रहण करने जा रही है ।

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए]

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

हमने आपात स्थिति की घोषणा का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि हम जानते थे कि देश में कुछ ऐसी घटनायें हो गई थीं जिनके परिणामस्वरूप देश को खतरा पैदा हो गया था। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम सरकार की हर बात का समर्थन करते हैं। प्रस्तावित विधेयक में जो अधिकार सरकार ग्रहण करने जा रही है वह उचित नहीं है। यदि निरूद्ध व्यक्ति को निरोध के मुख्य कारण बता दिये जायें जिससे वह न्यायालय में अभ्यावेदन कर सके, तो इससे कोई आसमान तो नहीं गिर जायेगा। आपात स्थिति की घोषणा करने से सरकार के हाथ पहले ही काफी मजबूत हो गये हैं। इस के अतिरिक्त सरकार अब इस विधेयक के अन्तर्गत और अधिक शक्तियां ग्रहण करना चाहती है मेरे विचार में देश में ऐसी परिस्थितियां अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं जिनके फलस्वरूप सरकार को और अधिक शक्तियां ग्रहण करने दी जायें। यह ठीक है कि मन्त्री महोदय ने विरूद्ध व्यक्तियों द्वारा किये गये अभ्यावेदनों पर पूर्णतथा विचार करवाया है। परन्तु ऐसा वातावरण पैदा ही क्यों किया जाये। आज मैं देखता हूं कि सुरक्षा के लिये इस समय बहुत अधिक उपाय किये गये हैं यहां तक कि ससंद के परिसर में घुसते समय डर लगने लगा है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार देश में ऐसा वातावरण क्यों उत्पन्न करने पर तुली हुई है जिससे लोगों में यह धारणा फले कि निरूद्ध लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। यदि सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया है तो वह निरूद्ध व्यक्तियों के बारे में तथ्यों को छिपाना क्यों चाहती है? लोगों को अनावश्यक रूप से भ्रम में डाल कर आप सफल नहीं हो सकेंगे। इस समय सरकार को लोगों का समर्थन प्राप्त करना चाहिये और उन्हें तथ्यों से पूर्णतथा अवगत करना चाहिये। लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिये हमें कुछ ठोस कार्य हाथ में लेने चाहिये और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करना चाहिये। असुरक्षा की भावना के फलने से दूषित वातावरण उत्पन्न होगा जो देश के लिये अच्छा नहीं होगा। लोगों का उत्साह बढ़ा कर के हम अपना आर्थिक कार्यक्रम भी क्रियान्वित कर सकेंगे।

हम सरकार का समर्थन इसलिये करते रहे हैं ताकि देश में प्रगति हो। परन्तु प्रस्तावित विधेयक, जिस के अन्तर्गत सरकार आपात स्थिति की घोषणा के फलस्वरूप प्राप्त शक्तियों के अतिरिक्त और शक्तियां प्राप्त करना चाहती है, अनावश्यक है। इसलिए हम इस मामले में सरकार का साथ देने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि इससे तानाशाही की बू आती है जो बहुत ही खतरनाक व्यवस्था है। तलवार के बल पर कोई भी शासन अधिक समय तक नहीं चल सकता है क्योंकि कुछ समय के पश्चात वही तलवार उसे समाप्त कर देगी। यह एक एतिहासिक तथ्य है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिये हमें लोगों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये। मुझे विश्वास है कि सरकार को लोगों का समर्थन मिल रहा है। इसलिये हमें एसा विधान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस प्रकार के विधान का विरोध करते हैं।

श्री दिनेश जोरदार (माल्दा) : हम इस कठोर विधि का 1971 से विरोध करते रहे हैं। सरकार तभी से आश्वासन देती रही है कि यह विधि राजनैतिक दलों पर लागू नहीं की जायेगी। परन्तु खेद है कि सरकार अपने आश्वासन को भूल गई है। अब इसने इसे न केवल राजनीतिक दलों या विपक्षी

सदस्यों पर ही परन्तु संसद सदस्यों, प्रसिद्ध, नागरिकों प्राध्यापकों, प्रधानाचार्यों, शिक्षावादों तथा पत्रकारों पर भी लागू करना आरम्भ कर दिया है और इस प्रकार इस देश के नागरिकों को अधिकारों और स्वाधीनता से बंचित कर दिया है।

एक ओर तो शासक दल यह दावा कर रहा है कि उन्हे लोगों का समर्थन प्राप्त है और दुसरी ओर वह निरूद्ध व्यक्तियों को निरोध के कारण बताने से डर रही है। यदि सत्तारूढ़ दल लोक प्रिय है और लोगों को उनकी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के कारण नजरबन्द किया गया है तो इन कारणों को प्रकाशित कर दिया जाना चाहिये। परन्तु सरकार ऐसा करने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि वह लोगों, न्यायालयों और संसद से डरती है। इसीलिये ऐसी विधियां बनाई जा रही है ताकि वह ऐसे दमनकारी उपायों द्वारा सत्ता में बनी रह सके। यहां पर हम जो कुछ कह रहे हैं वह भी लोगों तक नहीं पहुंच पाता है।

आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम का दुरूपयोग हो रहा है। दो, तीन मास पूर्व श्री गोपालन, श्री समर मुखर्जी तथा श्री दिनेन भट्टाचार्य के साथ मैं मंत्री महोदय को मिला था और दुरूपयोग के कई मामलों की ओर उनका ध्यान दिलाया था परन्तु उन मामलों में अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक कालेज के प्रधानाचार्य को केवल इसलिये नजरबद कर लिया गया है क्योंकि वहां के जिला मजिस्ट्रेट उनसे खार खाये बैठे थे। ऐसे कई अन्य भी मामले हैं जिनमें आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है। परन्तु खेद है कि इन मामलों में कोई कार्यवाही नही की गई है।

इसके अतिरिक्त जेलों में निरूद्ध व्यक्तियों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जा रहा है। यहां तक कि राजस्थान जेल में तो एक व्यक्ति को जान से मार दिया गया है। इन्दौर तथा अन्य स्थानों की जेलों में निरुद्ध व्यक्तियों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। बेहरामपुर सेन्ट्रल जेल में दो तीन स्वस्थ व्यक्ति क्षय रोग के शिकार हो गये। विभिन्न प्रधिकारियों को लिखे जाने के बावजूद उनके इलाज के लिये कोई व्यवस्था नही की गई है। राजनीतिक दलों के नेताओं और ससद सदस्यों के साथ जब उचित व्यवहार नही किया जा रहा है, तो श्रमिकों कार्मिक संघश्रमिकों और किसानों के प्रतिनिधियों जैसे आम लोगों के साथ पता नही कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा होगा। इन लोगों को एक जेल से दूसरी जेल में भेजा जाता है यहा तक कि एक राज्य से दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है। मेरी समझ में नही आता कि सरकार उनको उनके अपने राज्य में क्यों नहीं रखना चाहती है। उनको बदलने पर खर्च भी अवश्य होता होगा। इसी को ध्यान में रख कर ही उन्हें उसी राज्य में हो रहने दिया जाये। खर्च में बचत होने के साथ साथ उनके परिवार वालों को भी इतनी अधिक असुविधा नहीं होगी।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इसे वापस ले लें।

Shri Kamal Mishra Madhukar (Kesaria): Our party had supported the use of MISA against blackmarketeers hoarders, reactionary forces, capitalists and persons belonging to Anandmarga and R. S. S. But it is regretted that the provisions of this Act are being misused. On the eve of the declaration of emergency about 100 persons belonging to C. P. I. were detained in Bihar. In spite of the fact that this was brought to your notice, nothing has been done to release them. Actually, a number of police

officers and other officers of the Government belong to the outlawed Anandmarga and R.S.S. andthey are misusing the provisions of this law. But nothing has been done to prevent them from doing so. The Government should take steps to check misuse of MISA against political workers who are not engaged in anti-national activities.

The grounds of detention should be intimated detenus to enable them to make representations.

The proposed amendment is unnecessary. Instead of passing such legislation, we should implement the 20-point economic programme immediately so that the discontent must which is prevalent among the people is removed and they leave a sigh of relief.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): There was no necessity for this Bill. The arguments given by Shri Brahmanand Reddy are not convencing. It is feared that the bureaucracy will use this measure against Workers. The Government have paid no attention to this matter. We have supported allthe steps taken by Government. We supportedemergencyand the 20-Point Programme. We made a request for enacting laws for banning retrenchment, lock-out but Government have not paidany attention tothese matters. It is because ofthis that we are opposed to this Legislation.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी: यह विधेयक पहले के अधिनियम में सिवाय कुछ एक संशयों के निवारण तथा कानूनी कठिनाईयों को दूर करने के कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करता है । मैं साम्यवादी दल को सदस्यों को बीस सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयनमें उनके समर्थन और सहयोग के लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं । जैसा कि प्रो० मुकर्जी ने कहा है न केवल प्रतिनिधि सस्थानों ने बहुमत से अपितु देश की जनता ने 25 जून, 1975 के बाद से प्रधान मत्री द्वारा किये गये उपायों का हृदय से स्वागत और समर्थन किया है अत: लोगों के मन में भय पैदा करने का प्रश्न नहीं है अपितु यह एक ऐसा अवसर है जबकि हम सबको मिलकर प्रतिक्रियावादी तत्वों का सामना करना है और देश में स्थिरीकरण लाना है । हमें उन शक्तियों से सतर्क रहना है जो देश के सामान्य लोकतांत्रिक जीवन को अव्यवस्थित कर रही हैं ।

मैंने अपने उत्तर में कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से नजरबद व्यक्ति को उसकी नजरबंदी के कारण नहीं बताये जाते । हम नजरबन्दी के कारणों को जनता तक नहीं पहुंचाना चाहते और यह भी नहीं चाहते कि ये नजरबन्द लोग कानून का सहारा लें ।

सभी अभ्यावेदनों की चाहे वह संयुक्त रूप में दिये गये है । अथवा पृथक रुप में जांच हो रही है । इसका यह अर्थ नहीं कि जो कुछ उन्होने लिखा है हमने उसे मान लिया है । इस सभा तथा दूसरी सभा के सदस्यों ने जो अभ्यावेदन दिये है उन पर ध्यान दिया गया है । राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है और कुछ अन्य ऐजन्सियों से भी विचार विमर्श किया गया है और हमने तदनुसार कदम उठाने का प्रयास किया है । इन्दौर तथा राजस्थान जेलों में पड़े हुए हमारे मित्रों के बारे में जो अभ्यावेदन पेश किये गये है उन पर हम ने विचार किया है । मैं आपको आश्वासन देना चाहता हू कि प्रत्येक अभ्यावेदन पर सहायता करने की दृष्टि से विचार किया जाता है जहां तक जेलों में किये जा रहे बर्ताव का संबंध है, विपक्ष के माननीय सदस्य श्री समर गुह ने अपने पत्र में लिखा है कि जितना अच्छा बर्ताव उनके साथ आजकल किया जा रहा है उतना अच्छा वर्ताव उन्हे आज तक कभी भी जेलों नहीं मिला है

यह याद रखा जाना चाहिए कि इन बातों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। उनकी शिकायतों पर विचार किया जाता है और शक्ति के दुरुपयोग को यथा सम्भव दूर करने का प्रयत्न किया जाता है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ। :

The Lok Sabha divided :

पक्ष में 181 विपक्ष में 27

Ayes 181 Noes 27

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

58वाँ प्रतिवेदन

निर्माण, आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 58वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

औषध और भेषज उद्योग सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा

DISCUSSION *RE* REPORT OF THE COMMITTEE ON DRUGS AND PHARMACEUTICAL INDUSTRY.

सभापति महोदय : सभा अब नियम 193 के अधीन चर्चा आरम्भ करेगी।

Shri Ramavatar Shastri(Patna): Mr. Chairman, Sir, our country is a poor country. Along with food and clothing, drugs are also essential for our people. But during the last 28 years we have been able to meet the needs of 25 per cent of our population sofar as drugs are concerned. There is great dearth of essential drugs in the country especially in rural areas.

Our drugindustry is in the strangle hold of foreign multinational companies. These companies do not want that indigenous drug industry should develop and make essential drugs available to the people.

Governmentappointed a Committee under the Chairmanship of Shri Hathi to go into all these matters. This Committee made more than 200 recommendations. The main recommendation of the Committee was that the Government should take over foreign drug manufacturing Companies. But the Government are not implementing this important recommendation.

The foreign drug companies, which control the drug industry in our country,take no interest in promoting research in our country. They want to sell drugs manufactured by their own countries so that they can earn profits. This tendency on the part of foreign firms should be checked This is also one of the recommendations of Hathi Committee.

Our indigenous companies are not able to compete with these foreign companies and that is why Indian companies do not flourish. Hathi Committee has therefore, made a recommendation that the multinational Companies should be nationalised.

Hathi Committee has also made a recomendation that indigenous drug companies, whether in the Public or Private Sector should be encouraged for manufacturing the 117 essential drugs so that 85 per cent of our population easily gets these medicines.

There is no dearth of know-how in our country and this should be encouraged. It is only to change the attitude in this regard It appears that certain big officials of the Government are in collusion with foreign companies. Perhaps that is the reason that Government are not taking over foreign companies. But Government should not hesitate in taking over these foreign companies and make them manufacture 117 essential drugs.

Our demand is that Government should accept the recommendations of Hathi Committee, in which there are Members of Parliament also. The argument made by the Government is that in taking overthe multi-national drug companies they have to make payment of huge amounts as compensation. According to the provision in the Constitution it is not necessary to make any payment. The people in these multi-national companies are the enemies of the country and they create destabilisation and indulge in political mudrders. Chile and Bangala Desh are the examples in this regard.

The Minister should tell the House as to when they would implement the recommendations of Hathi Committee of taking over foreign drug companies. Ihope Government will take over these companies at an early date so that we may be able to provide essential drugs to our people on cheap rates.

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि मुझे सरकार से यह पूछने का मौका मिला है कि हाथी समिति के प्रतिवेदन के साथ सरकार क्यों उदासीनतापूर्ण रवैया अपना रही है ।

मुझे याद है कि पहली और दूसरी संसद के बाद स्वर्गीय जनरल सोखी ने सोवियत संघ के सहयोग से देश में आई० डी० पी० एल० और कतिपय अन्य संस्थान स्थापित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी । मुझे यह भी स्मरण है कि महान् वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय ने बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल वर्क्स की स्थापना की थी । परन्तु हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के समय इसबात पर बड़ा बल दिया गया कि स्वदेशी औषध का उत्पादन किया जाय जो हमारे लोगों के स्वास्थ्य और सुख के लिए जरूरी है ।

हाथी समिति ने अपना प्रतिवेदन गत वर्ष अप्रैल में प्रस्तुत किया था । लगभग एक वर्ष बीत गया है किन्तु सरकार अभीभीइस परसोच विचार कर रही है । हाथी समिति के प्रतिवेदन में इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की गई है । सरकार को इसे अपने अधिकार में ले लेने दिया जाये । सरकार को राष्ट्रीयकरण के बारे में सभी तरह की चिन्तायें

हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों के राष्ट्रीयकरण के बारे में यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई, क्योंकि 16 में से 9 सदस्यों ने इसका समर्थन किया। पांच संसद सदस्यों में से 4 ने इसका समर्थन किया। औषध संस्थानों के निदेशकों ने भी इसका समर्थन किया है। तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है ?

ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां यहां कार्यरत हैं। 10 औषध कम्पनियों में शत-प्रतिशत 24 कम्पनियों में 50 से 59 प्रतिशत, 15 में 40 से 50 तक, 11 में 26 से 40 तक और 6 में 26 प्रतिशत से कम विदेशी पूंजी लगी है। अधिकांश कम्पनियों संसद द्वारा बनाये गये कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं। हम इन बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों की दया पर हैं और हम नहीं जानते कि हमें इस बारे में क्या करना चाहिए।

हमारे देश में औषधियों की बिक्री से प्राप्त होने वाले धन का 70 प्रतिशत भाग, अर्थात् 370 करोड़ रुपये विदेशी क्षेत्र से सम्बन्धित होता है। इस 370 करोड़ रुपये में से टानिक, घरेलू उपचार, विटामिनों और खनिजों इत्यादि का मूल्य लगभग 70 करोड़ रुपये होता है। इसमें भी धोखाधड़ी की जाती है, क्योंकि हाथी समिति ने कहा है कि इनमें से अधिकांश वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए अनावश्यक और अच्छी नहीं हैं। कुछ टानिक जैसे वाटरबरीज कम्पाउण्ड या अन्य औषधियां कतई अच्छी नहीं हैं।

वाटरबरीज़ कम्पाउण्ड जैसी गैर-आवश्यक औषधियों के मूल्य निर्धारण के बारे में भी हाथी समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें मूल्यनिर्धारण के बारे में ठोस नियंत्रण रखना चाहिए परन्तु इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया है।

हाथी समिति ने सिफारिश की है कि 117 औषधियां नितान्त महत्वपूर्ण हैं। यदि हम इन 117 औषधियों की सप्लाई सुनिश्चित करें तो 80 प्रतिशत बीमारियां जो इस देश में व्याप्त हैं, रोकी जा सकती हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जायेगा।

छोटे पैमाने के क्षेत्र में भी बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियों ने कुछ लाभ उठाये हैं। अब्बाट, एस० के० एफ० तथा एंग्लो फ्रेंच नामक इन तीन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की प्रत्येक की आय 2 से 3 करोड़ रुपये तक है। यदि मंत्री महोदय चाहें तो एक ही आदेश से उन्हें लघु पैमाने के क्षेत्र से निकाल सकते हैं। किन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है।

हाथी समिति के प्रतिवेदन पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सभी महत्वपू सिफारिशें ताख पर रख दी गई हैं। मंत्री महोदय ने पिछले दिन बताया है कि भारत में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों में 140 करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी लगी है। परन्तु यह राशि 27 करोड़ रुपये है।

हमारे देश के लोगों को यदि आवश्यक सहायता प्राप्त हो तो वे कार्य करने को तैयार हैं। इनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना के निदेशक राष्ट्रीय औषध उद्योग के उत्थान के बारे में अनेक सुझाव देने को तैयार हैं हमारी भारतीय राष्ट्रीय औषध नीति होनी चाहिए और इसके लिए एक निकाय हो जिसकी स्थापना समूचे

देश के कार्मिकों की सहायता से की जाये । इस तरह हम तेजी से प्रगति कर सकते हैं । आई० डी० पी० एल०, एच० ए० एल० और अन्य संगठन देश के विभिन्न भागों में हैं । परन्तु इसके अलावा छोटे पैमाने के क्षेत्र को भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है ।

हमारे देश में ऐसे चिकित्सा विशेषज्ञ हैं जिनके लिए विश्व को भी गौरव हो सकता है । उन्होंने हाथी समिति के समक्ष साक्ष्य दिया है । जनरल सोखी ने श्री जवाहरलाल नेहरू की सहायता से यह पहल की थी कि देश में एक वास्तविक राष्ट्रीय औषध उद्योग हो जिस पर हमारे ही लोगों का नियंत्रण हो तथा जो विदेशी प्रभुत्व से, जिसने हमारा लगातार शोषण किया है, पूर्णतया स्वतन्त्र हो । इस प्रकार से कुछ समुचित कार्य किया जा सकता है । यदि औषध उद्योग के इस क्षेत्र में, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन बहु राष्ट्रीय कम्पनियों का नियंत्रण रखेंगे तो हम एक ऐसा अपराध करेंगे जिसके लिए इस देश को शर्मिन्दा होना पड़ेगा ।

हाथी समिति की सिफारिशें ठोस और व्यावहारिक हैं । इन्हें अविलम्ब लागू किया जाना चाहिए और यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का विलम्ब किया जाता है तो फिर आपात स्थिति एक निरर्थक बात है । यदि आपात स्थिति का नीति को वास्तविक रूप से तथा सचाई से कार्यान्वित करने के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा, जिससे जनता को लाभ होगा, तो इससे कोई फायदा नहीं और मैं नहीं जानता हूं कि लोग निकट भविष्य में कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे । सरकार को कम से कम लोगों के प्रति अपने कर्त्तव्य का ध्यान रखना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए और यदि जनता के भोजन और स्वास्थ्य के लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती तो पता नहीं कि इस देश का क्या होगा । मुझे खेद है कि मैं अन्य विषय की ओर चला गया । सरकार हमें बताये कि उसकी हाथी समिति के प्रतिवेदन के बारे में सही नीति क्या है । श्री स्टीफन यह न्यायोचित ठहरायें कि उन्होंने, समिति के एक सदस्य के नाते, इसका इस उद्योग के हाथ में लेने का समर्थन क्यों नहीं किया ? उनका इस विषय में क्या विचार रहा ?

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । जब किसी समिति में कुछ कार्यवाही होती है, तो समूची कार्यवाही उसमें होती है .....

सभापति महोदय : वह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे रहे हैं .....

श्री सी० एम० स्टीफन: प्रतिवेदन में सभी कुछ दिया हुआ है । मेरे माननीय मित्र श्री मुकर्जी ने मेरे नाम का उल्लेख किया है । मेरा अनुरोध है कि वह प्रतिवेदन से किसी भी वाक्य को पढ़ सकते हैं जिससे उन्हें मेरे विचार का पता चल जायेगा । समिति के सदस्य के नाते मैं यहां यह कहने को तैयार नहीं कि मैंने क्या दृष्टिकोण अपनाया । मैंने प्रतिवेदन में कोई विमत टिप्पणी नहीं दी है । किसी ने भी विमत टिप्पणी नहीं दी है । जो भी सिफारिशें की गई हैं, वे सर्वसम्मति से की गई हैं । मेरा यही अनुरोध है कि श्री मुकर्जी प्रतिवेदन के विशेष भाग को पढ़ें ।

श्री एच० एन० मुकर्जी: मुझे यह जानकारी थी कि उन्होंने उद्योग को तुरन्त हाथ में लेने के विचार का विरोध किया था तो मैं उनसे इसका कारण जानना चाहता था ।

सभापति महोदय : जो कुछ आप कह रहे हैं वह प्रतिवेदन पर आधारित नहीं है । यह स्पष्ट कर दिया गया है ।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चण्डीगढ़) : हाथी समिति के प्रतिवेदन से लगभग सभी सदस्य सहमत हैं । सरकार ने प्रायः सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं । अब उनकी क्रियान्विति ही शेष रह गई है । स्पष्ट है कि इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि सरकार को इसके सभी पहलुओं पर पूर्णतः विचार करना है ।

बहु-राष्ट्रीय औषधि-कम्पनियों के सम्बन्ध में सरकार की ओर से किसी ने भी यह नहीं कहा है कि वह इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहती । जब तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है तो औषधि कम्पनियों का भी राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है । पर इस मामले में जल्द बाजी नहीं की जा सकती । किसी भी कार्य को करने का कोई समय होता है । हमें सरकार पर विश्वास करना चाहिए और जिस गति से सरकार कार्य कर रही है उसे ध्यान में रखना चाहिए । उसने कई सिफारिशों पर कार्यवाही भी कर ली है । यह स्पष्ट-रूप से कहा गया है । कि इन विदेशी कम्पनियों का कार्यक्षेत्र सीमित है और उन्हें कतिपय मदों के लिए ही लाइसेंस दिये जायेंगे । कुछ दवाइयों का निर्माण भारतीय औषधि और भेषज लिमिटेड जैसी सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के लिए सुरक्षित कर दिया गया है । किसी भी विदेशी या बहुराष्ट्रीय कम्पनी को इस सम्बन्ध में लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं । भारतीय कम्पनियों को इस मामले में प्राथमिकता दी जा रही है । आशा है कि हाथी समिति की सिफारिशें ठीक समय पर समुचित ढंग से अमल में लाई जायेंगी । इसमें कुछ समय लग सकता है । पर सरकार तीव्रता से कार्य कर रही है ।

हाथी समिति की सिफारिशों में एक सिफारिश यह है कि व्यापारिक नामों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये तथा वर्गगत नाम रखे जाने चाहिए । सरकार ने फैसला किया है कि 6 महत्वपूर्ण औषधियों के मामले में केवल वर्गगत नामों का प्रयोग किया जाना चाहिए । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि सरकार अन्य दवाइयों के व्यापारिक नामों पर रोक लगाना चाहती है । वह तो इस सम्बन्ध में सावधानी बरतना चाहती है । 'नवलजीन' को अब 'अनलजीन' कहा जायेगा । इस प्रकार सरकार हाथी समिति की सिफारिशों को कार्यरूप दे रही है ।

मूल्य निर्धारण के मामले में भी सरकार का रुख बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के प्रति कड़ा है । उसने औषधियों और निर्मितियों के मूल्य निर्धारण करने में नरमी नहीं दिखाई है । मेरे विचार से इस बारे में कोई मतभेद नहीं है कि सभी प्रकार की दवाइयां देश में ही बनाई जानी चाहिए । प्रश्न केवल समय का है और यह निश्चित करने का है कि हमें इस दिशा में किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए । हम जल्दबाजी में यह घोषणा नहीं कर सकते हैं हम बहु-राष्ट्रीय एवं अन्य विदेशी कम्पनियों का तुरन्त राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं । कोई भी जिम्मेदार सरकार ऐसा नहीं कर सकती । इस मामले पर गम्भीरता से विचार करने के उपरान्त ही समुचित कदम उठाये जाने चाहिए ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) :ऐसा लगता है कि सरकार का विचार हाथी समिति के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने का नहीं है । इस समिति की मुख्य सिफारिश यह है कि उन बहुराष्ट्रीय निगमों को जो देश को लूट रहेहैं, सरकार अपने नियंत्रण एवं अधिकारमें ले ले ।और सरकारइसे किसी नकिसी बहाने टाल रही है और सरकार को उनका अधिग्रहण करने का साहस भी नहीं है ।

समिति की दूसरी सिफारिश यह है कि इन विदेशी कम्पनियों को देश में विस्तार का अवसर न दिया जाए और साथ ही इन कम्पनियों को अन्य देशोंमें स्थित अपने मूल संगठनोंसे भारी मात्रा में दवाइयों का आयात करके अत्याधिक मुनाफा न कमाने दिया जाए । ये कम्पनियां भारी मुनाफा कमा रही हैंऔर उसे अपने देश को भेज रही हैं ।इस प्रकार वे हमारे देश को एक भारी राशि से वंचित कर रहो हैं ।उनके पास अपने तकनीशियन और विशेषज्ञ हैं और वे यहां अपना विस्तार कर रही हैं और भारी रकम बना रही हैं । सरकार इसे क्यों नहीं रोकती ?

किन्तु वर्तमान स्थिति यह है कि सरकार ने मर्क, शार्प और डोहमें को निर्मितियां तैयार करने के लिये बुनियादी कच्चा माल (मिथाईल डोपा) आयात करने की अनुमति देने का निश्चय किया है । इन निर्मितियों के लिए भारतीय कम्पनियों के प्रस्ताव नामंजूरकरदिए गये हैं ।

अत्यावश्यक तथा जीवन रक्षक औषधियों के संबंध में मूल्य नीति अपनाने में सरकार को क्या कठिनाई है ? आज ऐसी सभी औषधियां विदेशी कम्पनियों के अधिकार में हैं। इन दवाइयों के मूल्यों में कमी करने में तथा आवश्यकता के समय उन्हें जनता को उपलब्ध कराने में सरकार मदद नहीं कर रही है ।सरकार में इतना साहस नहीं है कि वह फाइजर अथवा अन्य अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपने हाथ में ले ले, वास्तव में सरकार ने उनके साथ सांठ-गांठ करली है । इस सम्बन्ध में सरकार को कड़ी नीति अपनानी होगी ।

सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वह हाथी समिति की किन-किन सिफारिशों को स्वीकार कर रही है और किन-किन को अस्वीकार ।

Shri Shashi Bhushan (Delhi South) : It is not correct to say that Government is against nationalisation of foreign companies and that they have not taken any steps to implement the recommendations of the Hathi Committee Report. If the recommendation regarding setting up of a National Drug Authority is accepted prices of medicines can be controlled and the remittance of Indian money by foreign companies through the methods of under invoicing or over invoicing can be checked.

As regards brands, we have all along been very much opposed to various brand names of medicines. A small country like Pakistan has abolished them. Today some Indian medicines are being sold by foreign Companies under their brand names. If these brand names are abolished Indian manufacturers will be able to compete with the foreign companies.

We should encourage our scientists to manufacture effective medicines. The foreign companies should not be granted new licences for the manufacture of medicines. Government should take over the work of price control and the distribution of essential drugs and an Authority should be set up for this purpose. Effective measures, if taken by the Government would certainly oblige these multinational corporations.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : हाथी समिति ने सराहनीय कार्य किया है और उसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं कि (1) औषधि उद्योग में सरकारी क्षेत्र को प्रमुख स्थान देने के लिए क्या किया जाए (2) औषधि उद्योग के भारतीय क्षेत्र को तीव्र गति कैसे प्रदान की जा सकती है; (3) सदूर ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक औषधियां और आम घरेलू उपचार की वस्तुएं समुचित मूल्यों पर कैसे उपलब्ध कराई जा सकती हैं और (4) औषधियों के किस्म नियंत्रण संबंधी उपायों को कैसे मजबूत किया तथा सुधारा जा सकता है ।

इस संबंध में सरकार को अपने दृष्टिकोण में तथा वर्तमान ढांचे में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, हाथी समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि विदेशी औषधि उद्योग का औषधि उद्योग में बोलबाला है और उसने अपनी विक्रय कुशलताएवं चिकित्सा व्यवसाय के समर्थन से भारतीय औषधि उद्योग की बोलती बन्द कर रखी है जिसका मतलब यह है कि सरकार ने स्वदेशी क्षेत्र के औषधि उद्योग की पूर्णतयां उपेक्षा की है । रसायन और पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारी भी गैर-अत्यावश्मक टोनिकों, अल्कोहल से बनने वाली दवाइयों आदि के लिए विदेशी फर्मों को उदारता से लाइसेंसदेते रहे हैं और ये लाइसेंस उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अनुकूल नहीं थे । इस प्रतिवेदन में आगे यह कहा गया है कि आधारभूत दवाइयों और निर्मितियों का मुख्य भाग स्वदेशी क्षेत्र द्वारा बनाया जाता है ।अतएव औषधि उद्योग के विकास के मामले में सरकार की नीति इतनी बुरी नहीं है लेकिन विकार, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा लाइसेंसिंग समिति द्वारा क्रियान्वयन के स्तर पर आया है ।

इसके साथ साथ समिति ने यह सिफारिश की है कि विदेशी क्षेत्र के भारी प्रभाव को कम किया जाए और इस प्रयोजन के लिए समिति ने एकमत होकर यह सिफारशें की है कि इन विदेशी फर्मों का अन्ततोगत्वा अधिग्रहण किया जाए । समिति की इस एकमत सिफारिश को सरकार द्वारा शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिए और इसे कार्यरूप देने के लिए किसी जटिल प्रक्रिया की भी जरूरत नहीं है । यह काम आसानीसेहो सकता है ।

इस समिति की एक और महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि आधारभूत औषधियों के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और शिक्षा संस्थाओं की समन्वित गवेशण से अपेक्षित प्राद्योगिकी जानकारी विकसित की जाए जिससे देश की मांग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का किफायत से उपयोग करके विदेशी मुद्रा के आय और व्यय का सन्तुलन बनाए रखा जा सके । सरकार को चाहिए कि वह इन महत्वपूर्ण सिफारिशों को तुरन्त क्रियान्वित करे।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि उचित प्रोत्साहन देकर लघुउद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचीहैकि विदेशी औषधि कम्पनियां लाभ कमाने की अपनी विश्व-व्यापी नीति के कारण सस्ती कीमत पर दवाइयां सप्लाई करके हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को ऊंचा उठाना नहीं चाहती, इसलिए, सरकार को चाहिए कि वह इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को नियंत्रित करने की तुरन्त कार्यवाही करे ।

पिछले पांच वर्षों से क्या हो रह है ? जबकि विदेशी कम्पनियां अत्यावश्यक तथा अनात्यावश्यक औषधियों की बिक्री से बड़ा मुनाफा कमा कर अपने देशों को भेज रही है और देशी कम्पनियों पर सरकार का कठोर नियंत्रण है और उन्हें इन औषधियों के निर्माण के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाता और इस क्षेत्र में यह विदेशी फर्मों का ही एकाधिकार रहा है। देशी कम्पनियों से कहा जाता है कि वे सम्बद्ध आधारभूत औषधियों का भारी मात्रा में आयात करे। इनका आयात भी विदेशी कम्पनियों के माध्यम से ही किया जाता है जिस में उन्हें बड़ा लाभ होता है। इस प्रकार इन कम्पनियों ने स्थिति का दोनों तरह से लाभ उठाया है और सरकार ने इसमें योगदान किया है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करे और इन सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वित करे।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : विषय की व्यापकता और कार्य के परिमाण को देखते हुए, हाथी समिति ने अपना प्रतिवेदन बहुत ही थोड़े समय में तैयार कर के दे दिया है। इसी प्रकार अब सरकार को भी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को तुरन्त लागू करना चाहिए।

1956 में जब औद्योगिक नीति संकल्प स्वीकार किया गया था और तत्पश्चात् कार्यवाही की गई थी, तभी से सरकार का उद्देश्य देशी क्षेत्र को बढ़ावा देने और विदेशी क्षेत्र को समाप्त करने का रहा है। इसी उद्देश्य से पिम्परी, ऋषिकेश, हैदराबाद आदि में विभिन्न उद्योग समूह स्थापित किये गये थे और इन उद्योगों में अच्छा कार्य हो रहा है। हां, यह ठीक है कि समिति ने यह कहा है कि कुछ उद्योगों में कुछ सुधार किया जा सकता है। अतः जहां तक सरकार का मूल दृष्टिकोण है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार का दृष्टिकोण सर्वथा स्पष्ट है।

हाथी समिति का मुख्य प्रयोजन भेषज एवं औषधि उद्योग के मामले में सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए मार्गोपायों का पता लगाना था। इस समय लगभग 2500 कारखाने हैं जिनमें से शायद 2300 छोटे पैमाने के कारखाने हैं। इन पर विदेशी नियंत्रण तो बहुत कम है, परन्तु जहां तक लाभ का प्रश्न है वह विदेशी कम्पनियां ही अधिक कमा रही हैं।

अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विदेशी कम्पनियां, अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का प्रयत्न करती हैं। हालांकि उनका निवेश अपेक्षाकृत कम होता है। यही बात समिति ने अपने प्रतिवेदन में कही है। यही कारण है कि अब उनकी मूल पूंजी 30 करोड़ रुपये से बढ़ कर 140 करोड़ रुपये हो गई है। इससे स्पष्ट है कि इन कम्पनियों ने वास्तव में इस देश के लोगों की आय में से यह रकम कमाई है। हाथी समिति ने कहा है कि ये बहुराष्ट्रीय निगम देशी क्षेत्र का विरोध करते रहे हैं।

इस सम्बन्ध में सरकार को स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए। इन बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रभाव को कम कर के देशी कम्पनियों को बढ़ावा देना चाहिए। इस मामले में मतवादी बनने से काम नहीं चलेगा। समिति के अधिकांश सदस्यों की यही राय है कि इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

करलिया जाये। यदि सरकार समझती है कि इनका राष्ट्रीयकरण करना अभी ठीक नहीं है, तो इनका जो प्रभाव है उसे अवश्य कम करना चाहिए। सरकार को इस सम्बन्ध में तुरन्त निर्णय करना चाहिए क्योंकि जहां तक आवश्यक औषधियां हैं उन के मामले में हम विदेशी फर्मों पर निर्भर नहीं करना चाहते। यदि हमारे वैज्ञानिक यह कार्य स्वयं अपने हाथ में ले सकते हैं, तो हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिफारिश की है कि औषधियों के व्यापारिक नामों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह इस समिति द्वारा गठित एक चिकित्सा पैनल ने भी यही सिफारिश की है। भारतीय चिकित्सा संघ ने भी इसी उद्देश्य से एक संकल्प पारित किया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश है और इसे यथासम्भव शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जैसे ही हमारे चिकित्सक और वैज्ञानिक कोई औषधि तैयार करने में सफल हो जाते हैं तो विदेशी कम्पनियां किसी दूसरे व्यापारिक नामों की औषधियां तैयार कर लेते हैं। हमारे देश में कुछ प्रथा भी ऐसी है कि विदेशी औषधियों पर अधिक निर्भर किया जाता है चाहे वैसी गुणकारी दवाएं हमारे देश में अन्यथा उपलब्ध ही क्यों न हों। इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए अवश्य कोई कार्यवाही की जानी चाहिए। हमारे देश में बनी हुई औषधियों का प्रयोग अधिक हो, इसलिए सभी प्रयत्न किये जाने चाहिए। मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हर सम्भव कार्यवाही करेगी।

समिति ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश यह की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सामान्य प्रकार की औषधियां सुगमतासे और सस्ते दामों पर मिलनी चाहिए। इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

दूसरा पहलू यह है कि विदेशी निगम न केवल मूल भेषजों के क्षेत्र में ही अपितु कान्तिवर्द्धक सामग्री के क्षेत्र में भी कार्यरत हैं। वे थोड़ी पूंजी लगा कर बहुत अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। उनको ऐसी अनुमति देना सरकार के मूल उद्देश्य या नीति के प्रतिकूल है। अतः सरकार को इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि इस सामग्री के अभाव में कोई आसमान नहीं गिर जायेगा।

श्रीमती रोजा देशपाण्डे (बम्बई-मध्य) : सभी का यह मत है कि भेषजउद्योग में कार्यरत बहुराष्ट्रीय निगमों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। सरकार भी इस मांग को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर चुकी है। परन्तु जहां तक इस मांग को पूरा करने की बात का सम्बन्ध है, इस दिशा में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हाथी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जायेगी।

गत कई वर्षों से इस देश में ऐसे लोग, जो औषधियां खरीद सकते हैं, कुछ ही विदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित औषधियां खरीदते रहे हैं। इसीलिए इस उद्योग में अब तक विदेशी कम्पनियों का ही बोलबाला रहा है। यदि हम औषधियों की लागत को कम करना चाहते हैं, तो हमें इन विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करना ही पड़ेगा। क्योंकि सरकारी क्षेत्र या गैर-सरकारी क्षेत्र इन विदेशी कम्पनियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यह समझ में नहीं आता कि जब

हमारे पास किसी औषधि के बारे में तकनीकी जानकारी होती है तब भी हम विदेशी कम्पनियों को उस औषधि का निर्माण करने की अनुमति दे देते हैं। उदाहरणार्थ, डाक्सीसाइक्लिन एक ऐसी औषधि है जिस के बारे में तकनीकी जानकारी हमारे पास थी परन्तु इसके बावजूद सरकार ने इसका निर्माण-कार्य फाइजर नामक एक विदेशी कम्पनी को सौंप दिया। एक ओर तो यह कहा जाता है कि हम अपने सरकारी क्षेत्र का विकास कर के इन बहुराष्ट्रीय निगमों का मुकाबला करना चाहते हैं और दूसरी ओर हम उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह हमारी नीति से मेल नहीं खाता है। भेषजता हम तैयार करें और वे उन में कुछ शर्बत आदि मिलाकर औषधियों के रूप में यह कह कर कि इन में विटामिन्स हैं हमें ही बेचें और बहुत ही अधिक मुनाफा कमायें। यह कहां तक उचित है? यह नीति समाजवाद लाने की हमारी नीति से कहां तक मेल खाती है? यदि हम विदेशी कम्पनियों के प्रभाव को कम करके यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यहां पर आम जनता को उचित कीमत पर औषधियां मिल सकें, तो हमें समिति द्वारा की गई सिफारिशों को तत्काल लागू करना होगा। कम-से-कम सात बड़ी बड़ी विदेशी कम्पनियों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले कर सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों का विकास करना होगा तभी हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल हो सकेंगे। हमारा अन्तिम उद्देश्य देश में समाजवाद लाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें तुरन्त कोई ठोस कार्यवाही करनी होगी। हाथी समिति ने जो बहुत अच्छी सिफारिशें की हैं। केवलमात्र नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। बहुराष्ट्रीय निगम इस देश में 370 करोड़ रुपये की औषधियां बेच लेते हैं जो कि कुल बिक्री का 70 प्रतिशत है। उनकी इस लूट को समाप्त करने के लिए सरकार को अवश्य कोई कारगर कार्यवाही करनी होगी।

दूसरे, मैं भारतीय औषधिनिर्माण उद्योग के कुछ पहलुओं के विषय में कहूंगी। देश में कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो अलग-अलग नामों से अपनी कम्पनियों के लिए लाखों रुपये के आयात लाइसेंस ले लेते हैं और आयातित औषधियों को काला बाजार में बेच देते हैं। इसकी जांच के लिए आहूजा समिति नियुक्त की गई थी जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है। परन्तु ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः भारतीय निजी औषधि निर्माताओं का समर्थन करना उचित नहीं है।

मंत्री महोदय को सरकारी क्षेत्र के कार्यकरण और अपने मंत्रालय की लाइसेंस नीति की जांच करनी चाहिए। पहले हमारे सरकारी क्षेत्र की औषधि निर्माण विधि भी तैयार करनी चाहिए, तभी हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपने हाथ में लेने के बारे में सोच सकते हैं।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : 1948 के बाद हमारे देश में औषधि उद्योग ने बहुत प्रगति की है। उनका उत्पादन बढ़ा है और औषधि निर्माता कम्पनियों की संख्या भी बढ़ी है, परन्तु आज देश में औषधियों का जो उत्पादन है उससे केवल 20 प्रतिशत जनता को ही औषधियां सुलभ हैं।

जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए औषधि निर्माण उद्योग को अधिक तेजी से विकसित करना होगा। पांचवी योजना के दौरान कुल औषधि उत्पादन 700 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। सरकारी क्षेत्र द्वारा 70-80 करोड़ रुपये और निजी क्षेत्र द्वारा 200 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन किये जाने का अनुमान रखा गया है। परन्तु निजी क्षेत्र के बारे में जो अनुमान रखा गया है उससे इतनी आशा नहीं है। अतः हाथी समिति ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है उस पर पूरी तरह विचार किया जाना चाहिए।

हाथी समितिने कुल मिला कर 226 सिफारिशें की हैं जिनमें से उनसिफारिशों को क्रियान्वित किया जायेगा जिनके मुख्य सिद्धान्तोंसे इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल होगा। देश में जनताकी स्वास्थ्य समस्या को हल करने के लिए औषधियों का भण्डार बढ़ाने का हमारा दृढ़ निश्चय है और आगामी वर्षों में औषधियों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का भी हमारा निश्चय है ताकि उनका आयात कम किया जा सके। हमारा यह निश्चय है कि औषधि प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता का विकास किया जाये और कुछ अत्यावश्यक क्षेत्रों को छोड़ कर विदेशों से इस सम्बन्ध में जानकारी न खरीदी जाये

हम उचित मूल्य पर अस्पतालों और सामान्य जनता को औषधियां उपलब्ध करायेंगे और इस लक्ष्य के लिए मूल्य-नियंत्रण अनिवार्य है। मूल्यों पर निगरानी रखते समय यह देखना भी हमारा कर्तव्य है कि उत्पादकों को उचित मूल्य मिले और उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर उन्हें लाभ हो, ताकि इस उद्योग में उन्हें और अधिक पूंजी लगाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। हाथी समिति ने भी इस पहलू पर जोर दिया था। पूंजी-निवेशकों को लाभ के सम्बन्ध में आंकड़े तैयार करते समय हमें केवल औषध निर्माण के अलावा अधिक उत्पादन में पूंजीनिवेश करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। हम अनुसन्धान और विकास काय में लगी फर्मों को विशेष प्रोत्साहन देंगे क्योंकि हाथी समिति ने ठीक ही इस बात पर बल दिया है कि जब तक हमारे देश में इस क्षेत्र में अनुसन्धान और विकास कार्य प्रगति नहीं करेगा, तब तक हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा।

हम इस उद्योग के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र को नेतृत्व देंगे। हमने इस सम्बन्ध में पहले ही कार्यवाही आरम्भकरती है। यह भी निश्चय किया गया है कि सरकारी क्षेत्र न केवल औषध उत्पादन करेगा, वरन् वह 60प्रतिशत तक मूल औषधों के सूत्र स्वयं तैयार करेगा और शेष कार्य अन्य क्षेत्रों को दिया जायेगा।

हाथी समिति ने यह ठीक ही सिफारिश की है कि सरकार को औषध उत्पादन संगठित करने में पहल करनी चाहिए ताकि देश में अनिवार्य औषध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। अतः लाइसेंस नीति का इस सिफारिश के अनुसार नियंत्रण किया जायेगा। सभी अनिवार्य औषधियों का पर्याप्त उत्पादन करने हेतु एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जायेगी और सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि सभी क्षेत्र इस राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक औषधि का उत्पादन करने की दिशा में इस योजना को क्रियान्वित करें। सरकार ने भारी मात्रा में तैयार होने वाली उन औषधियों की सूची परिचलित कर दी है जिनके सम्बन्ध में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

सदस्यों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि हाथी समिति की सबसे बड़ी सिफारिश यह है कि बहुराष्ट्रीय फर्मों को तुरन्त सरकारी अधिकार में ले लिया जाये या उनका राष्ट्रीयकरण किया जाये। हाथी समिति ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की थी कि साम्यपूंजी घटा कर 40 प्रतिशत की जाये और फिर बाद में इसे और घटा कर 26प्रतिशत करने के लिए कदम उठाये जायें।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उन्हीं शर्तों के अनुसार विस्तार करने की अनुमति दी जायेगी जिन शर्तों की सिफारिश हाथी समिति ने की थी। विस्तार के लिए आये आवेदनपत्रों की जांच हाथी समिति के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार की जायेगी।

मूल्य नीति सम्बन्धी हाथी समिति ने यह सिफारिश की है कि मूल औषधियों के मामले में 12 से 14 प्रतिशत लाभ दिया जाना चाहिए और औषधि निर्माण के सम्बन्ध में 8 से 13 प्रतिशत लाभ दिया जाना चाहिए। अनेक अनिवार्य और घरेलू औषधियों पर 5, 6, 10, 20 या 25 प्रतिशत तक अधिक लाभ है और यदि हम हाथी समिति का सूत्र लागू करें, तो उनके मूल्य इतने बढ़ जायेंगे जिन्हें माननीय सदस्य स्वीकार नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि अनिवार्य औषधियों के मूल्य बढ़ें। भारत सरकार 1962 का मूल्य स्तर लाने की नीति अपना रही है क्योंकि 1962 में औषधियों पर नियंत्रण था। सामान्यतः औषधियों के मूल्य घटकर 1962 के मूल्य स्तर तक आ गये हैं। उसी मामले में मूल्यवृद्धि की गई है जहां पूरी जांचपड़ताल की गई है। हम यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सी अनिवार्य औषधियां हैं और उनके मूल्य नहीं बढ़ने देंगे।

हाथी समिति ने सिफारिश की है कि ब्रांड नामों वाली औषधियों के सम्बन्ध में बहुत सावधानी बरती जाये। इस समिति ने 13 औषधियों के मामले में ब्रांड नाम समाप्त करने का सुझाव दिया है। हम मंत्रिमंडलीय उप समिति से यह सिफारिश कर रहे हैं कि 6 औषधियों के ब्रांड नाम समाप्त कर उनके प्रजातीय नाम प्रयुक्त किये जायें।

यद्यपि हाथी समिति ने प्रशंसनीय कार्य किया है, तथापि उसकी सिफारिशों पर कहीं कहीं विचार करना भी आवश्यक है। चार या पांच महत्वपूर्ण सिफारिशों पर अभी तक विचार हो रहा है और निर्णय करने में हमें एक-दो महीने लग जायेंगे।

सरकारी-करण के सम्बन्ध में हम साम्यपूंजी को समाप्त करने की सर्वसम्मत सिफारिश पर विचार कर रहे हैं। सरकारी-करण अत्यन्त जटिल प्रश्न है जो अभी तक विचाराधीन है।

यह कहना सही नहीं है कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड को डाक्सी-साइक्लीन के निर्माण करने की जानकारी प्राप्त है। यह उपक्रम इस प्रौद्योगिकी के लिए एक इटालियन फर्म से बातचीत कर रहा है। रानबक्सी फर्म भी अमरीका की फर्मों से बात चीत कर रही है। हाथी समिति ने यह सिफारिश की है कि बहुराष्ट्रीय फर्मों को भारी मात्रा में प्रयोग में आने वाली औषधियां बनाने के लिए कहा जाये। यदि यह सिफारिश क्रियान्वित की जाये, तो हमें बहुराष्ट्रीय फर्मों के बारे में निर्णय करने तक इन्हें लाइसेंस जारी करने होंगे।

तत्पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 23 जनवरी, 1976/3 माघ, 1897 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

[The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, the January 23, 1976/ Magha 3, 1897 (Saka).]

GMGIPND—M—2452 D.S.—JC, 3873—260